सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग + INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 01

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

(राजस्व क्षेत्र)

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 01

vuØef.kdk

	dfMdk	i"B
प्रस्तावना		iii
v/;k;&I% fogxkoykdu		
यह प्रतिवेदन	1.1	1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.2	1
लेखापरीक्षा प्राधिकार	1.3	7
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.4	7
बकाया राजस्व का विश्लेषण	1.5	9
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	10
लेखापरीक्षा परिणाम	1.7	13
अभिस्वीकृति	1.8	15
v/;k;&II% okf.kfT;d dj		
कर प्रशासन	2.1	17
जीएसटी डेटा का एक्सेस न होना	2.2	19
लेखापरीक्षा परिणाम	2.3	19
कर का अवरोपण	2.4	20
केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत अंतर्राज्यीय तथा निर्यात संव्यवहारों के साथ वैधानिक फार्म एवं समर्थित दस्तावेजों को जमा किए जाने में अनियमितता।	2.5	21
v/;k;&III% okguk ij dj		
कर प्रशासन	3.1	25
लेखापरीक्षा परिणाम	3.2	26
मोटर यान कर की अप्राप्ति	3.3	27
v/;k;&IV% fo|r 'kYd		
कर प्रशासन	4.1	29
लेखापरीक्षा परिणाम	4.2	30
विद्युत शुल्क के विलंब से भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	4.3	31
v/;k;&V% okfudh rFkk oU; ik.kh		
कर प्रशासन	5.1	33
लेखापरीक्षा परिणाम	5.2	34
उपचार कार्यों के अतिच्छादन के कारण परिहार्य व्यय	5.3	35
बिगड़े वनों का सुधार रोपण रहित कार्य के उपर अनियमित व्यय	5.4	36

v/;k;&VI% enkd 'kYd ,o ikth;u Qhl		
प्रस्तावना	6.1	39
विभाग का क्रियाकलाप	6.2	39
संगठनात्मक संरचना	6.3	40
लेखापरीक्षा परिणाम	6.4	42
enkd 'kYd ,o ikth;u Qhl d fu/kkj.k] vkjki.k ,o lxg.k ij fu"iknu y[kkijh{kk	6.5	43
ifjf'k"V		75
'kCndk"k		121

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का यह प्रतिवेदन राज्य के विधान सभा के समक्ष रखे जाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य राजस्व प्राप्त करने वाले राजस्व क्षेत्र के विभागों के राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय की लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण परिणामों को प्रस्तुत करती है।

प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण, जो वर्ष 2018–19 की अवधि के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच के समय ध्यान में आए, साथ ही जो पूर्ववर्ती अवधि में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था; इस प्रतिवेदन में जहां आवश्यक है वहां पर वर्ष 2018–19 के बाद की अवधि का लेखापरीक्षा के प्रकरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

v/;k; I

fogxkoyksdu

v/;k; & I% fogxkoyksdu

1-1 ;g izfrosnu

इस प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य राजस्व विभागों की प्राप्तियों के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा का कार्य नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत किया गया है।

प्रतिवेदन में छः अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकायें एवं एक निष्पादन लेखापरीक्षा ''मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण'' सम्मिलित है। इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा परिणामों का कुल–राजस्व प्रभाव ₹ 88.57 करोड़ है। अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र निर्धारण है की, क्या दी गई विषय वस्तु (गतिविधि, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेन–देन, संस्था एवं संस्थाओं के समूह के संबंध में जानकारी) लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित संहिताओं इत्यादि एवं सुदृढ़ लोक वित्तीय प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतो एवं लोक अधिकारियों के आचरण का सभी तरह से अनुपालन करता है। निष्पादन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र, उद्देश्यात्मक एवं भरोसेमंद परीक्षण है कि क्या शासकीय इकाईयां, संस्थायें, कार्य, कार्यक्रम, निधियां, गतिविधियां (उनके प्रयोग्य सामग्रियों, प्रक्रियाओं, निर्गत, परिणामों एवं प्रभाव के साथ) मितव्ययी, दक्षता और प्रभावकारिता के सिद्धांतों के अनुसार प्रचालित है एवं क्या सुधार हेतु कोई गुंजाईश है।

प्रतिवेदन का मूलभूत प्रयोजन लेखापरीक्षा के परिणामों को राज्य विधान सभा के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से अपेक्षित है कि कार्यपालक सुधारात्मक कार्रवाई करने में समर्थ होंगे, संगठनों के उन्नत वित्तीय प्रबंधन के लिए उपयुक्त नीति तथा टिप्पणियाँ जारी करने एवं बेहतर शासन हेतु योगदान होगा।

इस प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा आपत्तियां संबंधित शासकीय विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के नमूना जाँच परिणामों पर आधारित है। समान अनियमिततायें, त्रुटियां/लोप इन विभागों के अन्य इकाईयों मे हो सकते है, जिसे नमूना लेखापरीक्षा में सम्मिलित नही किया गया है। अतः विभागों को सभी ईकाईयों का परीक्षण करना चाहिए जिससे सुनिश्चित हो कि कर का निर्धारण, आरोपण, संग्रहण एवं लेखाबद्ध अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

यह अध्याय छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2018–19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का विहंगावलोकन, पाँच वर्ष अवधि 2014–15 से 2018–19 के प्राप्तियों के प्रवृत्ति का विश्लेषण एवं बकाया करों जो 31 मार्च 2019 की स्थिति मे वसूली हेतु लंबित है, का विवरण प्रस्तुत करता है। आगे, राज्य के राजस्व प्राप्तियों की जाँच हेतु लेखापरीक्षा दृष्टिकोण उल्लेखित है, एवं लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर राज्य शासन की प्रतिक्रिया पर भी विचार विमर्श किया गया है।

1-2 jktLo izkfIr;ksa dh izo`fÙk

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित राजस्व (कर तथा करेत्तर राजस्व, राज्य को दिये गये विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से का निवल आगम, वर्ष 2018–19 में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं पिछले चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े) का संक्षिप्त विवरण rkfydk 1-1 में वर्णित है:

rkfydk 1-1% jktLo ikfIr;k dh iofÙk

¼₹ djkM+ e½

l-Ø	fooj.k	2014&15	2015&16	2016&17	2017&18	2018&19
1-	jkT; 'kklu }kjk lxfgr jktLo					
	dj jktLo	15,707.26	17,074.86	18,945.21	19,894.68	21,427.26
	foxr o"kZ dh rqyuk e of) dk ifr'kr	9-51	8-71	10-95	5-01	7-70
	करेत्तर jktLo	4,929.91	5,214.79	5,669.25	6,340.42	7,703.02
	foxr o"kZ dh rqyuk e of) dk ifr'kr	&3-36	5-78	8-71	11-84	21-49
	;kx	20]637-17	22]289-65	24]614-46	26]235-10	29]130-28
2-	Hkkjr ljdkj l ikfIr;k					
	foHkkT; l?kh; djk ,o 'kYdk e jkT; d fgLlk dk fuoy vkxe	8,363.03	15,716.47	18,809.16	20,754.81	23,458.69
	lgk;rk vuqnku[1]	8,987.81	8,061.59	10,261.63	12,657.17	12,505.96
	;kx	17]350-84	23]778-06	29]070-79	33]411-98	35]964-65
3-	jkT; dh dqy jktLo ikfIr;k ¼1 $ 2½	37]988-01	46]067-71	53]685-25	59]647-08	65]094-93
4-	1 dk 3 l ifr'kr	54	48	46	44	45

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें)

संसाधनो के जुटाव में राज्य के निष्पादन का निर्धारण राज्य के हिस्से का केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान जो वित्तीय आयोग के अनुशंसा पर आधारित है, को छोड़कर कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के आधार पर होता है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, राज्य का कर एवं करेत्तर राजस्व पाँच वर्ष अवधि 2014–19 में वृद्धि हो रही है। करेत्तर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 2018–19 के दौरान 21.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो प्रमुखतः अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, लघु एवं वृहद सिंचाई आदि से राजस्व की वृद्धि के कारण हुई। हालाँकि, राज्य शासन द्वारा अर्जित स्वयं के संसाधनों का प्रतिशत कुल राजस्व की तुलना में चार वर्ष अवधि 2014–15 से 2017–18 में कमी हो रही है, 2018–19 के मामूली बढ़त के पहले।

राज्य के राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न विच्छेदों का चित्रमय प्रदर्शन pkVZ 1-1 में दिया गया है:

[1] केंद्र प्रायोजित योजना, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा हो, को वित्त आयोग अनुदान एवं अन्य स्थानांतरण/अनुदान (इसमे भारत सरकार से प्राप्त वस्तु एवं सेवा कर पर क्षतिपूर्ति भी शामिल) है।

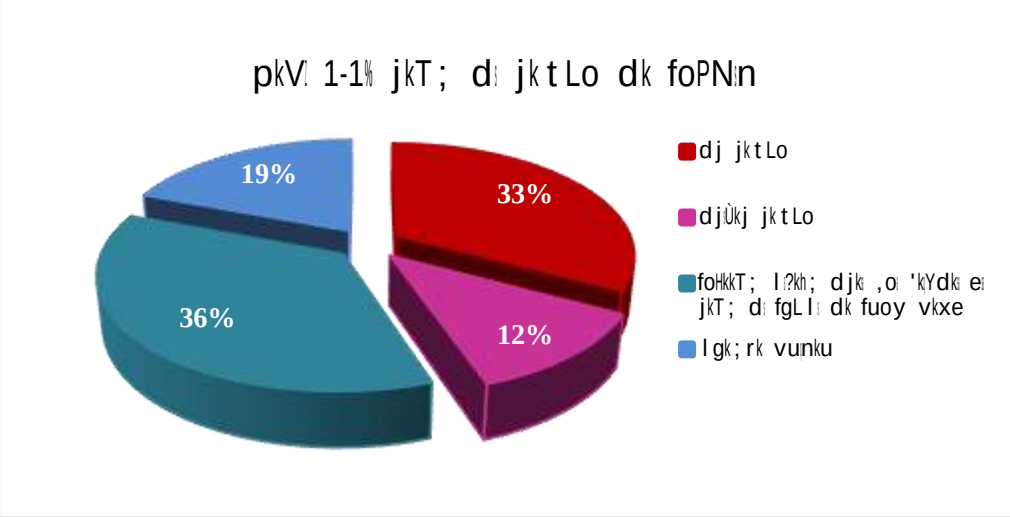

1-2-1 dj jktLo

वर्ष 2018–19 के लिए कर राजस्व के विभिन्न विच्छेदों का चित्रमय प्रदर्शन pkVZ 1-2 में दिया गया है:

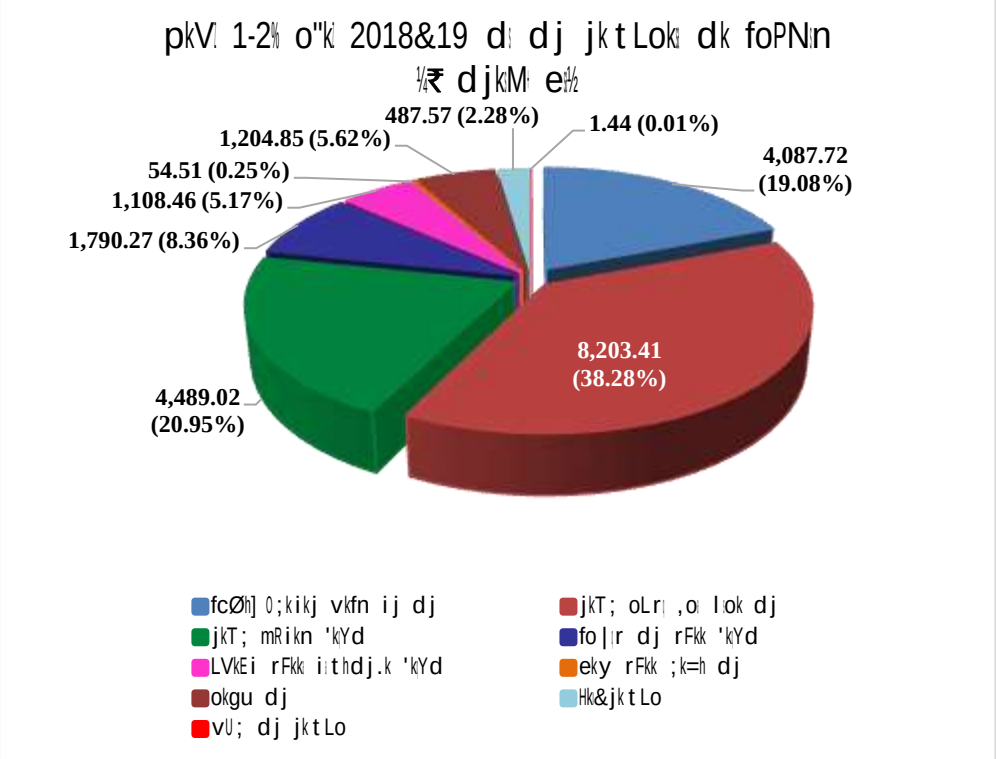

वर्ष 2014–19 के दौरान कर राजस्व का बजट अनुमान (ब.अ.) एवं वास्तविक प्राप्तियाँ rkfydk 1-2 में दी गई है:

Rkkfydk 1-2% 'kklu }kjk lzfgr dj jktLo dk fooj.k

¼₹ djksM+ esa½

jktLo 'kh"kZ		2014&15	2015&16	2016&17	2017&18	2018&19	o"kZ 2017&18 dh rqyuk esa vUrj dk izfr'kr
बिक्री,	C-V-	9,800.00	10,998.00	11,928.37	13,444.70	3,718.42	(–) 36.62

व्यापार आदि पर कर	okLrfod	8,428.61	8,908.36	9,927.21	6,449.60	4,087.72	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर[2]	c-v-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	3,212.82	5,006.65	
	okLrfod	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4,386.56	8,203.41[3]	(+) 87.01
राज्य उत्पाद शुल्क	c-v-	3,150.00	3,528.00	3,870.00	3,168.50	4,355.00	
	okLrfod	2,892.45	3,338.40	3,443.51	4,054.01	4,489.03	(+) 10.73
विद्युत कर तथा शुल्क	c-v-	1,100.00	1,400.00	1,575.00	1,650.00	1,850.00	
	okLrfod	1,312.93	1,372.84	1,495.48	1,688.95	1,790.27	(+) 6.00
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	c-v-	1,250.00	1,350.00	1,485.00	1,550.00	1,790.00	
	okLrfod	1,023.33	1,185.22	1,211.35	1,197.47	1,108.46	(–) 7.43
माल तथा यात्री कर[4]	c-v-	1,335.00	1,441.80	1,563.77	1,767.06	5.63	
	okLrfod	981.88	1,040.26	1,340.35	477.66	54.51	(–) 88.59
वाहन कर	c-v-	800.00	864.00	954.11	1,200.00	1,500.00	
	okLrfod	703.48	829.22	985.27	1,180.01	1,204.85	(+) 2.10
भू–राजस्व	c-v-	460.00	496.80	550.00	600.00	660.00	
	okLrfod	331.56	363.84	503.66	446.41	487.57	(+) 9.22
अन्य कर राजस्व[5]	c-v-	31.26	7.25	37.85	40.38	0.00	
	okLrfod	33.02	36.72	38.38	14.01	1.44	(–) 89.72
;kx	c-v-	17]926-26	20]085-85	21]964-10	26]633-46	18]885-70	
	okLrfod	15]707-26	17]074-86	18]945-21	19]894-68	21]427-26	¼\$½ 7-70

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)

बिक्री कर के अंतर्गत प्राप्तियाँ राज्य शासन द्वारा 2014–18 के दौरान बजट, प्रत्याशित अनुमानों से मेल नहीं खा सका परंतु 2018–19 के दौरान बजटीय अनुमान से अधिक्य रहा। राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत भी प्राप्तियाँ 2017–19 के दौरान बजटीय अनुमान से अधिक्य रही एवं 2018–19 के दौरान राज्य के लिए राजस्व का एकमात्र सबसे बड़ा श्रोत रहा। राज्य आबकारी प्राप्तियाँ 2017–19 के दौरान बजटीय अनुमान से अधिक्य रही परंतु स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क, एवं भू–राजस्व 2014–19 के दौरान प्रत्याशित अनुमानों से मेल नही खा सके।

---

2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर जैसे की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय और शौचालय तैयारी अधिनियम के तहत लगाया गया उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क (सी.वी.डी), सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस.ए.डी), राज्य अप्रत्यक्ष कर जैसे की मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर एवं क्रय कर को राज्य वस्तु एवं सेवा कर में शामिल किया गया है।

3 राज्य वस्तु एवं सेवा कर में राशि ₹ 8,203.41 करोड़ के प्राप्ति के अतिरिक्त, भारत सरकार से अवधि 2018–19 में राज्य वस्तु एव सेवा कर पर क्षतिपूर्ति राशि ₹ 2,261.00 करोड़ प्राप्त हुए थे।

4 2018–19 की अवधि के दौरान माल तथा यात्री कर का प्रमुख भाग (97 प्रतिशत) प्रवेश कर से है, जिसे समाप्त कर 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित कर दिया गया है।

5 'अन्य' में वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित राजस्व मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ सम्मिलित हैः होटल प्राप्ति कर (₹ 1.00 करोड़); आय और व्यय पर अन्य कर (₹ 0.16 करोड़) और वस्तुओं और अन्य सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (₹ 0.28 करोड़)।

संबंधित विभागों द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में अंतर साथ ही कुछ मामलों मे पूर्व वर्ष से प्राप्ति में कमी के निम्नलिखित कारण सूचित किये गये।

fcØh] O;kikj vkfn ij dj% पूर्व में मूल्य सवंर्धित कर सभी वस्तुओं पर लागू थी परंतु वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के 1 जुलाई 2017 से कार्यान्वयन पश्चात पेट्रोल, डीजल, विमानन टरबाइन ईधन, प्राकृतिक गैस एवं मदिरा को छोड़कर सभी वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर लागू है जिसके कारण बिक्री, व्यापार आदि पर कर में 36.62 प्रतिशत की कमी हुई।

jkT; oLrq ,oa lsok dj% वित्तीय वर्ष 2017–18 में जीएसटी से प्राप्त राजस्व प्राप्तियों में 01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक की ही राजस्व प्राप्तियाँ शामिल थी। चूँकि वर्ष 2018–19 के राजस्व प्राप्तियों में सम्पूर्ण अवधि शामिल है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 87.01 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों से 63.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

jkT; mRikn 'kqYd% वृद्धि (10.73 प्रतिशत) 23 फरवरी 2017 को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गठन के फलस्वरूप अवैध मदिरा की बिक्री पर नियंत्रण के कारण हुई। आगे पूर्ववर्ती वर्ष 2017–18 की तुलना में 2018–19 में देशी/विदेशी मदिरा की अधिक खपत होने से डयूटी एवं काउंटर वैलिंग डयूटी की प्राप्ति में वृद्धि हुई।

eky rFkk ;k=h dj% कमी (88.59 प्रतिशत) 01 जुलाई 2017 से प्रवेश कर का वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित होने के कारण हुई। बजट अनुमान से 868.21 प्रतिशत की वृद्धि बकाया राजस्व की वसूली के कारण हुई।

eqnzkd ,oa iathdj.k 'kqYd% बजट अनुमान से 38.07 प्रतिशत की कमी छोटे भू–खण्डों के पंजीयन पर प्रतिबंध एवं वर्ष के दौरान कम संख्या में दस्तावेजों के पंजीयन के कारण हुई।

1-2-2 djsत्तर jktLo

वर्ष 2018–19 के करेत्तर राजस्व का विच्छेद **pkVZ 1-3** में दर्शाया गया है।

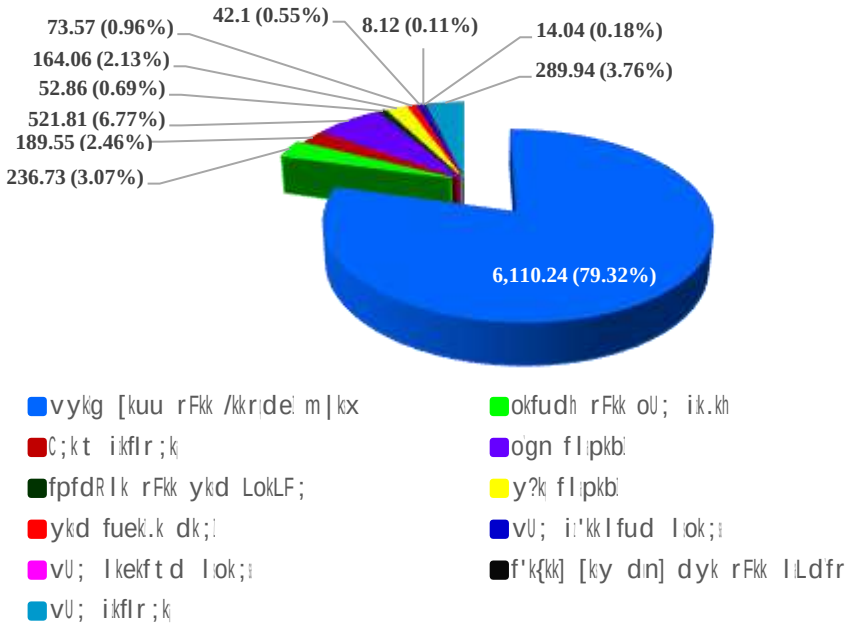

2014–19 की अवधि के दौरान उदग्रहीत करेत्तर राजस्व का विवरण rkfydk 1-3 में दर्शाया गया है:

rkfydk 1-3% 'kklu }kjk mnxzghr djsÙkj jktLo dk fooj.k

¼₹ djksM+ esa½

jktLo 'kh"kZ		2014&15	2015&16	2016&17	2017&18	2018&19	2017&18 dh rqyuk esa 2018&19 esa vUrj dk izfr'kr
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	c-v-	4,100.00	7,000.00	5,500.00	5,600.00	6,000.00	(+) 24.41
	okLrfod	3,572.68	3,709.52	4,141.47	4,911.44	6,110.24	
वानिकी तथा वन्य प्राणी	c-v-	520.00	500.00	550.00	600.00	600.00	(–) 18.70
	okLrfod	348.72	409.75	405.15	291.17	236.73	
ब्याज प्राप्तियाँ	c-v-	323.40	260.67	249.38	137.25	132.93	(+) 5.05
	okLrfod	171.89	108.23	157.24	180.44	189.55	
वृहद सिंचाई	c-v-	413.55	389.34	586.47	703.68	738.89	(+) 13.13
	okLrfod	410.95	502.17	437.35	461.23	521.81	
लघु सिंचाई	c-v-	561.50	277.47	288.34	288.34	302.76	(+) 34.77
	okLrfod	127.23	121.91	180.84	121.73	164.06	
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	c-v-	14.80	16.22	15.93	29.33	45.99	(+) 0.57
	okLrfod	20.16	43.15	46.50	52.56	52.86	
लोक निर्माण कार्य	c-v-	18.93	21.77	43.72	73.70	43.00	(+) 35.51
	okLrfod	39.21	42.73	41.12	54.29	73.57	
अन्य प्रशासनिक सेवायें	c-v-	16.06	30.40	23.69	65.43	42.82	(+) 5.75
	okLrfod	36.45	65.52	36.66	39.81	42.10	
अन्य सामाजिक सेवायें	c-v-	10.00	6.26	4.30	30.00	30.00	(–) 53.39
	okLrfod	41.74	29.15	28.71	17.42	8.12	
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	c-v-	4.65	5.65	7.60	6.97	28.03	(–) 18.13
	okLrfod	30.78	13.07	27.04	17.15	14.04	
अन्य करेत्तर प्रप्तियाँ	c-v-	201.73	155.21	150.71	169.50	205.58	(+) 50.09
	okLrfod	130.10	169.59	167.17	193.18	289.94[6]	
;ksx	c-v-	6]184-62	8]662-99	7]420-14	7]704-20	8]170-00	(+) 21-49
	okLrfod	4]929-91	5]214-79	5]669-25	6]340-42	7]703-02	

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)

6 अन्य करेत्तर प्राप्तियों में वर्ष 2018–19 में निम्न मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ सम्मिलित है: लाभांश तथा लाभ (₹ 1.49 करोड़); लोक सेवा आयोग (₹ 8.58 करोड़); पुलिस (₹ 29.18 करोड़); जेल (₹ 5.78 करोड़); लेखन सामग्री तथा मुद्रण (₹ 2.84 करोड़); पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली (₹ 23.23 करोड़); विविध सामान्य सेवायें (₹ 59.54 करोड़); परिवार कल्याण (₹ 0.07 करोड़); जल पूर्ति तथा सफाई (₹ 4.57 करोड़); आवास (₹ 4.34 करोड़); नगर विकास (₹ 30.31 करोड़); सूचना एवं प्रचार (₹ 0.33 करोड़); श्रम तथा रोजगार (₹ 26.75 करोड़); सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 5.70 करोड़); फसल कृषि कर्म (₹ 25.82 करोड़); पशुपालन (₹ 6.11 करोड़); मछली पालन (₹ 5.44 करोड़); खाद्य भंडारण तथा भांडागारण (₹ 0.63 करोड़); सहकारिता (₹ 7.94 करोड़); अन्य कृषि कार्यक्रम (₹ 1.28 करोड़); अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (₹ 4.30 करोड़); मध्यम सिंचाई (₹ 11.30 करोड़); ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग (₹ 5.62 करोड़); उद्योग (₹ 5.31 करोड़); नगर विमानन (₹ 0.17 करोड़); सड़क तथा पुल (₹ 2.10 करोड़) एवं अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (₹ 11.19 करोड़)।

संबंधित विभागों द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में अंतर साथ ही कुछ मामलों में पूर्व वर्ष से प्राप्ति में कमी के निम्नलिखित कारण सूचित किये गये।

vykg [kuu rFkk /kkrqde m|kx% वृद्धि (24.41 प्रतिशत) विगत वर्ष की तुलना में कोयला (13.60 प्रतिशत), लौह अयस्क (1.04 प्रतिशत) और चूना पत्थर (18.89 प्रतिशत) के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई।

okfudh rFkk oU; i.kh% प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 18.70 प्रतिशत की कमी 15 संभाग धमतरी, गरियाबंद, रायगढ़, धरमजयगढ़, मुंगेली, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, जशपुर, दक्षिण कोंडागाँव, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा एवं सुकमा में कार्य आयोजना की मंजूरी नहीं मिलने के कारण हुई जिससे कूपों में कार्य निष्पादित नहीं किया जा सका। इस मद के अन्तर्गत की प्राप्तियों में भी बजटीय प्रत्याशाओं से 60.55 प्रतिशत की कमी इन्ही कारणों से हुई।

y/k flpkb% इस मद में राजस्व की वृद्धि 34.77 प्रतिशत उद्योगों[7] द्वारा शेष बकाया के जमा करने से हुई। बजट अनुमान की तुलना में कमी (45.81 प्रतिशत) औद्योगिक संस्थाओं द्वारा जल कर नहीं जमा करने एवं स्थानीय निकायों से जल कर की अप्राप्ति से हुई। आगे, राज्य शासन द्वारा किसानों को कर के भुगतान से छूट दी गई।

ogn flpkb% वृद्धि (13.13 प्रतिशत) कोरबा एवं रायपुर नगर निगम के द्वारा शेष जलकर की राशि जमा करने के कारण हुई। बजट अनुमान की तुलना में कमी (29.38 प्रतिशत) राज्य शासन द्वारा छूट दिये जाने एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, द्वारा जल कर के बकाया राजस्व का भुगतान नहीं करने के कारण हुई।

f'k{kk] [kydn] dyk rFkk lLdfr% वर्ष 2017–18 के दौरान पुराने वाहनों की नीलामी से राजस्व में वृद्धि हुई; अतः पिछले वर्ष की तुलना में 2018–19 के वास्तविक प्राप्तियाँ में कमी (18.13 प्रतिशत) हुई।

vU; djÙkj ikflr;k% वृद्धि (50.09 प्रतिशत) मुख्यतः पुलिस, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली, विविध सामान्य सेवाएँ, सूचना एवं प्रचार, फसल कृषिकर्म, सहकारिता एवं मध्यम सिंचाई मदों में राजस्व की वृद्धि के कारण हुई।

1-3 y[kkijh{kk ikf/kdkj

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 एवं नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. अधिनियम) से व्युत्पन्न होते हैं। नियंत्रक महालेखापरीक्षक सरकार की प्राप्तियों को डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत लेखापरीक्षा करता है।

1-4 y[kkijh{kk dh ;ktuk ,o lpkyu

निम्नलिखित **iokg lfp=** योजना, लेखापरीक्षा का संचालन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को तैयार करने की प्रक्रिया को दर्शाता है।

[7] 27 उद्योगों द्वारा बकाया राशि ₹ 23.53 करोड़ जमा किया गया।

fp=&1-1 ;kstuk] y[kkijh{kk dk lapkyu ,o y[kkijh{kk ifronu dh rS;kjh

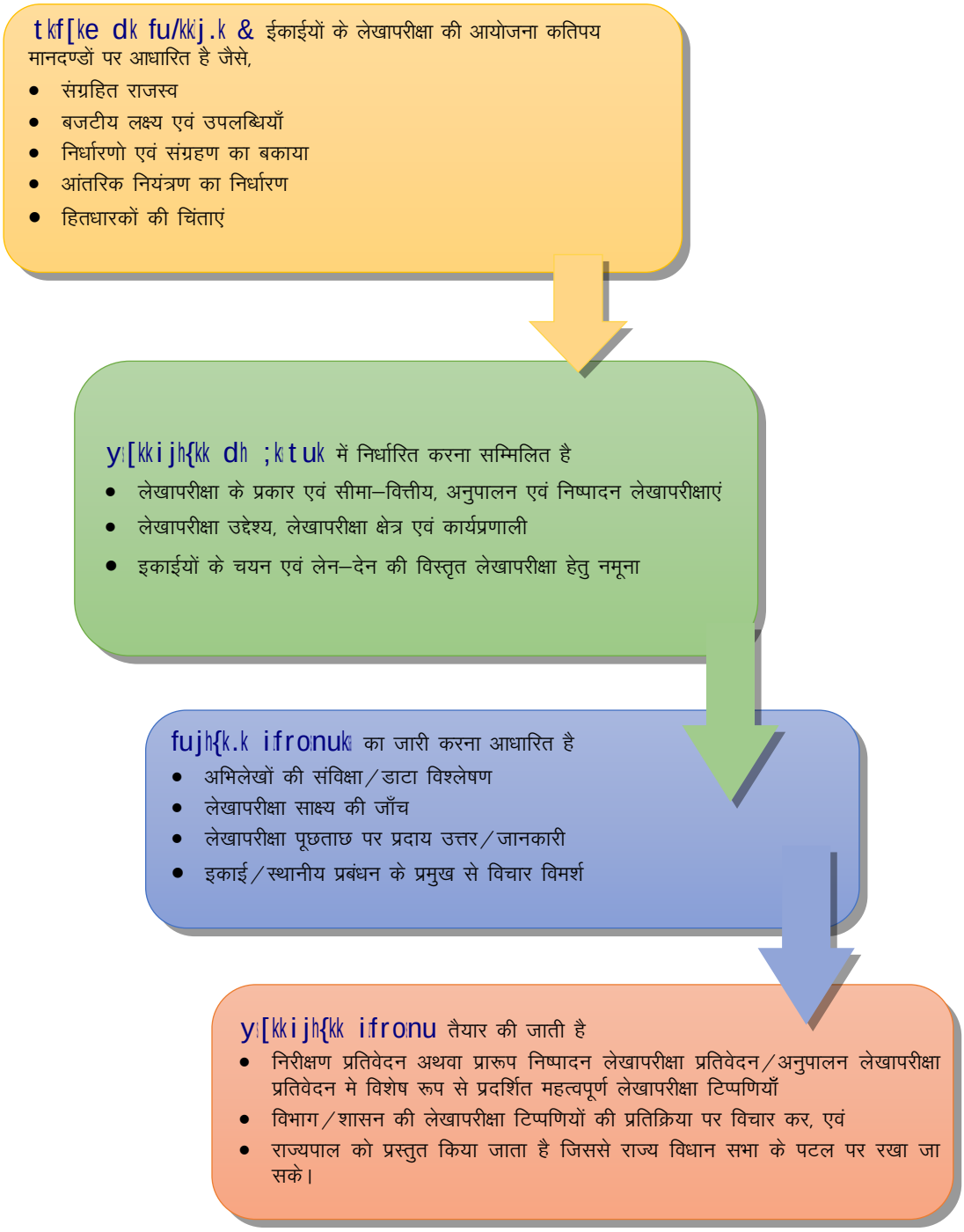

tkf[ke dk fu/kkj.k & ईकाईयों के लेखापरीक्षा की आयोजना कतिपय मानदण्डों पर आधारित है जैसे,

- संग्रहित राजस्व
- बजटीय लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ
- निर्धारणो एवं संग्रहण का बकाया
- आंतरिक नियंत्रण का निर्धारण
- हितधारकों की चिंताएं

y[kkijh{kk dh ;kstuk में निर्धारित करना सम्मिलित है

- लेखापरीक्षा के प्रकार एवं सीमा–वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षाएं
- लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली
- इकाईयों के चयन एवं लेन–देन की विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु नमूना

fujh{k.k ifronuk का जारी करना आधारित है

- अभिलेखों की संविक्षा/डाटा विश्लेषण
- लेखापरीक्षा साक्ष्य की जाँच
- लेखापरीक्षा पूछताछ पर प्रदाय उत्तर/जानकारी
- इकाई/स्थानीय प्रबंधन के प्रमुख से विचार विमर्श

y[kkijh{kk ifronu तैयार की जाती है

- निरीक्षण प्रतिवेदन अथवा प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मे विशेष रूप से प्रदर्शित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
- विभाग/शासन की लेखापरीक्षा टिप्पणियों की प्रतिक्रिया पर विचार कर, एवं
- राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है जिससे राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जा सके।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर, इकाई के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जिसमे लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित है, एक माह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निवेदन कर जारी किया जाता है। उत्तर प्राप्त होने पर, लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निपटान किया जाता है अथवा अनुपालन हेतु आगे की कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन नि.प्र. में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जिसे शासन के उच्चतम स्तर पर ध्यान की आवश्यकता हो, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मे शामिल करने के लिए कार्रवाई की जाती है। इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है जिससे वे विधान सभा के पटल पर रखे जा सके।

वर्ष 2018–19 के दौरान आठ[8] विभागों के अंतर्गत कुल 537 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 45 ईकाइयों की लेखापरीक्षा की योजना की गयी एवं कुल 49 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गयी।

1-5 cdk;k jktLo dk fo'ys"k.k

31 मार्च 2019 की स्थिति में सात विभागों का बकाया राजस्व ₹ 8,349.95 करोड़ था, जिसमें से ₹ 1,465.74 करोड़ (17.55 प्रतिशत) पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि rkfydk 1-4 में वर्णन किया गया है:

Rkkfydk 1-4% 31 ekpZ 2019 dh fLFkfr esa cdk;k jktLo

¼₹ djksM+ esa½

l- Ø-	jktLo 'kh"kZ	dqy cdk;k jktLo	ikap o"kZ ls vf/kd le; ls cdk;k राशि	cdk;k izdj.kksa dh oLrq&fLFkfr ds lac/k esa foHkkx dk mÙkj
1.	विद्युत कर तथा शुल्क	5,182.74	94.11	राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी (₹ 856.50 करोड़); न्यायालयों में लंबित (₹ 201.70 करोड़); अन्य बकाया राशि (₹ 4,124.54 करोड़)।
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,969.00	1,231.99	न्यायालय से रोक (₹ 926.87 करोड़); बीमार उद्योग (₹ 7.55 करोड़); अपलेखन (₹ 2.20 करोड़); अपील एवं संशोधन में लंबित (₹ 330.76 करोड़); फर्मों का व्यवसाय बंद (₹ 869.42 करोड़); अन्य राज्यों को जारी किए गए आर आर सी (₹ 282.15 करोड़); वसूली प्रक्रियाधीन (₹ 550.05 करोड़)।
3.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	124.72	97.31	विभाग द्वारा कहा (जून 2020) गया कि हर माह चूककर्ताओं को मांग पत्र जारी किया गया एवं प्रकरणों को कलेक्टर द्वारा तहसीलदारों को बकाया की वसूली हेतु भेजा गया है। आगे मांग पत्र जारी करने के बाद भी पक्ष अनुपस्थित रहे एवं उच्च न्यायालय/राजस्व परिषद से रोक के कारण भी राशि लंबित रही। बारम्बार अनुरोध किये जाने पर भी विभाग द्वारा बकाया किन स्तरों पर लंबित है, का विवरण प्रदाय नहीं किया गया।
4.	राज्य उत्पाद शुल्क	52.50	27.84	आरआरसी जारी किया (₹ 48.16 करोड़); न्यायालय में लंबित (₹ 4.19 करोड़); अन्य ₹ 0.15 करोड।
5.	वानिकी तथा वन्य प्राणी	10.29	5.51	बारम्बार अनुरोध किये जाने पर भी विभाग द्वारा बकाया किन स्तरों पर लंबित है, का विवरण प्रदाय नहीं किया गया।

[8] वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, भू–राजस्व, परिवहन, वाणिज्यिक कर (पंजीयन), खनिज संसाधन, वन एवं विद्युत (ऊर्जा)

6.	वाहन कर	9.77	8.05	न्यायालय में लंबित (₹ 0.84 करोड़)। विभाग ने ₹ 8.93 करोड़ की शेष राशि की स्थिति प्रदान नहीं किया।
7.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	0.93[9]	0.93	विभाग ने कहा (दिसम्बर 2019) कि विशेष अभियान द्वारा खनन अधिकारियों को बकाया वसूलने के निर्देश जारी किए गए हैं एवं जिला अधिकारीयों को अत्यंत पुराने बकाया राशि के अपलेखन के लिए प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देश दिए गए है।
	;ksx	8,349-95	1,465-74	

(स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदायित जानकारी)

आपदा एवं राजस्व प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य के 27 जिलों में से केवल नौ जिलों से संबंधित बकाया का विवरण ही प्रदाय किया जा सका।

31 मार्च 2019 की स्थिति में सात मुख्य विभागों का राजस्व बकाया ₹ 8,349.95 करोड़ था जिसमें से ₹ 2,969.00 करोड़ वाणिज्यिक कर–वस्तु एवं सेवा कर विभाग से संबंधित था। वाणिज्यिक कर–वस्तु एवं सेवा कर विभाग के बकाया राजस्व जो कुल बकाया का 36 प्रतिशत था, का लेखापरीक्षा विश्लेषण किये जाने पर निम्नानुसार पाया गयाः

वाणिज्यिक कर विभाग के नौ[10] वृत्तों का राजस्व बकाया ₹ 1,268.03 करोड़ (वाणिज्यिक कर–वस्तु एवं सेवा कर विभाग के कुल बकाया का 42.71 प्रतिशत) था। चुने गए नौ वृत्तों के प्रत्येक वृत्त के शीर्ष 10 बकायेदारों से संबंधित नस्ति जिसमें ₹ 703.21 करोड़ (कुल बकाया का 23.69 प्रतिशत) सम्मिलित थे, की जांच की गयी एवं पाया गया किः

- लगभग सभी प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आर.आर.सी) जारी की गयी है जिसका अनुसरण बैंक खाता एवं अचल संपत्ति को कुर्की कर किया जाना है।
- विभाग, आयकर विभाग, नगर निगम, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, उप पंजीयक एवं तहसीलदारों से बकायदारों के अचल संपत्तियों का विवरण प्राप्त करने हेतु निरंतर पत्राचार कर रही है।

1-6 y[kkijh{kk ds ifr 'kklu@foHkkxks dh ifrfØ;k

1-6-1 cdk;k fujh{k.k ifronuks dh fLFkfr

शासकीय विभागों एवं कार्यालयों के लेखापरीक्षा समाप्ति उपरांत संबंधित कार्यालय प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है तथा उसकी प्रति संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारीयों को प्रेषित की जाती है, ताकि उस पर सुधारात्मक कार्यवाही एवं निगरानी की जा सके। गंभीर वित्तीय अनियमिततायें विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

31 मार्च 2019 तक कि स्थिति में जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि 2,623 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 10,614 कंडिकाएँ जिसमें राशि ₹ 9,891.26 करोड़ के सम्भावी राजस्व सन्निहित है, नवम्बर 2020 तक बकाया थे। विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विवरण नीचे rkfydk 1-5 में दर्शित हैः

[9] विभाग द्वारा बकाया त्रुटिवश 2017–18 में ₹ 0.77 करोड़ का कथन किया गया जो ₹ 0.18 करोड़ की चूक से हुई जिसमें से 2018–19 में ₹ 0.02 करोड़ वसूल किए गये।

[10] वा.क.अ., संभाग 1, रायपुर के वृत्त 1 से 5 एवं संभाग 2, रायपुर के वृत्त 6 से 9 ।

rkfydk 1-5% foHkkxokj ykfcr fujh{k.k izfrosnuksa dh fLFkfr

¼₹ djksM+ esa½

l-Ø-	foHkkx dk uke	jktLo dh izd`fr	fu-i- dk izdkj	cdk;k fu-i- dh la[;k	cdk;k ys[kkijh{kk izs{k.kksa dh la[;k	lfUufgr jkf'k
1.	वाणिज्यिक कर–वस्तु एवं सेवा कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	jkt-	504	3,312	641.26
			0;;	51	85	5.95
2.	आबकारी विभाग	राज्य उत्पाद	jkt-	149	365	2,112.23
		मनोरंजन कर	jkt-	96	152	4.18
		उत्पाद एवं मनोरंजन कर	0;;	35	62	27.63
3.	पंजीयन विभाग	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	jkt-	228	571	102.49
			0;;	7	19	3.81
4.	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	भू–राजस्व	jkt-	596	1,884	1,100.87
			0;;	47	120	13.82
5.	परिवहन	वाहन कर	jkt-	184	1,391	240.50
			0;;	51	109	0.21
6.	खनिज साधन	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	jkt-	173	660	1,417.30
			0;;	41	73	363.54
7.	वन	वानिकी तथा वन्य प्राणी	jkt-	385	1,149	1,273.25
			0;;	445	2,167	975.29
8.	ऊर्जा	विद्युत कर तथा शुल्क	jkt-	20	88	2,347.99
			0;;	6	18	8,031.59
9.	अन्य कर विभागों	अन्य प्राप्तियाँ	jkt-	288	1,042	651.19
			0;;	1	10	0.13
			jkt-	2,623	10,614	9,891.26
			0;;	684	2,663	9,421.97
;ksx				3]307	13]277	19]313-23

jkt-&jktLo

वर्ष 2018–19 के दौरान जारी किये गये लेखापरीक्षा के 49 निरीक्षण प्रतिवेदनों से 28[11] निरीक्षण प्रतिवेदनों (57.14 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर कार्यालय प्रमुख से प्राप्त नहीं हुए है।

नि.प्र. एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं में कार्यवाही की कमी इन प्रतिवेदनों में इंगित किये गये गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को निरंतर रखने के जोखिम से युक्त है। इससे शासन प्रक्रिया के आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरी, अकुशल एवं अप्रभावी सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं, धोखा, भ्रष्टाचार एवं सरकारी खजानें को हानि भी हो सकती है।

---

[11] वाणिज्यिक कर–09; परिवहन–01; वन–10; आबकारी–06; राजस्व एवं आपदा प्रबंधन–01 और खनिज साधन–01

vuq'kalk

jkT; 'kklu ys[kkijh{kk fVIif.k;ksa ij Rofjr ,oa mfpr ifrfØ;k lqfuf'pr djs rFkk tks fu-i-@dafMdk,¡ ij mÙkj fu/kkfjr le; esa iLrqr djus esa foQy jgrs gSa mudsa fo:) dkjZokbZ djsA

1-6-2 ik:i ys[kkijh{kk dafMdkvksa ij 'kklu dh ifrfØ;k

तथ्यात्मक विवरण जो प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है एवं प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकायें जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है, प्रधान महालेखाकार द्वारा संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित करते हुए एवं उत्तर छः सप्ताह के भीतर देने हेतु निवेदन करते हुए प्रेषित किया जाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा विभाग को जारी किये गये 51 तथ्यात्मक विवरण में से 26 तथ्यात्मक विवरणों (51 प्रतिशत) के उत्तर (नवम्बर 2020) प्राप्त नहीं हुए।

इस प्रतिवेदन में शामिल छः अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकायें एवं ''मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण'' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को 2019–20 एवं 2020–21 को उनके टिप्पणियाँ एवं प्रतिक्रिया के लिए भेजी गई थी। हालांकि, विभाग/शासन द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर उत्तर दिये गये, छः में से चार अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2019)। विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों के उत्तर जहाँ प्राप्त हुए है, उचित स्थान पर प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये है।

1-6-3 foHkkxh; ys[kkijh{kk lfefr dh cSBd

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति की निगरानी एवं उसे त्वरित करने शासन द्वारा लेखापरीक्षा समिति की स्थापना की जाती है।

वर्ष 2018–19 के दौरान अयोजित लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों की संख्या का विवरण rkfydk 1-6 में दर्शाया गया है।

rkfydk 1-6% ys[kkijh{kk lfefr cSBdksa dk fooj.k

foHkkx	vk;ksftr cSBdksa dh l[;k ,oa mu cSBdksa ds fnukad	ppkZ dh xbZ dafMdkvksa dh l[;k	fujkd`r dafMdkvksa dh l[;k	fujkd`r dafMdkvksa dk izfr'kr	jkf'k ¼₹ yk[k esa½
राज्य आबकारी	1 (14/4/2018)	74	32	43.24	587.55
पंजीयन	1 (10/5/2018)	307	141	45.93	399.34
;ksx		381	173	89-17	986-89

लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु लेखापरीक्षा समिति बैठकों के आयोजन करने के प्रयास किये गये एवं मामला विभागों के प्रमुखों तक ले जाया गया। यद्यपि, वर्ष 2018–19 के दौरान केवल दो विभागों, राज्य आबकारी एवं पंजीयन विभागों द्वारा ही लेखापरीक्षा समिति बैंठकों का आयोजन किया गया।

vuq'kalk

jkT; 'kklu leLr foHkkxksa dks funsZf'kr djs fd le;≤ ij ys[kkijh{kk lfefr cSBdksa dk vk;kstu djsa] yafcr ys[kkijh{kk i{k.kksa dk fujkdj.k djs ,oa lqfuf'pr djs fd yafcr dafMdkvksa ds fujkdj.k gsrq ys[kkijh{kk dks izklafxd vfHkys[k vuqlru dj izLrqr djsaA

1-6-4 ys[kkijh{kk gsrq vfHkys[kksa dks izLrqr ugha fd;k tkuk

कर राजस्व/करेत्तर राजस्व कार्यालयों का स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम अग्रिम में तैयार किया जाता है और विभागों को सूचना भेज दी जाती है जिससे विभाग लेखापरीक्षा जाँच हेतु प्रासंगिक अभिलेख तैयार कर सके।

अवधि 2018–19 में 28[12] कर निर्धारण नस्तियां, विवरणियाँ, प्रतिदाय, दस्तावेज, पंजियां एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये। निरीक्षण प्रतिवेदनों में इस मुद्दे पर प्रकाश डाला गया एवं संबंधित विभागों के सचिवों को सूचित किया गया। किसी भी प्रकरण में कर के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना खतरों का सूचक है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा संव्यवहारों के सत्यता की प्रमाणिकता नहीं की जा सकी तथा धोखाधड़ी की संभावनाओं एवं जनता के धन के दुरूपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता।

vuq'kalk

'kklu ,sls mi;qDr ra= LFkkfir djs ftlls ;g lqfuf'pr fd;k tk lds fd foHkkxh; vf/kdkfj;ksa }kjk ys[kkijh{kk tkap gsrq ekax dh x;h leLr vfHkys[kksa dks izLrqr djs ,oa ,sls vf/kdkfj;ksa ds fo:) अनुशासनkRed dkjZokbZ izkjaHk djs tks bl lac/k esa ikyu djus esa foQy jgrs gSaA

1-6-5 ys[kkijh{kk ij vuqlj.k&lkjka'k fLFkfr

वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशानुसार, सभी विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी कंडिकाओं के व्याख्यात्मक उत्तर (विभागीय टिप्पणी) छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर प्रस्तुत होने की स्थिति से तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवदेन (राजस्व क्षेत्र) की समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2009 से 31 मार्च 2018 तक की 232 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा को सम्मिलित कर) को राज्य विधानसभा में मार्च 2010 एवं मार्च 2020 के मध्य प्रस्तुत किया गया।

लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा 2002–03 से 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 173 चुनिंदा कंडिकाओं में से 154 कंडिकाओं का चर्चा हेतु चयन किया गया था एवं वर्ष 2002–03 से 2011–12 एवं 2013–14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 55 कंडिकाओं पर अनुशंसा दी गयी। परंतु 2010–11 एवं 2019–20 के मध्य 22[13] अनुशंसाओं पर संबंधित विभागों से नवम्बर 2020 की स्थिति में कार्रवाई टीप (ए.टी.एन.) अप्राप्त है।

1-7 ys[kkijh{kk ifj.kke

वर्ष 2018–19 के दौरान वाणिज्यिक कर–वस्तु एवं सेवा कर, राज्य आबकारी, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस, विद्युत कर तथा शुल्क, खनिज प्राप्तियाँ, वाहन कर एवं

[12] वाणिज्यिक कर–वस्तु एवं सेवा कर –17 प्रकरण एवं वन –11 प्रकरण

[13] वाणिज्यिक कर–वस्तु एवं सेवा कर–07; आबकारी–02; वन–02; खनिज–01; परिवहन–05; विद्युत (ऊर्जा)–02; ब्याज प्राप्तियाँ –01 एवं जल संसाधन–02

वानिकी तथा वन्य प्राणी के 49 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में कर, शुल्क एवं फीस के अवरोपण/अनारोपण, राजस्व की हानि, अनियमित/परिहार्य व्यय आदि के 6,603 प्रकरणों में कुल सन्निहित राशि ₹ 265.02 करोड़ की अनियमिततायें पायी गई। संबंधित विभागों द्वारा अवनिर्धारणों एवं अन्य कमियों के 1,795 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 6.67 करोड़ को स्वीकार किया गया।

आगे, वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित एक निष्पादन लेखापरीक्षा "मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण" में ₹ 72.39 करोड़ का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम/अनारोपण पाया गया। विभाग द्वारा ₹ 63.87 करोड़ का न्यून मूल्यांकन स्वीकार किया गया।

इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को नीचे संक्षिप्त में दिया गया है :

1-7-1 okf.kfT;d dj

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा नौ प्रकरणों में वैट की कम दर लागू की गई, जिसके परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 1.54 करोड़ का अवरोपण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 3.08 करोड़ का शास्ति भी आरोपणीय है।

¼dfMdk 2-4½

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अंतर्राज्य विक्रय, माल अंतरण, पारगमन और निर्यात विक्रय के विरूद्ध दिये गये छुट/रियायती कर की दर गलत स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप कर ₹ 1.53 करोड़ का अन/अवरोपण हुआ।

¼dfMdk 2-5½

1-7-2 okguksa ij dj

पाँच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (क्षे.प.अ.)/जिला परिवहन अधिकारियों (जि.प.अ.) द्वारा वाहन स्वामियों से मोटरयान कर का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहने से 471 वाहन स्वामियों से कर ₹ 1.26 करोड़ एवं शास्ति ₹ 1.26 करोड़ की वसूली नही हुई।

¼dfMdk 3-3½

1-7-3 fo|qr 'kqYd

विद्युत शुल्क के विलंब से भुगतान पर मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा ब्याज आरोपित करने में विफलता के फलस्वरूप ब्याज ₹ 1.24 करोड की अप्राप्ति।

¼dfMdk 4-3½

1-7-4 okfudh rFkk oU; izk.kh

दो वनमण्डलाधिकारियों द्वारा विभागीय अनुदेशों का अनुपालन न करने के कारण ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन कार्यों पर ₹ 1.30 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

¼dfMdk 5-3½

तीन वनमण्डलाधिकारियों द्वारा कार्य योजना कोड के प्रावधानों का उल्लंघन कर वृक्षारोपण कार्य वृत के 1,418.557 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपणरहित बिगड़े वनों की पुर्नस्थापना का कार्य किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ दो करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

¼dfMdk 5-4½

1-7-5 enkd 'kYd ,o ith;u Qhl

enkd 'kYd ,o ith;u Qhl dk fu/kkj.k] vkjki.k ,o lxg.k पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गईः

विभाग द्वारा स्टॉक/कमोडिटी एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पर मुद्रांक शुल्क के प्राप्ति के लिए ठोस प्रयास नहीं किये गये, परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क की राशि ₹ 63.71 करोड़ की प्राप्ति नहीं हो सकी।

¼dfMdk 6-5-4-4½

विलेखों के गलत वर्गीकरण, बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के प्रावधानों का पालन न करने, एवं दस्तावेजों में तथ्यों की अनदेखी करने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 8.52 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

¼dfMdk 6-5-4-9½

विभाग द्वारा सेवा प्रदाता को 'गो–लाईव' प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। आगे, प्रस्तावों हेतु अनुरोधों (आर.एफ.पी.) में उल्लेखित न्यूनतम सेवा स्तर मानकों की प्राप्ति के लिए सेवा स्तर करार (एस.एल.ए) का निष्पादन भी नहीं किया गया।

¼dfMdk 6-5-4-14 ¼v½] ¼c½ ,o ¼l½½

वर्ष 2017 में पहली बार सिक्यूरीटी आडिट की वैद्यता समाप्त होने के बाद कोई भी सिक्यूरीटी आडिट नहीं कराया गया। आगे, आर.एफ.पी. में प्रावधान के बावजुद बायोमेट्रिक आधारित पक्षकारों/गवाहों के पहचान एवं सत्यापन के लिए कोई प्रावधान नहीं किये गये।

¼dfMdk 6-5-4-15 ¼v½ ,o ¼c½½

सेवा प्रदाता द्वारा सिस्टम का यूजर एक्सेपटेंस टेस्टिंग (यू.ए.टी.) बगैर विभाग के भागीदारी के एकपक्षिय किया गया। यू.ए.टी. में प्रभावी भागीदारी होने से बीजनेस लाजिक के मैपिंग में कमियों का संबोधन किया जा सकता था।

¼dfMdk 6-5-4-16½

विलेखों के आवश्यक डाटा को एकत्रित करने के लिए एकल इनपुट फार्म पर्याप्त नहीं था। आगे, एप्लिकेशन में 'निष्पादन दिनांक' की प्रविष्टि के लिए प्रावधान नहीं था। जिसके चलते पंजीयन प्राधिकारी को संपत्तियों के बाजार मूल्य की गणना सही एवं निष्पादन दिनांक से निश्चित अवधि में विलेखों का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने के लिए मैनुअल रीति से करना पड़ता था।

¼dfMdk 6-5-4-17½

1-8 vfHkLohdfr

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़, विभिन्न राज्य शासन विभागों (वाणिज्यिक कर–वस्तु एवं सेवा कर, परिवहन, ऊर्जा एवं वन) विशेष रूप से निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा दिये गये सहयोग एवं सहायता की अभिस्वीकृति करता है।

v/;k; II

okf.kfT;d dj

v/;k; II% okf.kT;d dj

2-1 dj i'kklu

वाणिज्यिक कर विभाग छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख राजस्व आय विभागों में से एक है। वाणिज्यिक कर–वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग व्यवसायियों के प्रकरणों के निर्धारण के माध्यम से राज्य में मूल्य संवर्धित कर एवं वस्तु एवं सेवा कर के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।

वाणिज्यिक कर विभाग शासन स्तर पर प्रमुख सचिव के द्वारा प्रशासित होता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रमुख होता है, जिसकी सहायता हेतु चार अपर आयुक्त (अ. आ.), 12 उपायुक्त (उ. आ.), 26 सहायक आयुक्त (स.आ.), 72 वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.), 121 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (स.वा.क.अ.), एवं 174 वाणिज्यिक कर निरीक्षक (वा.क.नि), जो कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (छ.ग.मू.सं.क.) अधिनियम, 2005 में निहित किये गये कार्यो के अनुसार कार्य करते है। उपरोक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध विभाग में दो अ.आ., 10 उ.आ., 19 स.आ., 71 वा.क.अ., 18 स.वा.क.अ. एवं 116 वा.क.नि. कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यालय में प्रवर्तन शाखा है जिसकी अध्यक्षता आयुक्त करते है, जिसमें एक संयुक्त आयुक्त, एक उ.आ., एक स.आ. और दो निरीक्षक जो आकस्मिक निरीक्षण करते है एवं कर की अपवंचन का पता लगाने के लिए पदस्थ है। दो क्षेत्रीय शाखायें है जो रायपुर और बिलासपुर में स्थित है। विभाग का संगठनात्मक संरचना pkV 2-1 में दर्शाया गया है।

pkV 2-1% lxBukRed lajpuk

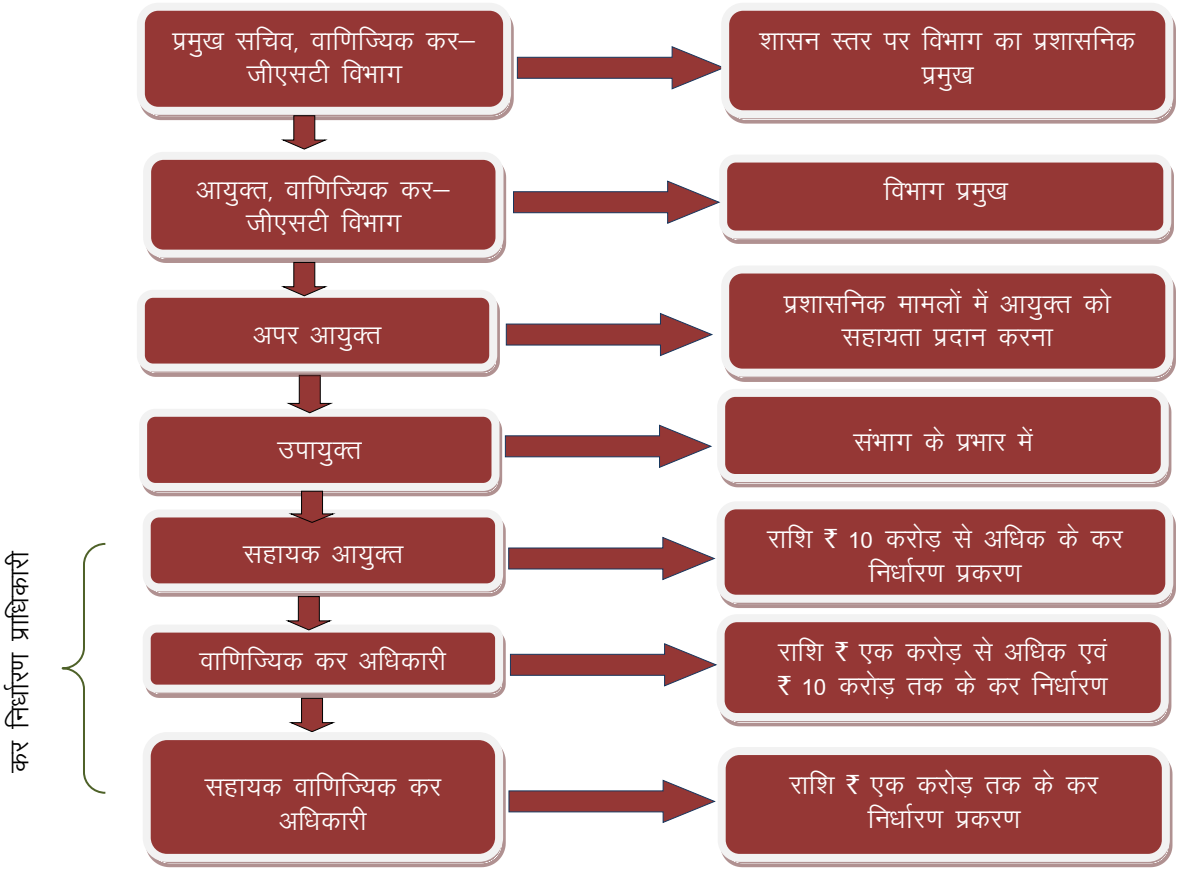

वाणिज्यिक कर– जीएसटी राज्य के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है और राज्य के कुल राजस्व का 18.96 प्रतिशत है। वर्षानुवर्ष इसकी वृद्धि हुई है एवं 2018–19 के

दौरान राज्य के स्वयं के राजस्व का 42.38 प्रतिशत और राज्य शासन के कुल राजस्व[1] का 18.96 प्रतिशत का योगदान रहा।

वर्ष 2017–18 (जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू की गई) में राज्य वस्तु एवं सेवा कर से राजस्व ₹ 4,386.56 करोड़ से बढ़कर 2018–19 के दौरान ₹ 8,203.41 करोड़ (87.01 प्रतिशत) हुई।

वर्ष 2018–19 के माहों के दौरान, वाणिज्यिक कर– जीएसटी की प्राप्तियों में व्यापक उतार–चढ़ाव था जिसमें वर्ष के कुल प्राप्तियों ₹ 12,345.64[2] करोड़ में से अगस्त 2018 में वर्ष के दौरान अधिकतम प्राप्ति 15.32 प्रतिशत दर्ज हुई एवं अप्रैल 2018 में न्यूनतम प्राप्ति 4.26 प्रतिशत दर्ज हुई जैसा कि नीचे दर्शाये गए pkVZ 2-2 में देखा जा सकता है:

pkVZ 2-2% o"kZ 2018&19 ds nkSjku okf.kfT;d dj&thŀ,lVh foHkkx dh ekfld jktLo izkfIr;kWa ¼₹ djksM+ esa½

वाणिज्यिक करों की प्राप्तियाँ (30/6/2017 तक) निम्न अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत प्रशासित होती है:

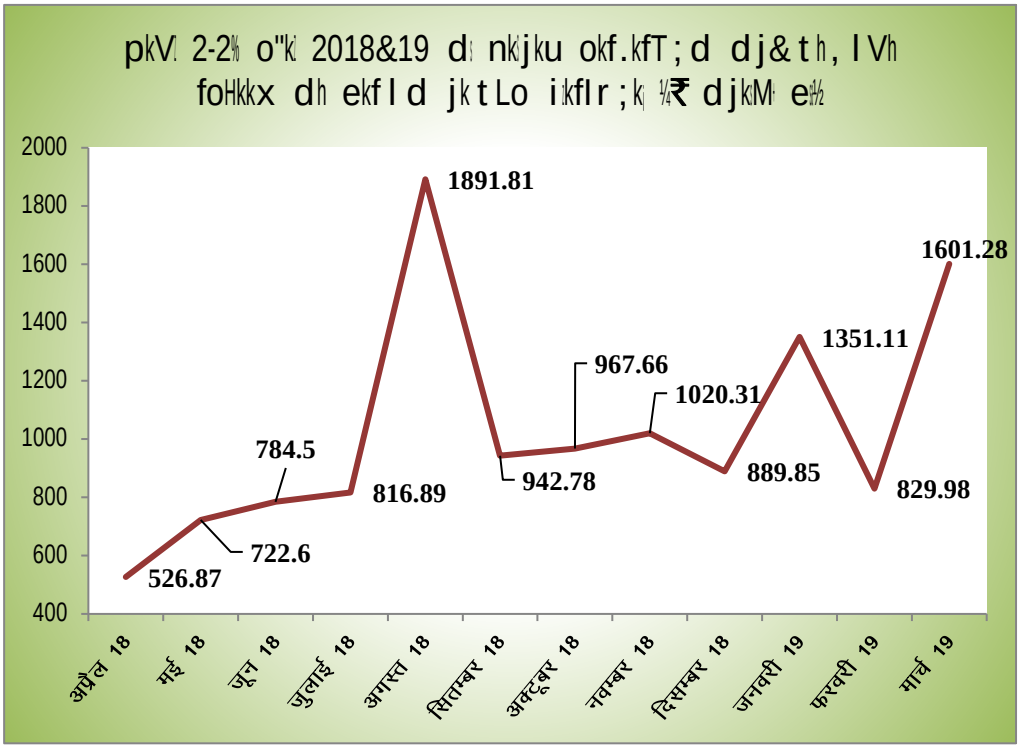

- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005
- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006
- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956
- केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीकरण एवं आवर्त्त) नियम, 1957
- छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976

---

1 राज्य के स्वयं का राजस्व, सहायता अनुदान, विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्सा का निवल आगम सम्मिलित है।

2 मार्च माह के लिए वास्तविक राजस्व प्राप्ति ₹ 1,603.55 करोड़ और मुख्य शीर्ष 0006; 0040 और 0042 के तहत राशि (–) ₹ 2.27 करोड़ की जर्नल प्रविष्टि मार्च के महीने में समायोजित की गई है।

- राज्य शासन एवं विभाग द्वारा समय समय पर जारी नियम, परिपत्र, छूट, अधिसूचनायें एवं निर्देश।

01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागु किया गया और उक्त कर निम्न प्रावधानों के तहत प्रशासित हैः

- छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017

2-2 th,lVh MkVk dk ,Dlsl u gksuk

केन्द्र सरकार ने देश भर में वस्तु एवं सेवा कर दिनांक 01 जुलाई 2017 से प्रारंभ किया। यह एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर[3] है जिसको केन्द्र (सीजीएसटी) और राज्यों (एसजीएसटी)/केन्द्र शासित प्रदेशों (यूटीजीएसटी) दोनों द्वारा एक साथ कर योग्य घटना अर्थात वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति (मानव उपभोग के लिए शराब और पाँच निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों[4] को छोड़कर) पर लगाया जाता है। आगे एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अंतर्राज्यीय वस्तु या सेवा (आयात समेत) की आपूर्ति पर लगाया जाता है और केन्द्र को आईजीएसटी लगाने का एकाधिकार है। जीएसटी लागू होने से पहले मूल्य संवर्धित कर (वैट), वस्तु की राज्य के अन्दर विक्री पर छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 और केन्द्रीय विक्री कर (कें.वि.क.) को वस्तुओं के अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य पर के.वि.क. अधिनियम, 1956 के अनुसार लगाया जाता था।

राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 को अधिसूचित किया (जून 2017) और 01 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया। जीएसटी के संग्रहण के स्वचालन के साथ, लेखापरीक्षा के लिए अनिवार्य है कि जीएसटी डाटा का एक्सेस प्राप्त हो जिसे सभी संव्यवहारों के नमूना जाँच से विस्तृत जाँच का पारगमन एवं राजस्व वसूली पर आश्वासन प्राप्त किया जा सके। यद्यपि केन्द्र सरकार ने (जून 2020) जीएसटी के अखिल भारतीय आकड़ों को जीएसटीएन परिसर से प्रदान करने का निर्णय लिया है तथापि इस प्रशासनिक निर्णय को लागू करने की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर है। नवम्बर 2020 की स्थिति में, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ को जीएसटी डेटा की एक्सेस प्राप्त नहीं हो सकी है।

2-3 ys[kkijh{kk ifj.kke

वर्ष 2018–19 में वाणिज्यिक कर–जीएसटी विभाग की कुल 61 इकाईयों में से 15[5] इकाईयों (24.59 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा, कर निर्धारण नस्ति एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करों का निर्धारण, आरोपण, संग्रहण एवं लेखाबद्ध संबंधित अधिनियमों, संहिताओं और नियमावली के अनुसार किया गया एवं शासन के हितों का संरक्षण किया गया।

[3] केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय और प्रसाधन निर्माण अधिनियम के तहत लगाये गए उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क (सी.वी.डी.), विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एस.ए.डी.), राज्य अप्रत्यक्ष कर जैसे मूल्य संवर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर एवं क्रय कर।

[4] पेट्रोलियम उत्पादः कच्चा तेल, उच्च गति डीजल, पेट्रोल, विमानन टरबाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस।

[5] वा.क.अ–4, रायपुर ; वा.क.अ.–3, रायपुर;; वा.क.अ.–7, रायपुर; वा.क.अ.–1, कोरबा; ; वा.क.अ.–1, बिलासपुर ; वा.क.अ.–2, कोरबा ; वा.क.अ.–8, रायपुर; ; वा.क.अ.–2, जगदलपुर; वा.क.अ–2, रायपुर; वा.क.अ–6, रायपुर; वा.क.अ–9, रायपुर; वा.क.अ., मनेन्द्रगढ़; वा.क.अ–1, रायपुर एवं वा.क.अ.–2, दुर्ग

लेखापरीक्षा द्वारा 15 इकाईयों के 30,650 (18,299 स्व–कर निर्धारण और कर निर्धारण प्रकरण 12,351) प्रकरणों में से 6,033 (2,924 स्व–कर निर्धारण और कर निर्धारण प्रकरण 3,109) प्रकरणों की जाँच की गई जो कि चुनी गई ईकाइयों के कुल प्रकरणों का 19.68 प्रतिशत था। वर्ष 2017–18 में विभाग द्वारा कुल ₹ 6,927.26[6] करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया जिसमें से निरीक्षण की गई इकाईयों द्वारा ₹ 6,147.17 करोड़ संग्रहण किया गया, जो कि कुल राजस्व का 89 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा द्वारा 198 प्रकरणों (149 स्व–कर निर्धारण और 49 कर निर्धारण प्रकरण) में राशि ₹ 34.95 करोड़ के विभिन्न अधिनियमों/संहिताओं/नियमावली के अनुपालन करना नहीं पाया गया, जो कि निम्न rkfydk 2-1 में विभिन्न श्रेणियों में वर्णित है:

rkfydk 2-1% ys[kkijh{kk ifj.kke

¼₹ djksM+ esa½

l- Ø-	Js.kh	izdj.kksa dh la[;k	jkf'k
1.	कर का अवरोपण/अनारोपण	79	10.34
2.	छूट/कमी का गलत प्रदाय किया जाना	36	8.85
3.	कर के गलत दर का अनुप्रयोग	30	6.64
4.	करयोग्य आवर्त्त का गलत निर्धारण	6	1.08
5.	अन्य अनियमिततायें[7]	47	8.04
;ksx		198	34-95

तथ्यात्मक विवरणों के जारी किए जाने के पश्चात विभाग द्वारा दो प्रकरणों में राशि ₹ 0.68 लाख की वसूली की गई। विभाग के अंतर्गत अन्य इकाईयों में भी समान प्रकार की अनियमिततायें, त्रुटियाँ या चूक हो सकती है जिन्हे नमूना जाँच लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। अतः करों का आरोपण अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है या नहीं को सुनिश्चित करने के लिए विभाग को सभी इकाईयों की जाँच करनी चाहिए।

eY; lof/kr dj

2-4 dj dk vojki.k

eY; lof/kr dj dh de nj ds vuiz;ksx ls dj dh jkf'k ₹ 1-54 djksM+ ,oa 'kkfLr ₹ 3-08 djksM+ dk vojki.kA

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम (छ.ग.मू.सं.क.अ.) 2005, प्रावधानित करता है कि इसमें संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दर से कर आरोपणीय है।

चार[8] इकाईयों के निर्धारण अभिलेखों 6,823 (स्व–कर निर्धारण 2,587 एवं कर निर्धारण 4,236) में से 2,055 (953 स्व–कर निर्धारण एवं 1,102 कर निर्धारण) प्रकरणों (कुल प्रकरणों के 30.12 प्रतिशत) के नमूना जाँच (सितम्बर 2018 एवं नवम्बर 2018 के मध्य) में पाया गया कि आठ व्यवसायियों के नौ प्रकरणों (दो स्व–कर निर्धारण एवं सात कर निर्धारण) में उपरोक्त दर, पाँच एवं 14 प्रतिशत के विरूद्ध गलत कर के दर शून्य एवं पाँच प्रतिशत लागू की गई। निर्धारण प्राधिकारी कर निर्धारण प्रकरणों में भी माल पर गलत दर के आरोपण की जाँच करने में विफल रहे और कोई कर आरोपित नहीं की

---

6 प्रवेश कर से प्राप्त राशि ₹ 477.66 करोड़ सम्मिलित

7 अधिक/अस्वीकार्य आगत कर का दावा; आवर्त्त में क्रेडिट नोट या प्राप्त छूट को सम्मिलित न किया जाना, श्रम घटक का सम्मिलित न किया जाना, इत्यादि की टिप्पणियाँ, अन्य अनियमितताओं में सम्मिलित है।

8 वा.क.अ.–3, रायपुर; वा.क.अ.–6, रायपुर; वा.क.अ.–7, रायपुर एवं वा.क.अ.–9, रायपुर।

गई अथवा कर की कम दर आरोपित की गई। लेखापरीक्षा द्वारा रिटर्न में संलग्न दस्तावेजों (विक्रय/खरीद विवरण) की जाँच में पाया गया कि इन मालों[9] पर पाँच अथवा 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था। फलस्वरूप, कर की राशि ₹ 1.54 करोड़ एवं शास्ति ₹ 3.08 करोड़ का अवरोपण हुआ जो कि ifjf'k"V 2-1 में वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विभाग द्वारा मू.सं.क. के करारोपण एवं कर निर्धारण के लिए CGCOMTAX सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा था। यद्यपि इस प्रणाली में प्रत्येक वस्तु/माल को कर की दर के साथ कोडिंग का प्रावधान नहीं था जिसे व्यवसायी इन्द्राज कर सके। व्यवसायियों द्वारा वस्तु/माल पर लगाई जा रही कर के दर के सत्यापन हेतु कोई प्रणाली के अभाव में, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा त्रुटि वर्षों तक पकड़े नहीं गये, जिसके फलस्वरूप कर के कम दर का आरोपण/भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा (दिसम्बर 2019 तथा जनवरी 2020) इस मामले को शासन/विभाग के ध्यान में लाया गया। शासन ने उत्तर में कहा (मई एवं जुलाई 2020) कि छः प्रकरणों में ₹ 2.88 करोड़ की माँग जारी की गई है, दो प्रकरणों को धारा 22(1) के तहत पुनः खोले गए हैं एवं एक प्रकरण में पुनः निर्धारण के लिए सूचना पत्र जारी किया गया है। इस कार्यशीलता के निर्माण के लिए आईटी प्रणाली में बदलाव से संबंधित प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2020)।

dsUnzh; foØ; dj

2-5 dsUnzh; foØ; dj vf/kfu;e ds vUrxZr vUrjkZT;h; rFkk fu;kZr laO;ogkjksa ds lkFk oS/kkfud Qkeksa ,oa lefFkZr nLrkost+ksa dk tek fd, tkus esa vfu;ferrkA

dj fu/kkZj.k vf/kdkfj;ksa ¼d-fu-v-½ }kjk vUrjkZT;h; foØ;] eky vUrj.k] ikjxeu vkSj fu;kZr foØ; ds fo:) NwV@fj;k;rh dj dh xyr nj ekU; fd;s tkus ds QyLo:i dj ₹ 1-53 djksM+ dk vu@vojksi.kA

केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) अधिनियम, 1956 प्रावधानित करती है कि वस्तुओं के अंतर्राज्यीय विक्रय, घोषणा पत्र 'सी' फॉर्म समर्थित होने पर जून 2008 से दो प्रतिशत की दर से कर लागू होगा। पारगमन बिक्री के संबंध में अर्थात माल के आवाजाही के दौरान बिक्री पर विक्रेता व्यवसायी को कर के भुगतान से छूट के दावे के लिए फॉर्म ई–I/II और फॉर्म 'सी' को प्रस्तुत करना होगा। आगे, माल बिक्री (शाखा अंतरण) एवं निर्यात बिक्री पर क्रमशः वैद्यानिक 'एफ' तथा 'एच' फॉर्म के प्रस्तुति पर कर के भुगतान से छूट होगी। समर्थित दस्तावेजों और वैधानिक फॉर्मों के अभाव में, छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों पर कर आरोपणीय है।

कुल 3,925 प्रकरणों (स्व–कर निर्धारण 2,845 एवं कर निर्धारण 1,080) में से 1,161 प्रकरणों (स्व–कर निर्धारण 654 एवं कर निर्धारण 507) अर्थात चार[10] इकाईयों के कुल प्रकरणों के 29.58 प्रतिशत की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया (नवम्बर 2017 एवं नवम्बर 2018 के मध्य) कि पाँच व्यवसायियों के पाँच स्व–कर निर्धारण प्रकरणों में अंतर्राज्यीय विक्रय ₹ 6.05 करोड़ के समर्थन में कोई 'सी' फॉर्म प्रस्तुत नहीं किये गये। 'सी' फॉर्म के अभाव में व्यवसायियों को शून्य अथवा दो प्रतिशत

---

[9] बैटरी, एल्यूमीनियम कोम्पोजीट पैनल शीट; सीमेंट शीट; पोली फिल्म्स; चोकोलेट्स का कच्चामाल, जैव–उर्वरक एवं इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड्स।

[10] वा.क.अ.–3, रायपुर; वा.क.अ.–9, रायपुर; वा.क.अ.–2, कोरबा एवं स.आ.वा.क., रायगढ़।

के स्थान पर पाँच अथवा 14 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया जाना था। कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम में निर्धारित दर के अनुसार करारोपण किया जाना था। परन्तु, व्यवसायियों द्वारा रियायती दर से कर का लाभ उठाने के फलस्वरूप, केन्द्रीय विक्रय कर की राशि ₹ 0.61 करोड़ की कम वसूली हुई जैसा कि **परिशिष्ट 2-2** में वर्णित है।

कुल 776 प्रकरणों (स्व–कर निर्धारण 418 एवं कर निर्धारण 358) में से 417 प्रकरणों (स्व–कर निर्धारण 221 एवं कर निर्धारण 196) अर्थात वा.क.अ.–3, रायपुर के कुल प्रकरणों के 53.74 प्रतिशत की नमूना जांच के दौरान पाया (सितम्बर 2018) गया कि दो व्यवसायियों के दो स्व–कर निर्धारण प्रकरणों में शाखा अंतरण राशि ₹ 1.38 करोड़ के समर्थन में 'एफ' फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया। 'एफ' फॉर्म के अभाव में व्यवसायियों को 14 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना था। बिना 'एफ' फॉम के शाखा अंतरण पर निर्धारण प्राधिकारियों को नियमानुसार करारोपण करना था। परन्तु, व्यवसायियों द्वारा कर से छूट का लाभ उठाने के फलस्वरूप, कर की राशि ₹ 0.19 करोड़ की कम वसूली हुई जैसा कि ifjf'k"V 2-3 में वर्णित है।

आगे कुल 6,672 प्रकरणों (स्व–कर निर्धारण 4,424 एवं कर निर्धारण 2,248) में से 1,897 प्रकरणों (स्व–कर निर्धारण 954 एवं कर निर्धारण 943) अर्थात पाँच[11] इकाईयों के कुल प्रकरणों के 28.43 प्रतिशत की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया (अगस्त 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) कि 10 व्यवसायियों के 10 प्रकरणों (नौ स्व–कर निर्धारण प्रकरण एवं एक कर निर्धारण प्रकरण) में अधिनियम 6(2) के अंतर्गत पारगमन विक्रय राशि ₹ 12.17 करोड़ के समर्थन में 'ई1/सी' फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया परंतु उक्त संव्यवहार पर कर से छूट का दावा किया गया। वैधानिक फॉर्म के अभाव में व्यवसायियों को दो/पाँच की दर से कर का भुगतान करना था। परन्तु, व्यवसायियों द्वारा कर से छूट का लाभ उठाने के फलस्वरूप, कर की राशि ₹ 0.40 करोड़ की कम वसूली हुई जैसा कि ifjf'k"V 2-4 में वर्णित है।

इसी प्रकार कुल 1,185 प्रकरणों (स्व–कर निर्धारण 300 एवं कर निर्धारण 885) में से 721 प्रकरणों (स्व–कर निर्धारण 288 एवं कर निर्धारण 433) अर्थात वा.क.अ.–7, रायपुर के कुल प्रकरणों के 60.84 प्रतिशत की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा पाया (सितम्बर 2018) गया कि एक व्यवसायी के एक स्व–कर निर्धारण प्रकरण में निर्यात विक्रय राशि ₹ 6.56 करोड़ के समर्थन में 'एच' फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया। वैधानिक फॉर्म के अभाव में व्यवसायी पाँच प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। परन्तु, व्यवसायी द्वारा के.वि.क. अधिनियम के तहत कर से छूट का लाभ उठाने के फलस्वरूप, कर की राशि ₹ 0.33 करोड़ की कम वसूली हुई जैसा कि ifjf'k"V 2-5 में वर्णित है।

इस प्रकार, वैधानिक विवरणियों की संपूर्णता की जाँच जो विभागीय परिपत्र (नवम्बर 2012) के अनुसार अनिवार्य था, करने में निर्धारण प्राधिकारी विफल रहे जिसके फलस्वरूप कर की राशि ₹ 1.53 करोड़ की कम वसूली हुई।

मामला शासन/विभाग को उनके टिप्पणियों के लिए सूचित (दिसम्बर 2019 एवं जनवरी 2020) किया गया। शासन ने कहा (मई एवं जुलाई 2020) कि दो प्रकरणों में राशि ₹ 2.83 लाख की वसूली की गई है तथा 11 प्रकरणों में राशि ₹ 2.85 करोड़ की माँग जारी की गई है। आगे छः प्रकरण धारा 22(1) के तहत पुनः निर्धारण के लिए खोले गए एवं एक प्रकरण में पुनः निर्धारण के लिए सूचना जारी की गई।

---

[11] वा.क.अ.–2, कोरबा; वा.क.अ.–7, रायपुर; वा.क.अ.–2, रायपुर; वा.क.अ.–5, रायपुर एवं वा.क.अ.–8, रायपुर।

चूँकि नमूना जांच के दौरान गैर–अनुपालन/अनियमितताओं के उपरोक्त मामले प्रकाश में आए है, इसलिए विभाग के अधीन अन्य इकाईयों में भी ऐसी अनियमिततायें, त्रुटियां या चूक हो सकती है जो नमूना जांच में शामिल नहीं की गई। अतः विभाग को, कर का आरोपण अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है अथवा नहीं, सुनिश्चित करने के लिए सभी इकाईयों की जाँच करनी चाहिए। आगे, विभाग को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अधिक कड़ाई से विवरणियों की जाँच करें और निर्धारित अधिनियमों/नियमों के अनुसार सही दरों पर कर का निर्धारण, आरोपण और वसूली करें।

v/;k; III

okguksa ij dj

3-1 dj प्रशासन

परिवहन विभाग वाहनों के पंजीकरण, करों और शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण, परमिट प्रदान करने, फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने, शास्ति के आरोपण आदि के प्रशासन और विनियमन के लिए जिम्मेदार है।

परिवहन विभाग, अपर मुख्य सचिव एवं परिवहन आयुक्त (प.आ.) के संपूर्ण प्रभार में कार्य करता है, जो नीतियों के व्यवस्थापन, कार्यन्वयन एवं निष्पादन, निर्देशन, प्रशासन, कर दरों में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव के शुरूआत करना आदि के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, वह अधीनस्थों द्वारा प्रकरणों के निर्धारण के संबंध में एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी सहायता हेतु एक अपर परिवहन आयुक्त, एक संयुक्त परिवहन आयुक्त, एक उप परिवहन आयुक्त, एक सहायक परिवहन आयुक्त (विधि), एक सहायक परिवहन आयुक्त, एक लेखाधिकारी एवं एक संयुक्त संचालक, वित्त मुख्यालय में होते है। परिवहन आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पाँच वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (व.क्षे.प.अ.), एक अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (अ.क्षे.प.अ.) एवं 21 जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.अ.) होते है। क्षे.प.अ. परमिट, लायसेंस का जारी करना, वाहनों का पंजीयन एवं मोटर यान कर का निर्धारण एवं संग्रहण करने हेतु उत्तरदायी है। अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. परमिट जारी करने को छोड़कर शेष कार्य क्षे.प.अ. के समान है। अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. के अधीन पंजीकृत वाहनों का परमिट संबंधित क्षे.प.अ. द्वारा जारी किया जाता है। विभाग का संगठनात्मक संरचना pkV 3-1 में दर्शाया गया है।

pkV 3-1 % lxBukRed lajpuk

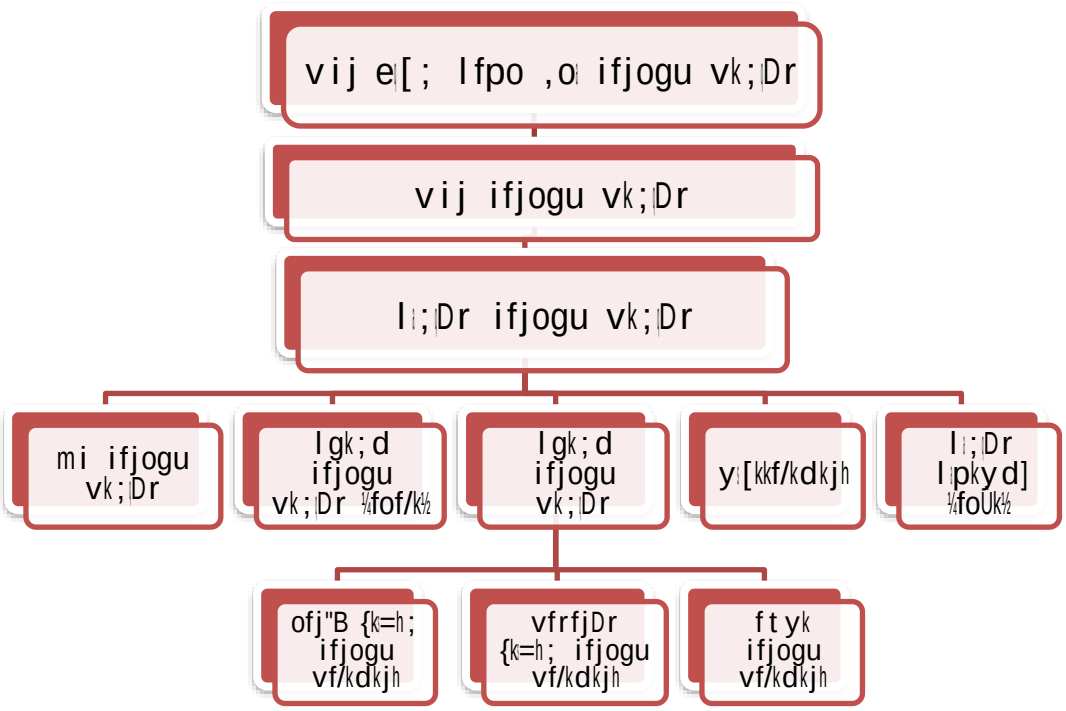

पाँच वर्ष की अवधि 2014–19 के दौरान परिवहन विभाग से राजस्व वर्षानुवर्ष के आधार पर वृद्धि हुई। परिवहन विभाग में वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्तियाँ वर्ष 2017–18 के तुलना में 2.10 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई एवं राज्य के स्वयं के राजस्व (कर और

करेत्तर) का 4.14 प्रतिशत एवं राज्य शासन के कुल राजस्व[1] का 1.85 प्रतिशत योगदान दिया।

वर्ष 2018–19 के माहों के दौरान परिवहन विभाग की प्राप्तियों में व्यापक उतार–चढ़ाव था तथा वर्ष की कुल प्राप्तियों राशि ₹ 1,204.85 करोड़ में से सितम्बर 2018 एवं मार्च 2019 में क्रमशः 6.06 प्रतिशत एवं 10.72 प्रतिशत दर्ज हुई जो की नीचे दर्शाये गए pkVZ 3-2 में देखा जा सकता है:

वाहन कर की प्राप्तियाँ निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होती है:

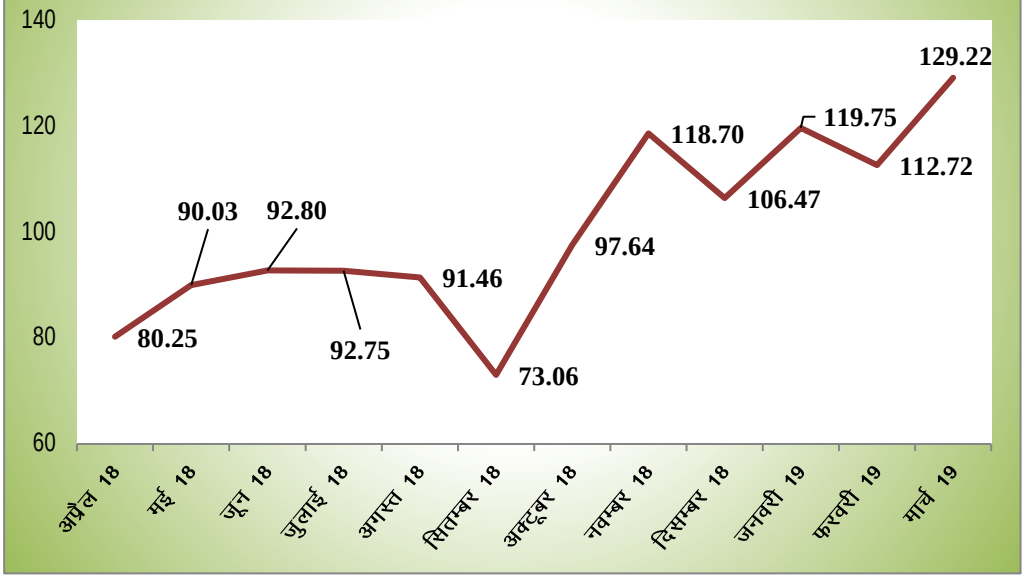

- मोटर यान (मो.या.) अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटर यान (के.मो.या.) नियम, 1989;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (छ.ग.मो.या.क.) अधिनियम, 1991;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1992;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994; एवं
- समय–समय पर इन अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत जारी किये गये कार्यपालिक आदेश।

3-2 ys[kkijh{kk ifj.kke

परिवहन विभाग की 28 इकाईयों ने वर्ष 2017–18 में कुल ₹ 1,180.01 करोड़ अर्जित किये। लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2018–19 में चार[2] इकाईयों के कुल 5.95 प्रतिशत प्रकरणों (कुल 1,88,953 में से 11,234) की नमूना जाँच की गई जो वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त कुल राजस्व का 49.87 प्रतिशत (₹ 588.43 करोड़) है ताकि यह आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि कर/शुल्कों का आरोपण, संग्रहण एवं लेखाबद्ध, संबंधित

---

1 राज्य के स्वयं का राजस्व, सहायता अनुदान, विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से का निवल आगम सम्मिलित है।

2 क्षे.प.अ., रायपुर; क्षे.प.अ.,दुर्ग; जि.प.अ., रायगढ़ एवं जि.प.अ., कोरबा।

अधिनियमों, संहिताओं और नियमावली के अनुसार की जा रही है एवं शासन के हितों की रक्षा की जा रही है। ₹ 32.08 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव के साथ 31.01 प्रतिशत (11,234 में से 3,484) प्रकरणों की नमूना जांच में अधिनियम/नियमों/संहिताओं/नियमावलियों से संबंधित गैर–अनुपालन के विभिन्न मुद्दे लेखा परीक्षा द्वारा पाये गये जिसका विवरण rkfydk 3-1 में दर्शाया गया है:

rkfydk 3-1% y[kkijh{kk ifj.kke

(₹ करोड़ में)

l- Ø-	J.kh	izdj.kksa dh la[;k	jkf'k
1.	वाहनों से कर/शास्ति की अप्राप्ति	3,121	30.24
2.	कर की कम प्राप्ति	184	1.66
3.	अन्य अनियमिततायें[3]	179	0.18
;kx		3]484	32-08

विभाग द्वारा कर की कम प्राप्ति, कर एवं शास्ति की अप्राप्ति एवं अन्य अनियमितताओं से संबंधित 1,021 प्रकरणों (29.31 प्रतिशत) में सन्निहित राशि ₹ 4.76 करोड़ को स्वीकारते हुए 499 प्रकरणों में राशि ₹ 1.72 करोड़ वसूली की गई। शेष प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से अनुशीलन किया जा रहा है।

3-3 ekVj ;ku dj dh vikfIr

{k-i-v-@ft-i-v- }kjk dk;Zokgh u fd;s tkus ds dkj.k 471 okgu Lokfe;ksa से कर की राशि ₹ 1-26 करोड़ एवं शास्ति की राशि ₹ 1-26 djksM+ dh vikfIrA

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 प्रावधानित करता है कि राज्य में रखे या उपयोग हेतु रखे गये प्रत्येक वाहन पर कर, यात्री यानों पर ₹ 1,200 से ₹ 36,000 प्रतिमाह की दर से एवं माल यानों पर उनके सकल वाहन भार 2,000 किलोग्राम (कि. ग्रा.) तक ₹ 300 प्रति तिमाही एवं प्रत्येक 500 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिये अतिरिक्त ₹ 100 आरोपित होगा। हार्वेस्टर के मामले में कर कि दर ₹ 200 प्रति तिमाही जिसका उतरा हुआ भार (अनलेडन वेट) 1,000 कि.ग्रा. से अधिक न हो एवं अतिरिक्त ₹ 300 प्रत्येक 1,000 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिये होंगे। भुगतान न करने की दशा में माल, यात्री एवं हार्वेस्टर वाहन स्वामियों द्वारा शास्ति[4] देय होगी परन्तु असंदत्त कर से अधिक नहीं। अगर वाहन स्वामी कर, शास्ति या दोनों भुगतान करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी मांग–पत्र जारी करेगा एवं बकाया वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने हेतु कार्रवाई करेगा। अगर वाहन स्वामी किसी अवधि के लिए वाहन 'ऑफ–रोड़' रखना चाहता है तो वह संबंधित कराधान प्राधिकारी को अवधि की शुरूआत से पहले वाहन के अनुपयोग हेतु सूचित करेगा।

पाँच[5] परिवहन कार्यालयों में 2,44,781 पंजीकृत वाहनों में से 14,170 वाहनों से संबंधित मांग एवं संग्रहण पंजी एवं वाहन डेटाबेस की नमूना जांच अवधि अगस्त 2016 से नवम्बर 2018 के लिए किये जाने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि कर अवधि अप्रैल 2013

---

[3] अन्य अनियमितताओं में सम्मिलित है, निर्धारित आयु से अधिक आयु के वाहनों का परिचालन, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहनों का परिचालन एवं परिवहन वाहनों के परमिटों का नवीनीकरण नहीं होना इत्यादि।

[4] प्रतिमाह एवं उसके भाग के चूक के लिए असंदत्त कर का एक बटा बारहवां भाग।

[5] क्षे.प.अ., बिलासपुर; जि.प.अ., रायगढ़; क्षे.प.अ., रायपुर; क्षे.प.अ., दुर्ग एवं जि.प.अ., कोरबा।

से दिसम्बर 2018 के लिए संबंधित 471[6] वाहन स्वामियों द्वारा कर की राशि ₹ 1.26 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। अभिलेखों में कोई साक्ष्य नहीं था जो ये प्रमाणित कर सके की वाहन ऑफ–रोड़ थे। क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा वाहन सॉफ्टवेयर में यदि कोई असंदत्त मोटर यान कर एवं शास्ति हो तो बकायेदारों की सूची उत्पन्न करने की सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी, बकाया कर की वसूली हेतु कोई कार्रवाई शुरू नही की गई। अतः क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा उपयुक्त कार्यवाही करने में असफल रहने के कारण ₹ 1.26 करोड़ के कर एवं ₹ 1.26 करोड़ की शास्ति की वसूली नहीं हुई जैसा की **परिशिष्ट 3-1** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित (दिसम्बर 2019) किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर (जनवरी से अगस्त 2020) में कहा गया कि बकाया कर एवं शास्ति की वसूली हेतु वाहन स्वामियों को मांग पत्र जारी किया गया है।

प्रकरण शासन को सूचित (जनवरी 2020) किया गया, उत्तर अपेक्षित (नवम्वर 2020) है।

वर्ष 2012–13 से 2017–18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समान आक्षेप इंगित किये गये थे परन्तु विभाग द्वारा ऐसी अनियमितताओं की रोकथाम हेतु कोई ठोस प्रभावकारी कार्यवाही नहीं की गई।

---

6 मालयान = 422, यात्रियान = 32 एवं अन्ययान = 17

v/;k; IV

fo|r 'kYd

v/;k;&IV% fo|qr 'kqYd

4-1 कर प्रशासन

मुख्य विद्युत निरीक्षक विद्युत शुल्क कि सही दरें लागु करने, विद्युत उत्पादकों द्वारा समय पर विद्युत शुल्क जमा किये जाने एवं भुगतान पर हुई किसी भी देरी पर ब्याज आरोपित किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। वह विद्युत संबंधित दुर्धटनाओं का निरीक्षण और उनके कारणों का पता लगाने के लिए भी उत्तरदायी है।

शासन स्तर पर विभाग का प्रमुख ऊर्जा विभाग का प्रमुख सचिव होता है। मुख्य विद्युत निरीक्षक के कार्यालय का प्रमुख अधीक्षण अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक (मु.वि.नि.) है। विद्युत ऊर्जा के उत्पादकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'जी' में हर माह उत्पादन, स्वयं के खपत, ऑक्सिलियारी खपत एवं अन्य विद्युत ऊर्जा के उपभोक्ताओं को की गई बिक्री अथवा आपूर्ति के संबंध में जानकारी प्रदाय की जाती है। प्रपत्र 'जी' के आधार पर विभाग द्वारा विद्युत शुल्क निर्धारण एवं संग्रहण किया जाता है।

मुख्य विद्युत निरीक्षक की सहायता हेतु पाँच कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक (सं.वि.नि.) संभागीय स्तर पर एवं 10 सहायक अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक (स.वि.नि.) उप संभागीय स्तर पर कार्यरत है। विभाग का संगठनात्मक संरचना नीचे दिए गए pkV 4-1 में दर्शाया गया है।

pkV 4-1 % lxBukRed lajpuk

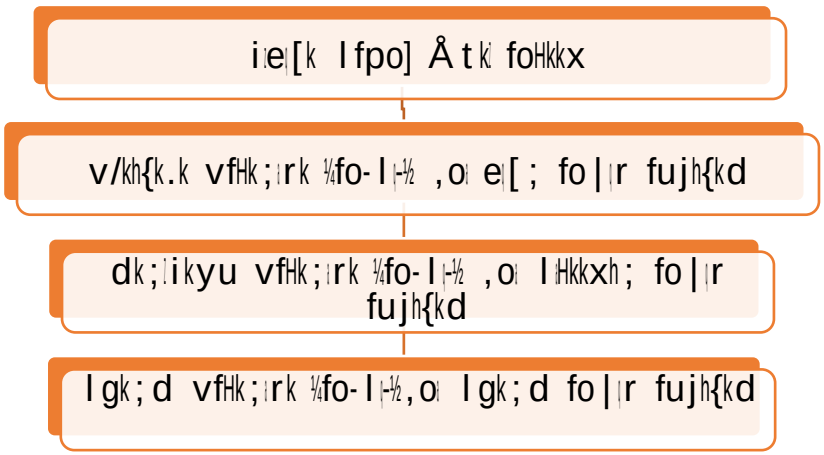

विद्युत शुल्क ने वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य के स्वयं के राजस्व (कर एवं करेत्तर) का 6.15 प्रतिशत एवं राज्य शासन के कुल राजस्व[1] का 2.75 प्रतिशत योगदान दिया।

वर्ष 2018–19 के माहों के दौरान विद्युत (ऊर्जा) विभाग की प्राप्तियों में व्यापक उतार–चढ़ाव था तथा वर्ष की कुल प्राप्तियाँ राशि ₹ 1,790.27 करोड़ में से जून 2018 एवं मार्च 2019 में क्रमशः 9.25 प्रतिशत एवं 7.14 प्रतिशत दर्ज हुई जो की नीचे दर्शाये गये pkV 4-2 में देखा जा सकता हैः

[1] राज्य के स्वयं का राजस्व, सहायता अनुदान एवं विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्सा का निवल आगम सम्मिलित है।

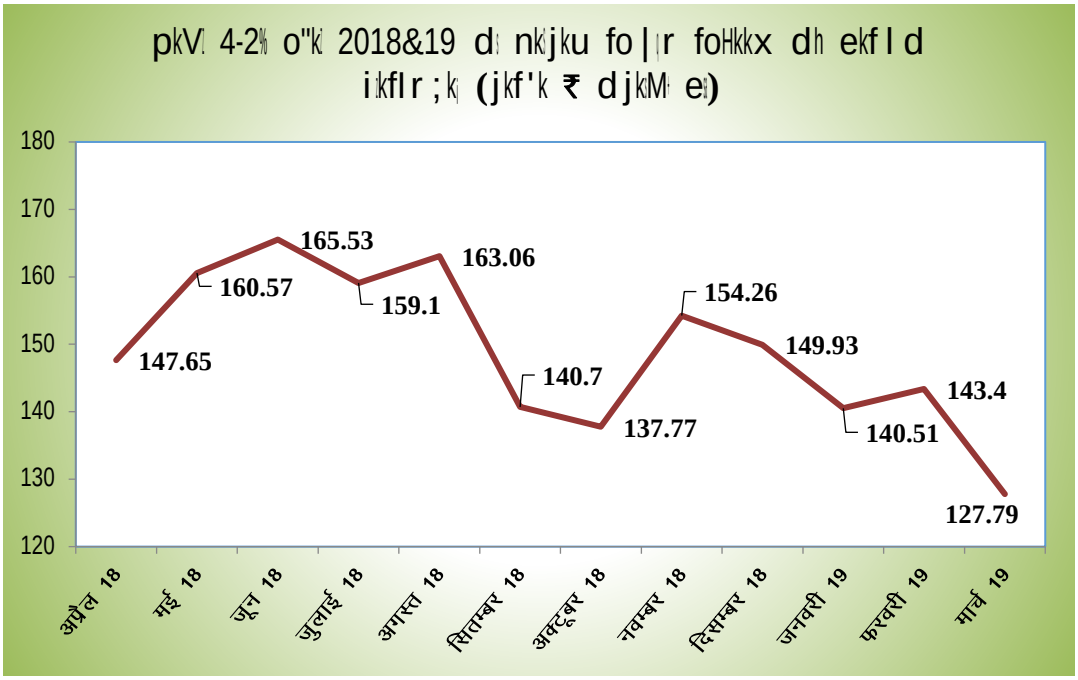

विद्युत शुल्क की प्राप्तियाँ निम्न अधिनियम, नियमों एवं परिपत्रों के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित होती हैं:

- विद्युत अधिनियम, 2003;
- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधि उपाय) विनियम, 2010;
- छत्तीसगढ़ सिनेमा (विनियम), 1972;
- छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) विनियम, 1960
- छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम एवं नियम, 1949;
- छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 एवं
- शासन एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अधिसूचनायें/परिपत्र

4-2 y[kkijh{kk ifj.kke

लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2018–19 में 16 इकाईयों में से दो[2] इकाईयों की नमूना जाँच की गई ताकि यह आस्वाशन प्राप्त किया जा सके कि शुल्क का आरोपण, संग्रहण एवं लेखाबद्ध संबंधित अधिनियमों, संहिताओं और नियमावली के अनुसार की जा रही है एवं शासन के हितों की रक्षा की जा रही है। वर्ष 2017–18 के दौरान विभाग द्वारा ₹ 1,688.95 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 1,461.66 करोड़ संग्रहित किये जो कुल राजस्व का 87 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा ने 1,720 प्रकरणों में ₹ 0.09 करोड़ की अनियमिततायें पायी।

विभाग द्वारा राशि ₹ 0.09 करोड़ की टिप्पणियाँ जिसमें 1,720 प्रकरण सन्निहित हैं, को स्वीकार किया गया। हालांकि कोई वसूली नही की गई। लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से अनुशीलन किया जा रहा है।

---

[2] मुख्य विद्युत निरीक्षक, रायपुर और सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उप संभाग क्र. 1, रायपुर।

तथ्यात्मक विवरण (10/02/2020) जो पूर्व लेखापरीक्षा अवधि मार्च 2017 से फरवरी 2018 से संबंधित है, के उत्तर में विभाग द्वारा दो प्रकरणों में ₹ 1.23 करोड़ की वसूली सूचित (मई एवं अगस्त 2020) की गई।

4-3 fo|r 'kYd d foyc l Hkxrku ij C;kt dk vukjki.k

fo|r 'kYd d foyc l Hkxrku ij e[; fo|r fujh{kd }kjk C;kt vkjkfir dju e foQyrk d QyLo:i C;kt ₹ 1-24 djkM dh vikflrA

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम, 1949 के नियम 5 (1) के अनुसार जहाँ शुल्क का भुगतान नियम 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नही किया गया हो, उक्त का भुगतान उस पर ब्याज के साथ देय होगा। आगे, नियम 5 (2) के अनुसार, ब्याज की दर शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचना द्वारा तय किये गये अनुसार होगी लेकिन 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नही होगी। शासन द्वारा तीन माह से लेकर 12 माह तक के विलंब एवं उससे अधिक विलंब से भुगतान पर क्रमशः 12 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक की ब्याज दर तय की गई है।

कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ के 79 में से 29 विद्युत ऊर्जा उत्पादकों के अभिलेखों के नमूना जाँच (मार्च 2018) किये जाने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि विद्युत ऊर्जा के दो उत्पादकों[3] द्वारा उनके संयंत्रों में किये गये विद्युत ऊर्जा की खपत पर राशि ₹ 10.15 करोड़ का विद्युत शुल्क भुगतान निर्धारित समय से सात से आठ माह के विलंब से दिसम्बर 2016 से मार्च 2017 की अवधि के मध्य किया गया। उपरोक्त नियम 5 के अनुसार मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा विलंब से हुए भुगतान पर राशि ₹ 1.24 करोड़ का ब्याज लगाया जाना था। हालांकि पाया गया कि मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा कोई ब्याज नहीं लगाया गया। अतः विलंब से भुगतान पर मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा ब्याज आरोपित करने में विफलता के फलस्वरूप राजस्व राशि ₹ 1.24 करोड़ की अप्राप्ति हुई जैसा कि **परिशिष्ट 4-1** में दर्शाया गया है।

प्रकरण को अभिमत के लिए शासन/विभाग को सूचित (मई 2020) किया गया। मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा दोनों उत्पादकों के संबंध में सूचित किया गया (मई 2020) कि ब्याज की राशि आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। शासन का उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2020)।

[3] जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड, रायगढ़ एवं ए.सी.बी. (इंडिया) लिमिटेड (2 x 135 मेगावाट), कसाईपाली, कोरबा।

v/;k; V

okfudh rFkk oU; ik.kh

v/;k;&V% okfudh rFkk oU; ik.kh

5-1 dj प्रशासन

वन विभाग, वन, वन्य प्राणियों एवं उनके आवास के संरक्षण, नागरिकों को पर्यावरणीय सुरक्षा सेवाएँ देने, पर्यटन मूल्यों की सुरक्षा एवं उन्नयन और वनोपज उत्पादन एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।

वन विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव के समग्र नियंत्रण में कार्य करता है, जो कि शासन स्तर पर विभाग का मुख्य नियंत्रण अधिकारी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.) एवं वन बल प्रमुख विभाग का प्रमुख होता है। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्र.मु.व.सं. के देखरेख में कार्य करते है। प्र.मु.व.सं. को वृत्त स्तर पर मुख्य वन संरक्षक द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है और उन्हें वनमंडलाधिकारी द्वारा वनमंडल स्तर पर सहयोग प्रदान किया जाता है। विभाग के संगठनात्मक संरचना को नीचे दिये गये pkV 5-1 में दर्शाया गया है।

pkV 5-1% lxBukRed lajpuk

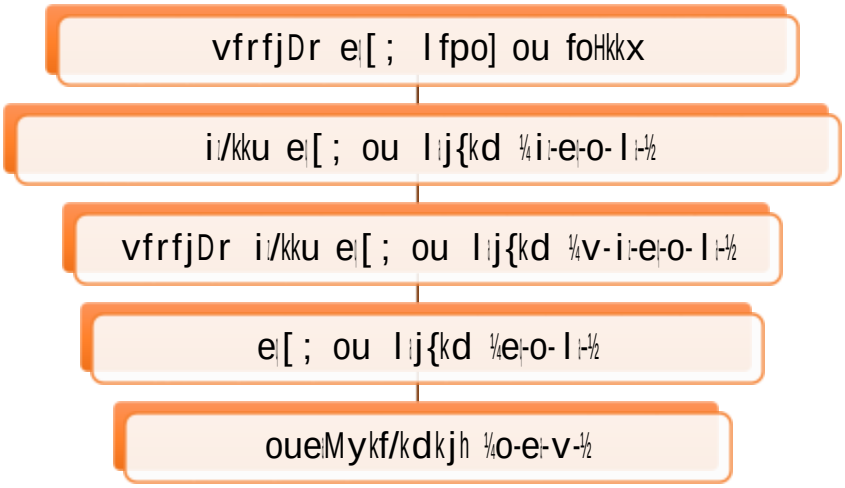

वन विभाग ने वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य के स्वयं के राजस्व (कर एवं करेत्तर) का 0.81 प्रतिशत एवं राज्य शासन के कुल राजस्व[1] का 0.36 प्रतिशत योगदान दिया।

वर्ष 2018–19 के दौरान वन विभाग के मासिक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता थी जो कि वर्ष के कुल प्राप्ति ₹ 236.73 करोड़ में से फरवरी 2019 एवं मार्च 2019 में क्रमशः 11.42 प्रतिशत तथा 2.83 प्रतिशत थी जैसा कि नीचे दिये गये pkV 5-2 में देखा जा सकता है:

[1] राज्य के स्वयं का राजस्व, सहायता अनुदान और विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्सा का निवल आगम सम्मिलित है।

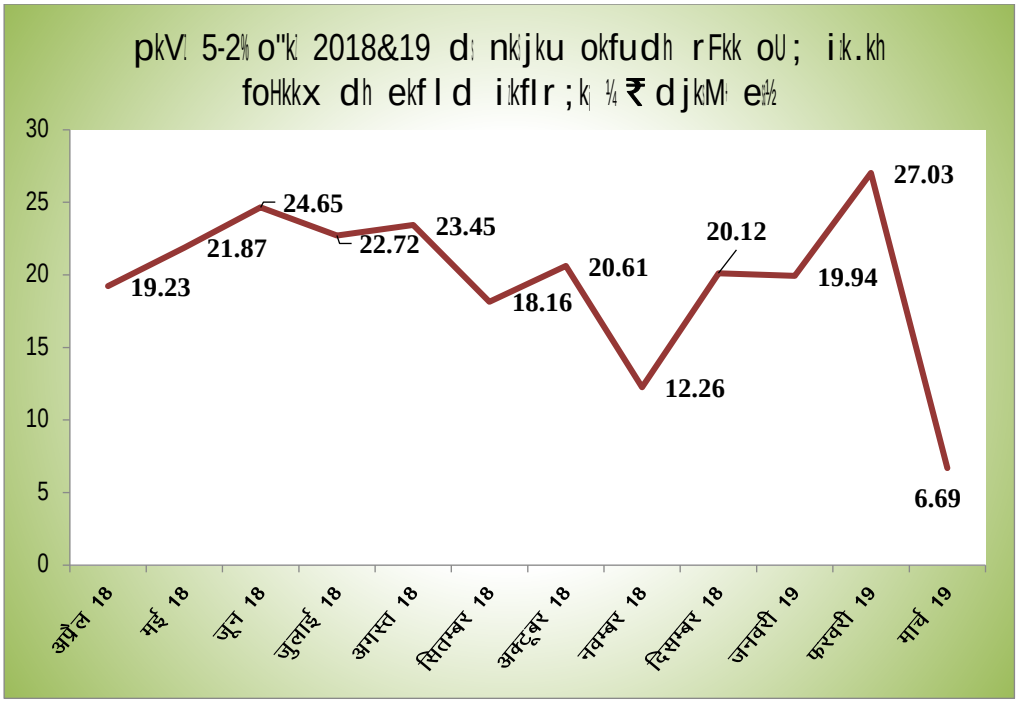

5-2 ys[kkijh{kk ifj.kke

विभाग प्रासंगिक अधिनियम, संहिता एवं नियमावली के अनुरूप कार्यरत है एवं सरकार के हितों की रक्षा की जा रही है का आश्वासन हासिल करने के लिए वर्ष 2018–19 में, वन विभाग से संबंधित 68 कार्यालयों में से 15[2] के अभिलेखों की नमूना जाँच लेखापरीक्षा द्वारा की गई। वर्ष 2017–18 के दौरान विभाग द्वारा कुल किया गया व्यय एवं अर्जित राजस्व क्रमशः ₹ 1,162.09 करोड़ एवं ₹ 291.17 करोड़ था। वर्ष 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयों का कुल व्यय ₹ 336.20 करोड़ एवं अर्जित राजस्व ₹ 99.00 करोड़ था जो कि कुल व्यय एवं कुल अर्जित राजस्व का क्रमशः 28.93 एवं 34 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा ने 526 प्रकरणों (व्यय से संबंधित 308 प्रकरणों में ₹ 54.28 करोड़ एवं राजस्व से संबंधित 218 प्रकरणों में ₹ 67.64 करोड़) में ₹ 121.92 करोड़ तक की अनियमिततायें पायी जो निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आती है जैसा कि rkfydk 5-1 में दिया गया है।

rkfydk 5-1½ ys[kkijh{kk ifj.kke

¼₹ djksM+ esa½

l-Ø-	Js.kh	izdj.kksa dh la[;k	jkf'k
v- O;;			
1.	अतिरिक्त व्यय	37	2.18
2.	अनियमित व्यय	20	6.42
3.	परिहार्य व्यय	44	7.54
4.	अलाभकारी व्यय	1	0.15
5.	अन्य अनियमिततायें	206	37.99
;ksx		308	54-28

2 मु.व.सं. रायपुर एवं बिलासपुर, व.म.अ., रायपुर, मारवाही, धरमजयगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, भानुप्रतापपुर, गरियाबन्द, बलौदाबाजार, महासमुन्द, कोरबा, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़ एवं राजनंदगाँव

c- ikflr;k			
6.	वनोपज की क्षय/कमी के कारण राजस्व की अप्राप्ति	7	1.18
7.	काष्ठ/बाँस के कम उत्पादन के कारण राजस्व की हानि	15	10.37
8.	अवरोध मुल्य से कम पर काष्ठ की बिक्री	6	6.19
9.	अन्य अनियमिततायें	190	49.90
;kx		218	67-64
dqy ;kx		526	121-92

वर्ष 2018–19 के दौरान विभाग ने ₹ 5.59 करोड़ के 23 लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया। विभाग के अंतर्गत अन्य इकाईयाँ में भी इसी प्रकार की समान अनियमिततायें, त्रुटियां या चूक हो सकती है जिनमें लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच नहीं की गई है। अतः विभाग इन मुद्दों का सभी इकाईयों में परीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों का अनुपालन हो।

5-3 mipkj dk;kZ dk vfrPNknu dk dkj.k ifjgk;Z O;;

f0भागीय निर्देशों का अनुपालन किए बिना दो वनमंडलाधिकारियों द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन पर ₹ 1-30 djksM+ dk ifjgk;Z O;;A

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.) छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार (जुलाई 2013), वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्र.मु.व.सं. को भेजने से पूर्व वन संरक्षक, वन मण्डलाधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि ''प्रस्तावित रोपण क्षेत्र में गत पाँच वर्ष में कोई रोपण कार्य अथवा बिगड़े वनों का सुधार कार्य नहीं किया गया है तथा रखरखाव/सुरक्षा का कार्य किसी अन्य मद से प्रगति पर नहीं है। एक ही क्षेत्र में दो विभिन्न मदों से कार्य कराना न केवल अनियमित है बल्कि इससे विभाग की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है।

इससे पूर्व, प्र.मु.व.सं. ने अपने निर्देश (नवम्बर 2011) में कहा कि सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन (स.प्रा.पु./ए.एन.आर.[3]) का कार्य चयन–सह–सुधार एवं सुधार कार्यवृत्त के वैसे कुपों में किया जायेगा जहाँ पिछले वर्ष विदोहन कार्य किया गया हो।

कुल 34 में से दो[4] वनमंडलाधिकारियों के अभिलेखों की जाँच (मार्च एवं अप्रैल 2018) में लेखापरीक्षा ने पाया कि क्रमशः बलौदाबाजार एवं बिलासपुर के 12 कक्षों के 1,939 हेक्टेयर और 18 कक्षों के 3,150 हेक्टेयर में ए.एन.आर. का कार्य कराया गया। आगे, वनमंडल की कार्य आयोजना, प्रगति प्रतिवेदनों एवं कक्ष इतिहासों की जाँच में पाया गया कि बलौदाबाजार वनमंडल के 12 में से दो कक्षों एवं बिलासपुर वनमंडल के 18 मे से छः कक्षों के सम्पुर्ण/आशिंक भाग में पहले से ही उपचार कार्य किया जा रहा था जैसा कि **परिशिष्ट** 5-1 में दर्शाया गया है।

चूँकि, इन कक्षों में समान उपचार कार्य किये जा चुके थे/प्रगति पर थे, वनमंडलाधिकारियों को मु.व.सं. को परियोजना प्रतिवेदन भेजने से पूर्व इन तथ्यों को प्रमाणित करना चाहिये था। जबकि न तो वनमंडलाधिकारियों ने पूर्व के उपचार कार्य से संबंधित तथ्य प्रमाणित किया न ही मु.व.सं. ने वनमंडलाधिकारियों से यह प्रमाणित करने हेतु कोई प्रमाणपत्र माँगा कि चिन्हित कूपों में कोई उपचार कार्य किया गया है।

---

[3] ए.एन.आर. वानिकी गतिविधि है जो वृक्ष विदोहन के उपरांत एकलीकरण, भू एवं जल संरक्षण तथा सुरक्षा कार्य के द्वारा स्वस्थ कटाई के पुनरूत्पादन को बढ़ावा देती है।

[4] व.म.अ., बलौदाबाजार एवं व.म.अ., बिलासपुर

वनमंडलाधिकारियों की ओर से हुई विफलता से न केवल प्र.मु.वं.स. के ओदश का अपालन हुआ और 697.579 हेक्टेयर क्षेत्र में उपचार का अतिच्छादन हुआ बल्कि परिणामस्वरूप ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत ए.एन.आर. कार्य पर राशि ₹ 1.30 करोड़ का परिहार्य व्यय भी हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, वनमंडलाधिकारी, बलौदाबाजार ने उत्तर में कहा (अप्रैल 2018) कि प्रकरण के सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी जबकि वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर ने कहा (मार्च 2018) कि ए.एन.आर. कार्य, स्थल की आवश्यकता के अनुसार कराया गया।

वनमंडलाधिकारियों के उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, इन कक्षों में वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 में उपचार कार्य शुरू किये गये थे और इन कार्यों पर अभी भी व्यय किया जा रहा है। वनमंडलाधिकारी समान कक्षों के लिए विभिन्न मदों से प्रस्ताव भेजते समय इस तथ्य का ध्यान रखने में विफल रहे। आगे, ए.एन.आर. कार्य पुनरर्स्थापना कार्यवृत्त (आर. डब्ल्यु.सी.[5]) में नहीं कराया जाना था।

प्रकरण को अभिमत के लिए शासन के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2020)। उनके उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2020)।

5-4 fcxM ouk dk lq/kkj jki.k jfgr dk;Z d mij vfu;fer 0;;

rhu oueMykf/kdkfj;k u dk; vk;kstuk d iko/kkuk dk mYy/ku djr g, o{kkjki.k dk;oÙk d 1]418-557 gDV;j fjDr ouk e jki.k jfgr fcxM ouk dk lq/kkj dk; djk;k] ifj.kkeLo:i ₹ nk djkM dk vfu;fer 0;; gvkA

कार्य आयोजना कोड, 2014 के स्थायी निर्देश के अनुसार, वृक्षारोपण कार्यवृत्त (पी.एल. डब्ल्यु.सी.) में अधिकांशतः खुले हुए रिक्त वनों को शामिल किया गया है जो जैविक दवाब के प्रति अति संवेदनशील है। इन क्षेत्रों में उपलब्ध जड़ भण्डार से वनों को पुर्नस्थापित करने की संभावना बहुत कम है। इस कार्यवृत्त के गठन का उद्देश्य वृक्षारोपण द्वारा रिक्त वनों में पुनरूत्पादन करना एवं भू–क्षरण से प्रभावित क्षेत्रों को भूमि संरक्षण कार्य द्वारा संरक्षित करना है। इस कार्यवृत्त का उपचार दो विधियों से प्रावधानित है, प्रथम पूर्व के असफल वृक्षारोपण एवं द्वितीय रिक्त/अनुत्पादक अल्प जड़ भण्डार क्षेत्र के लिए। कार्य आयोजना कोड के अनुसार, 20 हेक्टेयर से बड़े रिक्त और अनुत्पादक जड़ भण्डार क्षेत्र को सिंचित/असिंचित वृक्षारोपण द्वारा उपचारित किया जाना है। कोई क्षेत्र जहाँ पूर्व वृक्षारोपण असफल रहा, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर वृक्षारोपण/बीज बुआई द्वारा पुनरूत्पादित किया जा सकता है।

कुल 34 में से तीन[6] वनमंडलाधिकारियों के अवधि 2015–16 और 2016–17 के आवंटन नस्तियों, कार्य आयोजना एवं परियोजना प्रतिवेदनों की नमूना जाँच (मार्च एवं दिसम्बर 2017 के मध्य) में लेखापरीक्षा ने पाया कि वनमंडलाधिकारियों ने वृक्षारोपण कार्यवृत्त के 21 कक्षों में 2,121.676 हेक्टेयर में बिगड़े वनों का सुधार (आर.डी.एफ.) रोपण रहित का उपचार कार्य कराया। आगे, लेखापरीक्षा द्वारा इन कक्षों की स्थिति की नमूना जाँच उनके कक्ष इतिहास से की गई और पाया गया कि इन 21 कूपों के 1,418.557 हेक्टेयर रिक्त वन में आर.डी.एफ. रोपण रहित कार्य से उपचार किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 5-2** में दर्शाया गया है। कार्य आयोजना के प्रावधानों एवं क्षेत्र की स्थिति के अनुसार रिक्त क्षेत्रों को सिंचित/असिंचित वृक्षारोपण से उपचारित किया जाना था। परन्तु,

---

5 आर.डब्ल्यु.सी. कार्यवृत्त में रिक्त अथवा अल्प सन्निधी वाले बिगड़े वन समाविष्ट होते है। इस कार्यवृत्त के रिक्त क्षेत्रों को वृक्षारोपण एवं अल्प सन्निधी वाले क्षेत्रों में उपलब्ध जड़ भण्डार का ड्रेसिंग, अंगीकरण, सुरक्षा एवं संरक्षण द्वारा उपचारित किया जाना है।

6 व.म.अ., दंतेवाड़ा, व.म.अ., कटघोरा एवं व.म.अ., मारवाही

वनमंडलाधिकारियों ने इन कक्षों के रिक्त क्षेत्रों के लिए आर.डी.एफ. रोपण रहित का प्रस्ताव प्रेषित किया जिसे मु.व.सं. ने तकनीकि स्वीकृति प्रदान की। अतः कार्य आयोजना कोड के प्रावधानों का उल्लंघन कर 1,418.557 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण रहित का उपचार किये जाने के परिणामस्वरूप राशि ₹ दो करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

इंगित किये जाने पर वनमंडलाधिकारी, मरवाही ने उत्तर में कहा (मई 2017) कि कार्य किये जाने से पूर्व सतत् रिक्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं था। अतः इन क्षेत्रों में रोपण रहित उपचार कार्य किया गया। वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2017) कि सभी कूपों में अतिक्रमित क्षेत्र थे और यदि वृक्षारोपण किया जाता तो ग्रामीणों को रास्ते में अवरोध के कारण आवाजाही में परेशानी होती और उनके द्वारा क्षेत्र में बाड़ाबन्दी का विरोध किये जाने की भी संभावना थी। उनके द्वारा आगे कहा गया कि ऐसी स्थिति में रोपण रहित का उपचार किया जाना ही उचित था। वनमंडलाधिकारी, कटधोरा द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी पर निर्दिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

उत्तर मान्य नहीं है, वनमंडलाधिकारी, मरवाही के प्रकरण में कक्ष इतिहास के अनुसार वृक्षारोपण कार्यवृत्त के इन कक्षों में पर्याप्त रिक्त स्थल उपलब्ध थे और कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप इन रिक्त स्थलों को केवल वृक्षारोपण के द्वारा उपचारित किया जाना था। इसी प्रकार, वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा का उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि स्थल की सुरक्षा हेतु इन कक्षों में बाड़ाबन्दी कार्य कराया गया है।

प्रकरण को अभिमत के लिए शासन के ध्यान में लाया गया (मई 2020), उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2020)।

v/;k; VI

eqnzkad 'kqYd ,oa iath;u Qhl

v/;k;&VI% enkd 'kYd ,o ith;u Qhl

6-1 iLrkouk

भारत के संविधान के सातवीं अनुसूची के सूची एक (संघ सूची) के प्रविष्टि 91 में विनिर्दिष्ट अनुसार विनिमय पत्र, चैक, वचन पत्र, वहन–पत्र, प्रत्यय पत्र, बीमा पॉलिसियों, शेयरों के अंतरण, डिबेंचर, परोक्षी एवं रसीद पर मुद्रांक शुल्क (मु.शु.) के दर को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 वर्णित करता है। संघ सूची के प्रविष्ट 91 को छोड़कर भारत के संविधान के सातवीं अनुसूची के सूची दो (राज्य सूची) के प्रविष्टि 63 अनुसार अन्य दस्तावेजों पर मु.शु. के दरों को प्रावधानित करने की शक्तियां राज्यों को है। छत्तीसगढ़ राज्य में मु.शु. एवं पंजीयन फीस (पं.फी.) से प्राप्तियां, छत्तीसगढ़ स्टाम्प नियम, 1942, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के तहत विनियमित होता है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार विलेखों के बाजार मूल्य पर मु.शु. आरोपणीय होता है एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में निर्धारित दरों अनुसार पं.फी. देय होता है।

मु.शु. विक्रय, विनिमय, दान, विभाजन, निर्मुक्ति आदि द्वारा संपत्तियों के हस्तांतरण द्वारा संव्यवहारों को साक्ष्यांकन किये जाने पर आरोपणीय होता है। स्टाम्प अधिनियम राज्य नीति के अंतर्गत एक राजकोषीय विधि है जो कुछ निष्पादित विलेखों में मु.शु. के भुगतान को सुनिश्चित करता है। स्टाम्प अधिनियम का उद्देश्य दस्तावेजों पर मु.शु. लगाकर राज्य के लिए राजस्व प्राप्त करना, दस्तावेजों के साक्ष्य पर अनियमित रूप से मुद्रांकित दस्तावेज पर शास्ति आरोपित करना एवं मु.शु. के अपवंचन के मामले में अभियोजन प्रदाय करना है।

6-2 foHkkx dk fØ;kdyki

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग, मु.शु. एवं पं.फी. के संग्रह के लिए उत्तरदायी है एवं विभाग राज्य में स्थित पंजीयन कार्यालयों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। पंजीयन के लिए विलेखों के प्रस्तुति पर पंजीयन प्राधिकारी यह सत्यापित करता है कि क्या इन्हें निष्पादन दिनांक से चार माह के भीतर प्रस्तुत किया गया है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत सम्यक् रूप से मुद्रांकित है एवं पं.फी. निर्धारित शुल्क तालिका के अनुसार प्राप्त किया गया है।

विभाग अधिकृत स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से स्टाम्प पेपर के बिक्री की सुविधा के लिए उत्तरदायी है। दिसम्बर 2013 से राज्य में ई–स्टाम्पिंग के आगमन होने के बाद से निष्पादकों द्वारा पंजीयन कार्यालयों एवं अन्य केन्द्रों में स्थित प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों (ए.सी.सी.) में मु.शु. भुगतान कर सकता है। मु.शु. इन ए.सी.सी. द्वारा स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एस.एच.सी.आई.एल) की ओर से संदाय/एकत्र करती है, जो कि एक केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण (सी.आर.ए.) के रूप में कार्य करती है। मु.शु. भुगतान करने के पश्चात्, ए.सी.सी. निष्पादकों को मु.शु. के भुगतान का एक प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसके आधार पर विलेख पंजीयन प्राधिकारी को पंजीयन हेतु प्रस्तुत करता है। सी.आर.ए. की नियुक्ति एवं उसके निबंधन एवं शर्तों छत्तीसगढ़ स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र के माध्यम से शुल्क का भुगतान) नियम, 2016 के अनुसार नियंत्रित होता है।

पारदर्शिता एवं निष्पक्ष पंजीयन प्रक्रिया हेतु, निष्पादकों का पूर्व–पंजीयन, संपत्ति के विवरणों की स्वघोषणा का दाखिल करना, संव्यवहारों में सम्मिलित पक्षकारों का बायोमेट्रिक डाटा लेकर उनका पहचान, विलेखों का स्कैन करना एवं उसका स्टोर करना आदि अभिहित

प्रक्रियाओं को समावेश करते हुए राज्य के उप पंजीयक कार्यालय (उ.प.का.) में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा फरवरी 2017 से ई–पंजीयन प्रणाली लागू की गई।

6-3 laxBukRed lajpuk

सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग शासन स्तर पर विभाग का प्रमुख होता है। महानिरीक्षक पंजीयन सह अधीक्षक मुद्रांक (म.पं.स.अ.मु.) विभागाध्यक्ष होता है एवं राज्य के पंजीयन कार्यालयों के सामान्य अधीक्षण हेतु उत्तरदायी होता है। उप महानिरीक्षक पंजीयन (उ.म.पं.), पंजीयन कार्यालयों के निरीक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करता है एवं केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड (के.मू.बो.) का पदेन संयोजक होता है। उप पंजीयक (उ.पं.) पंजीयन प्राधिकारी होता है जो दस्तावेजों के पंजीयन हेतु उत्तरदायी होता है। यदि किसी मामले में किसी दस्तावेज में वर्णित मूल्य की गणना उचित न की गई हो, तो उ.पं., भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद 47–1(क) के अंतर्गत मामला जिला पंजीयक (जि.पं.) को संदर्भित कर सकता है।

जि.पं. अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले उ.पं.का. का समग्र नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत जि.पं. को उ.पं.का. का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है एवं यह सुनिश्चित करना है कि पक्षकारों को दस्तावेजों के पंजीयन हेतु सुविधा एवं शासकीय राजस्वों को सुरक्षा के लिए पंजीयन कार्यालयों में समुचित व्यवस्था की गई है। विभाग का संगठनात्मक संरचना pkVZ 6-1 में दर्शित है:

PkkVZ 6-1% foHkkx dk laxBukRed lajpuk

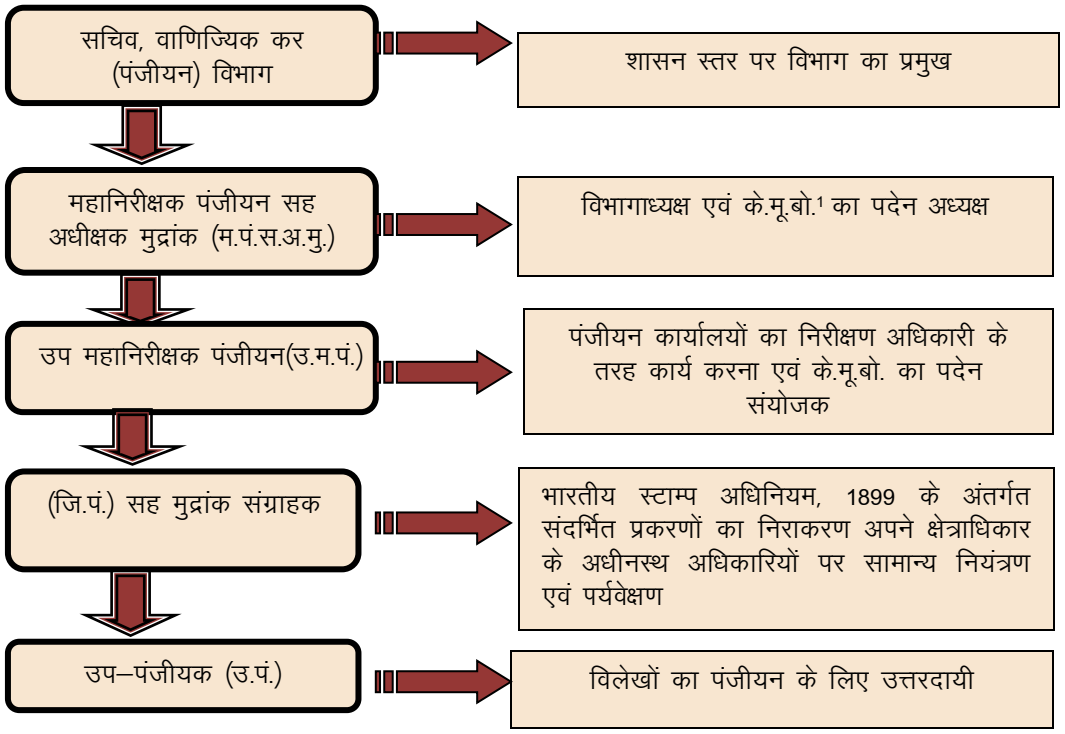

[1] छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धातों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के नियम 3 के अंतर्गत निर्मित केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड, जिला मूल्यांकन समिति (जि.मू.स.) से प्राप्त बाजार मूल्य दरों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग से प्राप्तियाँ पिछले दो वर्षों 2017–19 के दौरान घट रहीं हैं और 2018–19 के दौरान ₹ 1,108.46 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में (–)7.43 प्रतिशत की कमी देखी गई। जबकि विभाग की प्राप्तियों के संबंध में बजट अनुमान महत्वाकांक्षी रहें हैं, वास्तविक प्राप्तियों में अपेक्षाओं की अर्थपूर्ण कमी आई है। वर्ष 2018–19 के दौरान विभाग ने राज्य के स्वयं के राजस्व का 3.80 प्रतिशत एवं राज्य के कुल राजस्व[2] का 1.70 प्रतिशत का योगदान रहा। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव ने कहा (अगस्त 2020) कि बजट अनुमान की तुलना में राजस्व प्राप्ति में कमी का मुख्य कारण दस्तावेजों के पंजीयन में कमी, उच्च मूल्य के दस्तावेजों का पंजीयन न होना एवं शासन द्वारा समय समय पर दी गई छूटें थी।

वर्ष 2018–19 में पंजीयन विभाग के विभिन्न माहों में प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता थी, जिसमें कुल प्राप्तियों ₹ 1,108.46 करोड़ में से अगस्त माह में सबसे कम ₹ 66.89 करोड़ (6.03 प्रतिशत) एवं मार्च माह में अधिकतम ₹ 173.77 करोड़ (15.68 प्रतिशत) देखी गई, जैसा कि pkV 6-2 में दर्शित है:

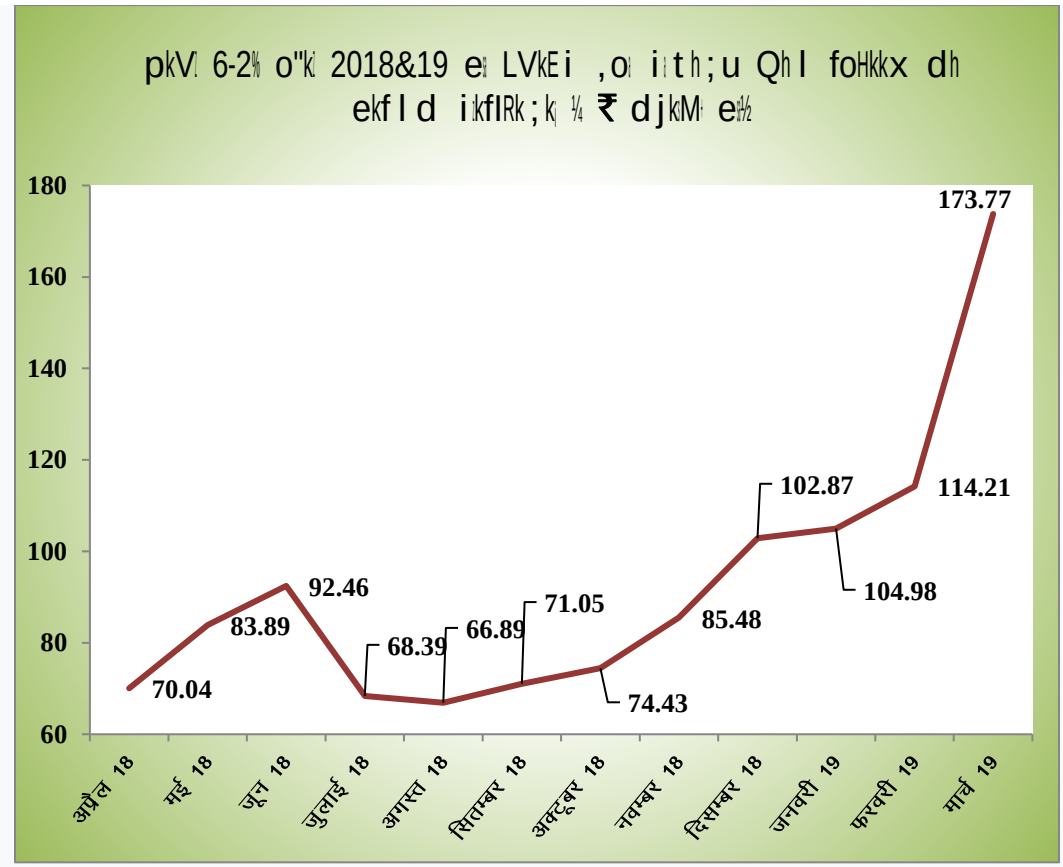

2 राज्य के स्वयं का राजस्व, सहायता अनुदान एवं विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्सा का निवल आगम सम्मिलित है।

6-4 y[kkijh{kk ifj.kke

वर्ष 2018–19 के दौरान विभाग के दो ईकाइयों[3] का अनुपालन लेखापरीक्षा एवं ''मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण'' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की गई।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकाशित छत्तीसगढ़ शासन की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ''मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण एवं संग्रहण'' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित की गई थी। प्रतिवेदन में राशि ₹ 80.40 करोड़ के अनियमितताओं एवं गैर – अनुपालन के मुद्दों को प्रकाश में लाते हुए विभिन्न मुद्दों पर अनुशंसाओं को शामिल करते हुए उस पर उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु कहा गया था। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों पर राज्य विधान सभा के लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा अक्टूबर 2015, मई 2017 एवं अगस्त 2017 में चर्चा की गई। प्रतिवेदन में विभाग द्वारा मु.शु. की अवसूली राशि ₹ 67.63 करोड़ को स्वीकार किया गया जबकि नवम्बर 2020 तक मात्र राशि ₹ 20 लाख की वसूली की गई। लो.ले.स. की अनुशंसाओं के आधार पर विभाग ने बताया (जनवरी 2018) कि समस्त जि.पं. सह मुद्रांक संग्राहकों को पंजीयन कार्यालयों, बैंकों, स्थानीय निकायों, लोक कार्यालयों आदि के दस्तावेजों को निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया। विभाग ने जि.पं. को उनके द्वारा किये गये निरीक्षण से संबंधित जानकारी प्रदान करने का भी निर्देश दिये गए, इस संबंध में जानकारी प्रतीक्षित है।

---

3 उ.पं.का.,बिलासपुर एवं रायपुर ।

6-5 **enkd 'kYd ,o ith;u Qhl d fu/kkj.k] vkjki.k ,o lxg.k** ij fu"iknu y[kkijh{kk

6-5-1 y[kkijh{kk mn~n's;

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग का निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये किया गया था कि:

- क्या मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के आरोपण एवं संग्रहण की प्रणाली शासकीय राजस्व का अभिरक्षण करने हेतु पर्याप्त, असरदार, एवं दक्ष था।
- क्या चल/अचल संपत्तियों के मूल्यांकन हेतु विभाग द्वारा तैयार किया गया बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त पर्याप्त था एवं संपत्तियों का मूल्यांकन के लिए प्रभावी ढंग से लागू किया गया।
- क्या विभाग की गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का नियोजन एवं क्रियान्वयन उचित था।

6-5-2 y[kkijh{kk ekin.M

निम्नलिखित से प्राप्त मापदण्ड के विरूद्व लेखा परीक्षा परिणाम को एकबद्ध किया गया :

- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899;
- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908;
- छत्तीसगढ़ स्टाम्प नियम, 1942;
- छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939;
- छत्तीसगढ़ स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से स्टाम्प शुल्क का संदाय) नियम, 2016;
- छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000;
- छत्तीसगढ़ लिखतों के न्यून–मूल्यांकन निवारण नियम, 1975;
- छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1982;
- छत्तीसगढ़ नगरीय निकायों अधिनियम, 1961;
- छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, 1993 एवं
- शासन/विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये अधिसूचनाओं/आदेशों

6-5-3 y[kkijh{kk {ks= ,o dk;Ziz.kkyh

निष्पादन लेखापरीक्षा जुलाई 2019 एवं मार्च 2020 के मध्य किया गया एवं 2014–19 की अवधि के दौरान विभाग से संबंधित गतिविधियों एवं कार्यकलाप को अन्तर्निहित किया गया। लेखापरीक्षा प्रणाली में विभागाध्यक्ष–म.पं.स.अ.मु., पाँच[4] वरि.जि.पं.का./जि.पं.का. (21 में से) एवं 25[5] उ.पं.का. (98 में से) का चयन सरल यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति से करते हुए अभिलेखों की जांच किया जाना शामिल था। पंजीयन कार्यालयों के अलावा चयनित

---

4 बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, रायगढ़ तथा रायपुर।

5 अभनपुर, अम्बिकापुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, बिलाईगढ़, बिलासपुर, बिल्हा, धमतरी, डोंगरगढ़, दुर्ग, घरघोड़ा, जगदलपुर, जाँजगीर, कबीरधाम, कोरबा, कुरूद, पाटन, रायगढ़, रायपुर, राजिम, राजनांदगाँव, रामानुजगंज, सारंगढ़, सूरजपुर तथा तिल्दा।

जि.पं.का. के अंतर्गत आने वाले अन्य लोक कार्यालयों[6] जैसे नगर पालिका निगमों/नगर पालिका परिषदों, उपसंचालक, मछली पालन, कम्पनी रजिस्ट्रार सह आधिकारिक समाशोधक आदि के भी अभिलेखों का जाँच किया गया जिससे यह सत्यापित हो सके कि जि.पं. द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले लोक कार्यालयों का निरीक्षण किया गया एवं यह सुनिश्चित हो सके कि लोक अधिकारियों द्वारा स्वीकार किये गये दस्तावेज सम्यक् रूप से मुद्रांकित थे एवं अनिवार्य रूप से पंजीयन दस्तावेजों को उ.पं.का. में सम्यक पंजीकृत किया गया है।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में उ.पं.का. में विलेखों की जाँच के साथ अन्य संबंधित अभिलेखों की जाँच, जि.पं.का. के प्रकरण नस्तियों, म.पं. कार्यालय में संधारित अभिलेखों की जाँच तथा विभाग में पंजीयन प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण का समीक्षा भी सम्मिलित था। ई–पंजीयन[7] सेवा प्रदाता के चयन से संबंधित नस्तियों/अभिलेखों, सभी उ.पं.का. में मई 2017 से सितम्बर 2019 तक के पंजीकृत विलेखों के डाटा का विश्लेषण एवं एप्लीकेशन साफ्टवेयर के संचालन की भी जाँच की गई। डाटा का विश्लेषण कम्प्यूटर आधारित लेखापरीक्षा तकनीक जैसे माईक्रोसॉफ्ट एक्सेस एवं माईक्रोसॉफ्ट एक्सेल के माध्यम से किया गया।

अवधि 2014–15 से 2018–19 के दौरान 25 नमूना जाँच उ.पं.का. में 7,47,246 विलेखों का पंजीयन किया गया, जिसमें से 36,376 पंजीकृत विलेखों का चयन और जाँच किया गया।

आगम सम्मेलन सितंबर 2019 में सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के साथ आयोजित की गयी थी, जिसमें लेखा परीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र, मापदण्ड़ों और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गयी।

प्रारूप लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन 20 मई 2020 को शासन को प्रेषित किया गया और 26 अगस्त 2020 को आयोजित बहिर्गमन सम्मेलन में शासन के उत्तरों पर चर्चा की गयी। प्रतिवेदन में शासन के उत्तरों को यथोचित रूप से शामिल किया गया।

6-5-4 y[kkijh{kk i{k.kk

राज्य शासन ने जुलाई 2000 में छत्तीसगढ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 को बनाया गया एवं तीन समितियों को बनाया जैसे, विभागीय स्तर पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड (के.मू.बो.), जिला स्तर पर जिला मूल्यांकन समिति (जि.मू.स.), और अनुविभागीय स्तर पर उप जिला मूल्यांकन समिति (उ.जि.मू.स.)। उ.जि.मू.स., सम्पत्ति के मूल्य से संबंधित आँकड़े एकत्रित कर संकलित कर एकत्रित किये गये आँकड़ों का विश्लेषण कर संबंधित जि.मू.स. को अग्रेषित करती है। जि.मू.स. सम्पत्ति के मूल्यों तथा सम्पत्ति के रूझानों की जानकारी एकत्रित करता है, जिसे कि विद्यमान आँकड़ों के साथ प्राथमिक आँकड़ों के रूप में संकलित करते हुए अनंतिम मूल्यों को तय करता है एवं के.मू.बो. के अनुमोदन के बाद विभिन्न क्षेत्रों के लिए बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किया जाता है। के.मू.बो. संपत्तियों के बाजार मूल्य एवं दरों के निर्धारण से संबंधित उपबंधों का अनुमोदन करती है।

आगे, छत्तीसगढ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्वान्तों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के नियम 6 अनुसार स्थावर सम्पति के मूल्य निर्धारित करते समय जि.मू.स., छत्तीसगढ लिखतों का न्यून–मूल्यांकन निवारण नियम, 1975 के नियम 5 में उल्लेखित

[6] अधिकारी जो अपने अधिकारिक क्षमता में दस्तावेजों को स्वीकारते है।

[7] विभाग द्वारा दस्तावेजों को कम्प्यूटरीकृत पद्धति से पंजीयन करने हेतु विकसित किया गया प्रणाली।

मूल्यांकन के स्थापित सिद्धान्तों एवं अन्य तथ्य जो आवश्यक समझे जाए, को विचार में लेगी।

6.5.4.1 बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त के तैयार करने में अपर्याप्तता

बाजार दरों के संग्रह/समर्थन के बारे में दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव के कारण उ.जि.मू.स./जि.मू.स. द्वारा बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करने के लिए, उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा सभी नमूना जाँच उ.पं.का./जि.प.का. में देखा गया कि संपत्ति के मूल्य से संबंधित एकत्रित एवं संकलित आँकड़ों का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। आगे वर्ष 2014–15 से 2018–19 के बीच उ.जि.मू.स., बिलासपुर, बिल्हा एवं तिल्दा के बाजार मूल्य को अंतिम रूप देने वाले उ.जि.मू.स./जि.मू.स. के बैठक कार्यवृत उपलब्ध नहीं था। इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा उ.जि.मू.स./जि.मू.स. द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त के दरों के निर्धारण के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

पंजीयन प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त, किसी क्षेत्र में संपत्तियों के पूर्व संव्यवहारों का डाटा उपलब्ध होने के बाद विभाग द्वारा संपत्तियों के संव्यवहारों का रूझान का उपयोग किया जा सकता था। हालांकि, विभाग द्वारा रूझानों के डाटा को एकत्रित करने के लिए ई–पंजीयन प्रणाली में ऐसी व्यवस्था विकसित करने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया, जिसका वर्णन इस प्रतिवेदन के आगामी कंडिकाओं में किया गया है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने आक्षेपों को स्वीकारते हुए व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि उ.जि.मू.स., जि.मू.स. एवं के.मू.बो. स्तर पर बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का प्रावधान है और यह कि बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया(एस.ओ.पी.) भी बनाया गया है एवं समस्त मूल्यांकन बोर्डों/समितियों को इस प्रक्रिया का अक्षरशः पालन किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त के तैयारी में अपर्याप्ता का एक प्रकरण का वर्णन नीचे उल्लेखित हैः

छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों को तैयार किया जाना एवं पुनरीक्षण नियम, 2000 के नियम 9 में किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में वृहद् स्तर पर आवासीय परियोजना का विकास के कारण भूमि के मूल्यों में आकस्मिक वृद्धि होने के कारण बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का विशेष पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है। ऐसा पुनरीक्षित मूल्य म.पं. द्वारा बताई गई उस तारीख से कार्यान्वित होगा। मार्गदर्शक सिद्धान्त में, विकसित आवासीय एवं वाणिज्यिक परियोजनाओं के भूमि के बाजार मूल्य को 'परियोजना के नाम' या 'स्वीकृत अभिविन्यास' से पृथक से दर्शाया जाता है। उ.पं.का. में हस्तांतरण (विक्रय) के नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि तीन[8] उ.पं.का. के 20 विलेखों में कुल 2,593.187 वर्ग मीटर का विक्रय परियोजना विकास फर्मों द्वारा विभिन्न क्रेताओं को किया गया एवं आवासीय परियोजनाओं का अभिविन्यास नगर तथा ग्राम निवेश (न.ग्रा.नि.) द्वारा अनुमोदन किया गया था। हालांकि, बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त में इन स्वीकृत अभिविन्यास का

[8] डोंगरगढ़, रायगढ़ एवं सारंगढ़

पृथक से दर का उल्लेख नहीं था, एवं संबंधित उ.पं. द्वारा संपत्ति की वास्तविक स्थिति अनुसार मार्गदर्शक सिद्धान्त दर के अनुरूप बाजार मूल्य की गणना की गई।

चूँकि न.ग्रा.नि. को आगामी आवासीय परियोजनाओं के बारे में मालूम था, उ.जि.मू.सं द्वारा पृथक दरों को सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर संबंधित जि.मू.सं. को अनुमोदन हेतु भेजा जाना चाहिए था। यह भी देखा गया कि न.ग्रा.नि. से आगामी आवासीय परियोजनाओं की जानकारी एकत्रित नहीं किये जाने के साथ साथ बाद के वर्षों में इन स्वीकृत अभिविन्यासों की संपत्तियों का पंजीयन उ.प.का. में होने के बावजूद संबंधित उ.पं. द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त में पृथक दर सम्मिलित करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया।

यह जि.मू.स. को अनुमोदन हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त दरों के प्रस्ताव भेजने के पूर्व उ.जि.मू.स. को विभिन्न स्त्रोतों से जानकारियां एकत्रित करने के प्रयासों की कमियों को दर्शाता है।

बहिर्गमन सम्मेलन में सचिव ने आक्षेप को स्वीकारते हुए व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि सभी उ.पं./जि.पं. को निर्देशित कर दिया गया है कि भविष्य में न.ग्रा.नि. एवं अन्य विभागों से अनुमोदित अभिविन्यास/नवीन परियोजनाओं के संबंध में जानकारी एकत्रित कर उसका समावेश करते हुए बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करें।

6-5-4-2 cktkj ewY; ekxZn'kZd fl)kUr esa dfe;k¡

fcykliqj uxj fuxe esa eq[; ekxZ ij rFkk eq[; ekxZ ls vUnj fLFkr laifÙk;ksa ds ewY;kadu ds fy, vyx nj dk izko/kku u gksus ds dkj.k e-'kq- ,oa i-Qh- dh de izkflrA

छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के नियम 6 अनुसार स्थावर सम्पति के मूल्य निर्धारित करते समय समितियाँ भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ लिखतों का न्यून–मूल्यांकन निवारण नियम, 1975) के नियम 5 में उल्लेखित मूल्यांकन के स्थापित सिद्धान्तों एवं अन्य तथ्य जो आवश्यक समझे जाए, को विचार में लेगी। उनमें से एक तथ्य जिस पर संपत्ति का बाजार मूल्य का निर्धारण किया जाता है वह सड़क से समीपता है, जैसा कि छत्तीसगढ़ लिखतों का न्यून–मूल्यांकन निवारण नियम, 1975 के नियम 5 में वर्णित है। मार्गदर्शक सिद्धान्त के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य मार्ग से क्रमशः 20 मीटर तथा 46 मीटर दूरी तक स्थित भूमि को मुख्य मार्ग पर स्थित माना जाता है।

लेखापरीक्षा ने उ.पं., बिलासपुर की वर्ष 2014–15 से 2018–19 के मार्गदर्शक सिद्धान्त में पाया गया कि अधिकांश क्षेत्रों में मुख्य मार्ग पर तथा मुख्य मार्ग के अन्दर दोनों दरों के होने के बजाय केवल मुख्य मार्ग या मुख्य मार्ग के अन्दर का मूल्य ही उपलब्ध था। अतः मुख्य मार्ग का दर उपलब्ध न होने से मुख्य मार्ग पर स्थित संपत्तियों का मूल्यांकन मुख्य मार्ग के अन्दर के दर से किया गया क्योंकि मार्गदर्शक सिद्धान्त में मुख्य मार्ग का दर उपलब्ध नहीं था। लेखापरीक्षा द्वारा कुछ प्रकरणों का जाँच किये जाने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पायी गई।

दो विक्रय विलेखों[9] में लेखापरीक्षा ने पाया कि दस्तावेज में दर्शित संपत्तियों का विवरण अनुसार ये संपत्तियां मुख्य मार्ग के अन्दर स्थित थीं परन्तु मुख्य मार्ग के अन्दर के दर की अनुपलब्धता के कारण उ.पं., बिलासपुर ने उस क्षेत्र का न्यूनतम उपलब्ध दर का उपयोग किया। जबकि अगस्त 2017 से जुलाई 2019 के दौरान कुल पंजीकृत 31 विक्रय विलेखों में संपत्तियां[10] मुख्य मार्ग पर स्थित थीं परन्तु उप पंजीयक ने मार्गदर्शक सिद्धान्त में मुख्य मार्ग का दर उपलब्ध होने के बावजूद भी त्रुटिवश मुख्य मार्ग के अन्दर का दर उपयोग किया गया।

इन क्षेत्रों के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त में मुख्य मार्ग तथा मुख्य मार्ग के अन्दर के लिये दरों की अनुपलब्धता होने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा संपत्ति की वास्तविक स्थिति अनुसार बाजार मूल्य का सही निर्धारण नहीं किया जा सका। आगे, उ.पं. द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त में मुख्य मार्ग का दर उपलब्ध होने के बावजूद भी मुख्य मार्ग के अन्दर का दर गलती से लागू किये जाने के कारण मु.शु. एवं पं.फी. का कम आरोपण हुआ। इस प्रकार, बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त को तैयार करते समय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ लिखतों का न्यून–मूल्यांकन निवारण नियम, 1975 के नियम 5 में उल्लेखित तथ्यों को मूल्यांकन बोर्डों द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने आक्षेप को स्वीकारते हुए व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त को तैयार करते समय इस मुद्दे पर सुधारात्मक कदम उठाये जायेगें और ऊपर वर्णित प्रकरणों में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से जि.पं. द्वारा निराकरण के बाद सूचित कर दिया जायेगा।

6-5-4-3 NÙkhlx< jftLVªhdj.k fu;e] 1939 d fopyu e tkjh vf/klpuk d vuqlkj ifrQy Hkko dk vioatu djus d dkj.k jktLo dh de ikflrA

NRrhlx< jftLVªhdj.k fu;e] 1939 d fopyu e 'kklu }kjk tkjh vf/klpuk e i-Qh- dk vkjki.k foys[kk e vfdr ifrQy jkf'k dk NkM+dj ek= lifÙk d ckTkj eY; ij fd;s tku ls i-Qh- dh de ikflrA

छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 के रजिस्ट्रीकरण फीस के सारणी के पहले अनुच्छेद के सरल क्रमांक (3) के अनुसार दस्तावेज में वर्णित बाजार मूल्य या दस्तावेज में व्यक्त किए गए प्रतिफल के आधार पर, दोनों में से जो भी अधिक हो उसके अनुसार पं.फी. निर्धारित होगा।

आगे, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.07.2019, के अनुसार विक्रय, विनिमय तथा दान जो परिवार के सदस्य से भिन्न के पक्ष में हो, को पुनरीक्षित की गई जिस पर पं.फी. चार प्रतिशत की दर से लिया जायेगा तथा दिनांक 03.08.2019 की अधिसूचना के अनुसार आवासीय भवन/फ्लैट संपत्ति का बाजार

---

9 1. विक्रय विलेख क्र. 2604 दिनांक 24.11.2017 जो कि खसरा क्र. 140/5, ग्राम– तालापारा, प.ह.न. 39, वार्ड क्र. 11, गायत्री नगर वार्ड के राजीव गांधी चौक से महाराणा प्रताप चौक तक
2. विक्रय विलेख क्र. 2475 दिनांक 20.11.2017 संपत्ति नर्मदा नगर आवासीय योजना, मौजा मंगला, प.ह.न. 21 नेहरू नगर पर स्थित, हनुमान मंदिर मुख्य मार्ग, वार्ड क्र.3

10 आंनदम प्लाजा, व्यापार विहार जोन–2, वार्ड नं. 11, गायत्री नगर वार्ड।

मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त के अनुसार ₹ 75 लाख अथवा इससे कम होने पर पं.फी. पर दो प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

दिनांक 24.07.2019 का अधिसूचना रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी के पहले अनुच्छेद के सरल क्रमांक (3) के विपरीत पं.फी. का आरोपण प्रतिफल की राशि को छोड़कर किये जाने से पं.फी. का आरोपण संपत्ति के बाजार मूल्य पर होने से पं.फी. का कम आरोपण हुआ। हालांकि, मु.शु. का आरोपण बाजार मूल्य या प्रतिफल राशि जो भी अधिक हो पर किया गया।

लेखापरीक्षा ने 14,396 विलेखों में पाया कि विक्रय, विनिमय तथा दान जो परिवार के सदस्य से भिन्न के पक्ष में 25 जुलाई 2019 से 30 सितम्बर 2019 के मध्य पंजीकृत हुए थे उनका प्रतिफल राशि संपत्ति के बाजार मूल्य से अधिक था परंतु उ.पं.का. द्वारा पं.फी. मात्र संपत्ति के बाजार मूल्य पर लिये जाने से पं.फी. की कम प्राप्ति हुई।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने तथ्य को स्वीकारते हुए (अगस्त 2020) उत्तर में कहा कि रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी के पहले अनुच्छेद के सरल क्रमांक (3) को निरस्त करने के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुच्छेद–1 के सरल क्र.(3) को निरस्त करने के बजाय अधिसूचना में संशोधन करना आवश्यक था, क्योंकि यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 का विचलन कर जारी हुआ था। परन्तु अधिसूचना के अनुसार प्रतिफल की राशि बाजार मूल्य से अधिक होने के बावजूद पं.फी. का आरोपण का आधार केवल बाजार मूल्य पर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य शासन को राजस्व हानि हुई।

6-5-4-4 LVkd@dekfMVh ,Dlptk l cdk;k e-'k- dh jkf'k dk olyu d vulj.k dk lfuf'pr u fd;k tkukA

NRrhlx< jkT; d xkgdk }kjk LVkd@eYVh&dekfMVh ,Dlptk }kjk fd, x, yu nu ij cdk;k e-'k- dh jkf'k ₹ 63-71 djkM d olyh d fy, foHkkx }kjk LVkd@eYVh&dekfMVh ,Dlptk l vulj.k ugh fd;k x;kA

छत्तीसगढ़ शासन ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–क (छत्तीसगढ़ राज्य में लागू) में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 20 क–'समाशोधन सूची' जोड़ा गया, जिसमें करार या करार का ज्ञापन के माध्यम से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सेंजों के स्टॉक ब्रोकरों से प्रतिभूतियों के क्रय–विक्रय किये जाने पर ऐसी सूची की प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में यथास्थिति, मिलान कीमत या संविदा कीमत पर संगणित प्रतिभूतियों के मूल्य पर प्रत्येक दस हजार रूपये या उसके भाग के लिए मु.शु. एक रूपये के दर से प्रभारित होगा। संशोधन के एवज में म.पं. ने (जनवरी 2015) में इस अनुच्छेद को सम्मिलत करने, छत्तीसगढ़ में स्थित ब्रोकरों, सब ब्रोकरों या अधिकृत व्यक्तियों द्वारा की गई मासिक लेन देनों का कारोबार की जानकारी प्रदाय करें एवं प्राप्त मु.शु. की राशि को शासकीय खाते में प्रेषित करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अनुरोध किया।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य के ग्राहकों द्वारा कितनी संख्या में ब्रोकरों से लेनदेन किया गया, लेखापरीक्षा ने अवधि 2014–15 से 2018–19 के लिये बाम्बे स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) तथा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) से जानकारी प्राप्त किया। इन एक्सचेंजो ने (नवम्बर 2019 से फरवरी 2020) में बताया कि

अवधि 2014–15 से 2018–19 के दौरान 3,373 लेनदेनों में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय की राशि ₹ 6,37,124.56 करोड[11] सम्मिलित थी। इन लेन देनों पर ₹ 63.71 करोड (ifjf'k"V 6-1) का मु.श. आरोपणीय था और यह राशि शासकीय खाते में प्रेषित होनी चाहिए थी। विभाग ने बताया (जुलाई 2019) की अनुच्छेद 20(क) को जोडे जाने के बाद स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिभूतियों के क्रय–विक्रय की मात्रा एवं उससे प्राप्त राशि के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अतः विभाग के पास स्टॉक एक्सचेंजों से संपर्क साध कर लेन–देनों की मात्रा ज्ञात करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान नही था और प्राप्त की गई मु.शु. को शासकीय खाते में प्रेषित किये जाने को भी सुनुश्चित नहीं किया जा सका। भारत सरकार की अधिसूचना (दिसम्बर 2019) में भारतीय स्टाम्प (स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगमो और निक्षेपागारों के माध्यम से स्टाम्प शुल्क संग्रहण) नियम, 2019 बनाया गया जिसमें संग्रहकर्त्ता अभिकर्त्ता[12] को 1 जुलाई 2020 से मु.शु. को संग्रहण कर उसका प्रेषण राज्य शासन के अधिकृत बैंक खाता में प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी किया गया।

हालांकि, विभाग द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर मु.शु. प्राप्त करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों से समन्वय स्थापित करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किये गये।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव ने आक्षेप को स्वीकारते हुए व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि बकाया मु.शु. की प्राप्ति हेतु स्टॉक एक्सचेंजों/कमोडिटी एक्सचेंजों को एक पत्र (जुलाई 2020) जारी किया गया है।

vuq'kalk%

'kklu dks e|-'kq- dh olwyh ds fy;s LVkd ,Dlpsatksa ds lkFk leUo; LFkkfir djus ds fy, ,d ra= fodflr djuk pkfg,A

6-5-4-5 v/khuLFk dk;kZy;ksa ,oa ys[kk dk;kZy;ksa dk vi;kZIr fujh{k.k

> **eUkqvy esa fu/kkZfjr iSekus ds vuqlkj v/khuLFk ,oa ys[kk dk;kZy;ksa dk fujh{k.k fd;s tkus dk fof'k"V iko/kku gksus ds ckotwn Hkh] fd, x, fujh{k.k cgqr de FksA**

पंजीयन मैनुअल की कंडिका 469 यह प्रावधानित करता है कि जि.पं. अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले उ.पं.का. का वर्ष में दो बार निरीक्षण करेगा और साथ ही उ.पं.का. का आकस्मिक निरीक्षण करेगा। आगे, पंजीयन मैनुअल की कंडिका 468 के अनुसार जि.पं.का. का निरीक्षण म.पं. एवं उ.म.पं. को सौंपा गया है।

म.पं., उ.म.पं. एवं जि.पं. का वर्षवार निरीक्षण का लक्ष्य एवं वास्तविक निरीक्षण का विवरण नीचे rkfydk 6-1 में दर्शित है:

---

11 ₹ 21,387.26 करोड़ (बीएसई); ₹ 3,33,782.99 करोड़ (एनएसई) एवं ₹ 2,81,954.30 करोड़ (एमसीएक्स)

12 कोई स्टॉक एक्सचेंज या उसके द्वारा प्राधिकृत समाशोधन निगम या कोई निक्षेपागार अभिप्रेत है, जो अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार के निमित्त प्रतिभूतियों पर स्टाम्प शुल्क का संग्रह करने के लिए सशक्त है।

rkfydk 6-1% y{; ,o okLrfod fujh{k.kk dk o"kokj fooj.k

o"k	e-i-		m-e-i-		ft-i-	
	Yk{;	fujhf{kr	Yk{;	fujhf{kr	Yk{;	fujhf{kr
2014—15	02	02	08	निरंक	487	33
2015—16	निरंक	01	निरंक	निरंक	513	3
2016—17	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	553	निरंक
2017—18	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	634	60
2018—19	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	586	187
;kx	02	03	08	fujd	2]773	283

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

लेखापरीक्षा की जाँच में पाया गया कि जि.पं. द्वारा उ.पं.का. की निरीक्षणों की वास्तविक संख्या बिल्कुल नगण्य था (2,773 लक्ष्य के विरूद्व 283)। इसी प्रकार, ऊपर तालिका में स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि म.पं. द्वारा वर्ष 2015—16 से 2018—19 के दौरान जि.पं.का. के निरीक्षण का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया और वर्ष 2014—15 से 2018—19 अवधि के दौरान उप म.पं. द्वारा जि.पं.का. का निरीक्षण नहीं किया गया।

वर्ष 2014—15 से 2018—19 के बीच नमूना जाँच जि.पं. द्वारा उ.पं.का./लोक कार्यालयों का लक्ष्य एवं वास्तविक निरीक्षण की स्थिति का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

rkfydk 6-2% ueuk tkp ftyk iath;dk }kjk mi iath;d@ykd dk;ky;k dk y{; ,o okLrfod fujh{k.k%

ftyk iath;dk	y{;		okLrfod		deh	
	m-i-dk-	ykd dk;ky;k	m-i-dk-	ykd dk;ky;k	m-i-dk-	ykd dk;ky;k
बिलासपुर	70	206	39 (56 प्रतिशत)	33 (16 प्रतिशत)	31 (44 प्रतिशत)	173 (84 प्रतिशत)
धमतरी	57	51	46 (81 प्रतिशत)	31 (61 प्रतिशत)	11 (19 प्रतिशत)	20 (39 प्रतिशत)
दुर्ग	30	81	8 (27 प्रतिशत)	25 (31 प्रतिशत)	22 (73 प्रतिशत)	56 (69 प्रतिशत)
रायगढ़	50	निरंक	09 (18 प्रतिशत)	निरंक	41 (82 प्रतिशत)	निरंक[13]
रायपुर	41	53	06 (15 प्रतिशत)	6 (11 प्रतिशत)	35 (85 प्रतिशत)	47 (89 प्रतिशत)
;kx	248	391	108 ¼44 izfr'kr½	95 ¼24 izfr'kr½	140 ¼56 izfr'kr½	296 ¼76 izfr'kr½

248 उ.पं.का. का लक्ष्य के विरूद्ध जि.पं. द्वारा 108 उ.पं.का. एवं 391 लोक कार्यालयों के विरूद्ध जि.पं. द्वारा 95 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। अतः उ.पं.का. एवं लोक

[13] निरीक्षण हेतु लोक कार्यालयों का लक्ष्य/चयन नहीं किया गया।

कार्यालयों के निरीक्षणों के लक्ष्य के विरूद्ध क्रमशः 56 एवं 76 प्रतिशत की कमी थी। आगे, पिछले पाँच वर्षों में रायगढ़ जिले के कोई भी लोक कार्यालयों का निरीक्षण हेतु चयन नहीं किया गया।

यह आश्वासित होने के लिए कि अधीनस्थ कार्यालयों प्रयोज्य अधिनियमों एवं नियमों अनुरूप कार्य कर रही है एवं शासकीय राजस्व सुरक्षित है के लिए लक्ष्य के अनुरूप वास्तविक निरीक्षणों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने आक्षेप को स्वीकारते हुए व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि म.पं. एवं उ.म.पं. द्वारा कार्यालयों का आगामी वर्षो में पर्याप्त संख्या में निरीक्षण के लिए एक कार्य योजना एवं रोस्टर तैयार कर लिया गया है। रोस्टर के अनुसार निरीक्षण नहीं करने वाले जि.पं. को कारण बताओ सूचना जारी कर दी गई है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में मैनूअल के प्रावधान के अनुसार लोक कार्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा।

6-5-4-6 ykd vf/kdkfj;ksa }kjk jktLo dh de izkfIr

> jftLVªhdj.k vf/kfu;e] 1908 ds vUrxZr eNyh ikyu ds fy, rkykcksa ,oa ekckbZy Vkojksa ds iV~Vk djkjksa dk ykd vf/kdkfj;ksa }kjk izLrqr ugha djk;s tkus ds QyLo:i eq-'kq- ,oa i-Qh- dh de izkfIrA

वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान जि.पं. ने काफी कम लोक कार्यालयों का निरीक्षण किया, लेखापरीक्षा ने विभिन्न लोक कार्यालयों में मु.शु. एवं पं.फी. के कम आरोपण/अनारोपण के प्रकरण पाए, जिसका उल्लेख नीचे किया गया हैः

जब कोई भागीदार ₹ 50,000 या उससे अधिक नगद के माध्यम से लाये गये हो या भागीदार/भागीदारों द्वारा अभिदाय का अंश संपत्ति के माध्यम से भागीदार विलेख द्वारा लाये गये हो, वहां पर मु.शु. दो प्रतिशत की दर से देय है।

- रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एवं संस्थाऐं (आर.एफ. एवं एस.), बिलासपुर एवं दुर्ग के अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा तीन अलग–अलग प्रकरणों में पाया गया कि फर्म्स के भागीदारों ने नगद ₹ 26.02 लाख, अचल सम्पत्ति का मूल्य ₹ 1.71 करोड एवं चल सम्पत्तियों (बसों) के रूप में पूँजी लाया। इस भागीदारी विलेखों को फर्मों के पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एवं संस्थाऐं को प्रस्तुत किये गए। संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एवं संस्थाऐं ने ऊपर उल्लेखित प्रावधान की अवहेलना करते हुए तीन प्रकरणों में मु.शं. ₹ 1,000 जहां पर पूँजी नगद, अचल सम्पत्ति एवं अन्य प्रकरण में मु.शं. ₹ 5,000 जहां चल सम्पत्तियों (बसों) के रूप में पूँजी के रूप में निवेश किया गया था वसूल की। इस प्रकार तीन प्रकरणों में मु.शु. ₹ 3.45 लाख का कम आरोपण हुआ (विवरण ifjf'k"V 6-2 में दर्शित है)। चौथे प्रकरण में, जहां भागीदार फर्म जिसमें 27 बसों जिसका मूल्य नहीं दर्शाया गया था के अंशदान के साथ फर्म का पंजीयन किया गया था का लेखापरीक्षा द्वारा मु.शु. सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- लेखापरीक्षा ने उपसंचालक, मछली पालन बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ एवं रायपुर में देखा कि मत्स्याखेट/मछली पालन के लिए तालाबों का करार के लिए सात वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए 384 पट्टा विलेखों का निष्पादन किया। उपसंचालक, मछली पालन आरोपणीय मु.श. राशि ₹ 2.49 लाख के विरूद्ध ₹ 0.98

लाख वसूलते हुए 10 विलेखों का निष्पादन किया गया (ifjf'k"V 6-3)। आगे, चूँकि पट्टा विलेखों एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए निष्पादित किये गये थे तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के धारा 17(घ) के अनुसार इन पट्टा विलेखों का पंजीयन अनिवार्य था। पट्टा विलेखों का पंजीयन न किये जाने से पं.फी. की राशि ₹ 1.86 लाख की भी प्राप्ति नहीं हो सकी।

- लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि नगर पालिका निगम बिलासपुर एवं रायगढ़ द्वारा मोबाईल टावरों के प्रतिस्थापना हेतु 37 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई। इन प्रकरणों में मोबाईल टावरों के प्रतिस्थापन हेतु भूमि का मोबाईल फोन कम्पनियों द्वारा पट्टे पर भूस्वामियों से छः से 20 वर्षों के लिए लिया गया। इस पट्टा विलेखों का उ.पं.का. में अनिवार्य रूप से पंजीयन किया जाना चाहिए था। परन्तु भारतीय स्टाम्प अधिनियम एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अनुसार निष्पादित विलेखों को सम्यक रूप से मुद्रांकित एवं पंजीकृत नहीं किये गये थे। जिसके चलते मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 9.84 लाख का कम आरोपण हुआ (ifjf'k"V 6-4)।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने आक्षेप को स्वीकारते हुए, व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रावधान अनुसार, जि.पं. द्वारा निरीक्षण कर मु.शु. वसूली हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

6-5-4-7 'kkldh; [kkr e i"k.kk e foycA

jkdM@/kukns'k@fMek.M MkÝV ls ikIr i-Qh-] deh'kuk ,o HkkV bR;kfn dh jkf'k dk 'kkldh; [kkr e rhu ls 78 fnuk d foyc ls if"kr fd;k x;kA

छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग–1 के नियम 3 वर्णित करता है कि शासकीय सेवकों द्वारा संग्रहित/प्राप्त रोकड़ को बिना विलंब किये कोषालय/बैंक में जमा किया जाना चाहिए। साथ ही पंजीयन मैनुअल की कंडिका 120 अनुसार शासकीय सेवक द्वारा दिनभर में प्राप्त रोकड़ को बैंक में अगले दिन जमा किया जाना चाहिए।

उ.पं.का. में रोकड़ बही एवं तौजी[14] के जाँच किये जाने पर आठ[15] उ.पं.का. में पाया गया कि फरवरी 2016 से अगस्त 2019 अवधि के दौरान रोकड़ के रूप में प्राप्त पं.फी. की राशि ₹ 3.18 करोड़ (ifjf'k"V 6-5) को कोषालय में तीन से 78 दिनों तक के विलंब से जमा किया गया था। यह खास तौर पर उ.पं.का., रायपुर में था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि राशियों को विलंब से जमा करने का अपरिहार्य स्थिति जैसे बैंक का बंद रहना, बैंक का अवकाश आदि कारणों से हुआ और वास्तव में उ.पं.का में प्राप्त रोकड़ों को प्रेषण करने में कोई विलंब नहीं हुआ। आगे, सचिव ने व्यक्त किया कि उ.पं., बिलाईगढ़ द्वारा प्राप्त रोकड़ों विलंब से प्रेषण करने के कारण के संबंध में जानकारी मांगी गई है, जानकारी प्राप्त होते ही लेखापरीक्षा को शीघ्र सूचित किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लगातार बैंक का बंद रहना एवं बैंक का अवकाश अधिकतम तीन से चार दिनों से ज्यादा नहीं होता है, परन्तु शासकीय खाते में राशि को प्रेषण करने में तीन से 78 दिनों के विलंब के कई प्रकरण देखे गए।

---

14 तौजी माह में प्रेषणों एवं कोषालय आँकड़ों का एक मिलान पत्रक होता है।

15 बेमेतरा, बिलाईगढ़, बिल्हा, धमतरी, घरघोड़ा, कुरूद, पाटन एवं रायपुर

6-5-4-8 /ku dh okilh e vfu;ferrkA

> foHkkxh; vf/kdkfj;k }kjk fu;ek@vf/kfu;ek d iko/kku d fo:) e-'k- ,o i-Qh- dh jkf'k okil dh xbA vkx] b&LVkEi dh jkf'k okilh d Ik'pkr vfuok;l :i l ykd fd;k tkuk Fkk tk ykd ugh fd;k x;k ftlls blds iu% bLreky fd; tku dk tkf[ke cuk jgkA

(v) enkd 'kYd dh okilh

- छत्तीसगढ़ स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाणपत्रों के माध्यम से स्टाम्प शुल्क का संदाय) नियम, 2016 के नियम 36 अनुसार उपयोग हेतु खराब हुए या अप्रयुक्त या अनपेक्षित ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र के मूल प्रति के साथ प्रारूप–3[16] में ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र के अपेक्षित विवरण सहित आवेदन किये जाने पर कलेक्टर, यदि वह तथ्यों से संतुष्ट है, तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अध्याय पाँच में अंतर्विष्ट धारा 49 से 54 तक के प्रावधानों के अनुसार ऐसे ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र के लिए छूट दे सकता है। आगे नियम 38(3) के अधीन वापसी (प्रतिसंदाय), यदि कोई हो, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर द्वारा किया जाएगा एवं ई–स्टाम्प प्रणाली में विशिष्ट यूनिक पहचान संख्या को अनिवार्य रूप से निरस्त करेगा तथा मूल ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र पर इस आशय का पृष्ठांकन अपने हस्ताक्षर, तिथि एवं मुद्रा सहित करेगा।

उ.पं., बिलासपुर एवं धमतरी में वापसी के प्रकरणों को जाँचने के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि जि.पं. ने सितम्बर 2015 एवं जुलाई 2019 के मध्य 87 ई–स्टाम्पों में राशि ₹ 81.64 लाख को निरस्त किया ¼ifjf'k"V 6-6½ एवं इन स्टाम्पों को एस.एच.सी.आई.एल. के वेबसाईट में निरस्त नहीं किया गया था। ई–स्टाम्पों की वापसी के उपरान्त उसका निरस्त न किये जाने से उसका पुनः उपयोग किये जाने का जोखिम बना रहता है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दोरान सचिव ने आक्षेप को स्वीकारते हुए व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधान का पालन करने हेतु सभी जि.पं. को निर्देशित कर दिया गया है एवं ई–स्टाम्प वापसी आदेश पारित होने के बाद उसे ई–स्टाम्प एस.एच. सी.आई.एल. में यथाशीध्र लॉक किया जावे। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के धारा 49 के प्रावधान के विरूद्व मु.शु. वापस करने वाले संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

(c) i th;u Qhl dh okilh

छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 के नियम 120 के अनुसार पंजीयन शुल्क के रिफंड का दावा किया जाता है बशर्ते कि दावा या धनवापसी उस तारीख के तीन महीने के भीतर दर्ज की जाए जिस पर रिफंड दावा योग्य हो जाता है और संबंधित पक्ष को पता चल जाता है कि वह धनवापसी का हकदार है, यदि प्राधिकृत पैमाने से अधिक शुल्क लिया जाता है। एक पंजीकरण अधिकारी, किसी भी उच्च प्राधिकारी के संदर्भ के बिना, एकत्र की गई फीस वापस कर सकता है, यदि फीस को कोषागार में प्रेषण के पूर्व त्रुटिपूर्ण एकत्र की गई फीस ज्ञात हुआ है। रिफंड की गई किसी भी राशि को फीस बुक में दर्ज किए गए दिन के संग्रह की कुल राशि और उसमें बताए गए विवरणों से कम कर दिया जाता है।

---

16 प्रारूप जिसमें आवेदन के साथ ई–स्टाम्प प्रमाणपत्रों का विवरण, जैसे ए.सी.सी. का नाम एवं पहचान, ई–स्टाम्प प्रमाणपत्र क्र. एवं दिनांक जिसे मुद्रांक संग्राहक को जमा करना होता है।

उ.पं., बिलासपुर में वापसी के प्रकरणों के जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि सिस्टम द्वारा सात प्रकरणों में पं.फी. ₹ 2.45 लाख का आरोपण संगणित किया गया। आगे, सिस्टम द्वारा जनित फी बुक में उ.पं. द्वारा राशि ₹ 0.87 लाख की कमी कर कोषालय में राशि ₹ 1.58 लाख जमा किया गया (ifjf'k"V 6-7)।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव ने आक्षेप को स्वीकारते हुए व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

6-5-4-9 iath;u ikf/kdkfj;k }kjk idj.kk e U;u eY;kduA

iath;u ikf/kdkfj;k }kjk nLrkotk dk xyr oxhdj.k] ckTkkj eY; ekxn'kd fl)kUr d iko/kkuk dk ikyu ugh fd;k tkuk] ,o nLrkotk d rF;k dk mif{kr djus d dkj.k lEifÙk;k dk U;u eY;kdu gvk] ftlls vrr% ueuk tkp fd;s x;s m-i-dk- e 105 idj.kk e e-'k- ,o i-Qh- dh jkf'k ₹ 8-52 djkM dk de vkjki.k gvkA

लेखापरीक्षा ने 18 नमूना जाँच उ.पं.का. के 105 प्रकरणों में विभिन्न अनुपालन कमियाँ जैसे दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण, सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना, तथ्यों को उपेक्षित करने से 105 प्रकरणों में सम्पत्तियों के बाजार मूल्य दर प्रभावित होने से मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 8.52 करोड़ का कम आरोपण हुआ। विस्तृत विवरण नीचे वर्णित हैं:

(v) nLrkotk d xyr oxhdj.k d dkj.k e-'k- ,o i-Qh- dk de vkjki.kA

विलेखों का उचित वर्गीकरण मु.शु. एवं पं.फी. का सही निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। विलेखों के शीर्षक के बजाए उसके कथन के आधार पर वर्गीकरण किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच चार उ.पं.का. के नौ प्रकरणों में पाया कि पंजीयन प्राधिकरियों द्वारा विलेखों के कथन के बजाए उसके शीर्षक के आधार पर वर्गीकरण करने के कारण मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 7.18 करोड का कम आरोपण हुआ। विस्तृत विवरण नीचे वर्णित हैं:

- लेखापरीक्षा ने देखा कि नया रायपुर विकास प्राधिकरण, (एन.आर.डी.ए.), अटल नगर द्वारा नया रायपुर के सेक्टर 24 में आवासीय, व्यवसायिक काम्पलेक्स एवं गोल्फ कोर्स को विकसित करने के लिए ग्राम–तूता एवं नवागांव में 56.17 हेक्टेयर भूमि एक फर्म को सौंपा। प्राधिकरण द्वारा प्रीमियम राशि ₹ 12.59 करोड़ एवं वार्षिक पट्टा किराया ₹ 25.18 लाख निश्चित कर मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 1.27 करोड़ को वसूलते हुए 30 वर्ष पट्टा विलेख का निष्पादन किया गया, जो कि पुनः 30–30 वर्ष के लिए दो बार पट्टा अवधि को विस्तार किया जा सकता है। दस्तावेज के जाँच में लेखापरीक्षा ने देखा कि फर्म को निर्माण स्थल को विकसित करने के साथ ही विक्रय करने का अधिकार भी प्राप्त होगा। इसमें दो संव्यवहार सम्मिलित है, सर्वप्रथम पट्टा एवं दूसरा विकास अनुबंध। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 5 के अनुसार इस विलेख को विकास अनुबंध मानते हुए मु.शु. वसूल की जानी थी। उ.पं., रायपुर द्वारा दस्तावेज में उल्लेखित विवरण के अनुसार बाजार मूल्य निर्धारण करने में असफल होने के कारण मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 6.93 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

- उ.पं., बिल्हा के छः निर्मुक्ति विलेखों के निष्पादन में हक प्राप्तकर्त्ता संपत्तियों का सह भू–स्वामी नहीं था। इस अनुसार विलेखों को बिना प्रतिफल के विक्रय विलेख में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। परिणामस्वरूप मु.श. एवं पं.फी. की राशि ₹ 10.50 लाख का कम आरोपण हुआ (ifjf'k"V 6-8½A

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 46 के अनुसार जहां भागीदारी का विघटन होने पर या किसी भागीदार के सेवानिवृत्ति होने पर कोई स्थावर संपत्ति ऐसे भागीदार जो कि उस संपत्ति को भागीदारी में अभिदाय के अपने अंश के रूप में लाया था, से भिन्न किसी भागीदार द्वारा अपने अंश के रूप में ली जाती है तो मु.शु. वही दर से जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र के रूप में लगता है।

- विभाजन एवं निर्मुक्ति के दो विलेखों में, स्थावर संपत्तियों का विभाजन एवं हकत्याग उनके हकदारो के मध्य किया गया। अतः विलेख के निष्पादन के पश्चात् ये फर्म्स अस्तित्व में नहीं थे एवं निष्पादकों के बीच अपना अपना हिस्सेदारी ले लिया गया। अतः इन विलेखों का वर्गीकरण विभाजन/निर्मुक्ति न कर के 'भागीदारी का विघटन' किया जाना चाहिए था। उ.पं., पाटन एवं रायगढ़ द्वारा विलेखों का गलत वर्गीकरण करने से मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 14.04 लाख का कम आरोपण हुआ (ifjf'k"V 6-9)।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव ने व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि प्रकरणों को जि.पं. सह मुद्रांक संग्राहक के पास भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के धारा 47 (क)–3 के तहत भेजा गया है। प्रकरणों के निराकरण के उपरांत वस्तुस्थिति से अवगत पृथक से कराया जाएगा।

¼c½ Ckktkj eY; ekxn'kd fl)kUr dk ikyu ugh fd;k tkukA

पंजीयन प्राधिकारियों को अपने क्षेत्र के अचल संपत्तियों का बाजार मूल्य निर्धारण करने में सुगमता हेतु प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त को जारी किया जाता है। आगे तीनों प्रारूपों प्रारूप ''एक'' (नगरीय क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए), प्रारूप ''दो'' (निर्मित संरचना के लिए) एवं प्रारूप ''तीन'' (कृषि भूमियों के मूल्यांकन के लिए) के उपबंध भी संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए समाहित किया गया है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 14 उ.पं.का. के 61 प्रकरणों में पंजीयन प्राधिकारी द्वारा संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए या तो विहित बाजार दर लागू नहीं किया गया या मार्गदर्शक सिद्धान्त के प्रावधान का पालन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 59.68 लाख का कम आरोपण हुआ। विस्तृत विवरण नीचे दर्शाया गया है–

नगरीय आवासीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ एवं मुख्य मार्ग में स्थित शॉपिंग कॉम्पलेक्सों के संपत्तियों का मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त में प्रावधान है।

- लेखापरीक्षा ने देखा कि नगरीय आवासीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ के सात प्रकरणों एवं शॉपिंग कॉम्पलेक्सों के 28 प्रकरणों में उ.पं.का.[17] द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त के प्रावधानों के अनुरूप पंजीयन प्राधिकारी द्वारा नहीं किये जाने के फलस्वरूप संपत्तियों का न्यून मूल्यांकन हुआ और मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 18.79 लाख का कम आरोपण हुआ ¼ifjf'k"V 6-10½।

[17] उ.पं.का. बिलासपुर, बिल्हा, जगदलपुर, पाटन एवं रायगढ़

- उ.पं.का.[18] ने 14 हस्तांतरण, एक भागीदारी एवं दो दान विलेखों में संपत्ति के वास्तविक स्थिति अनुसार बाजार दर नहीं लगाए गए । वास्तविक दर के बजाए कम दर लगाने से संपत्तियों का राशि ₹ 3.04 करोड़ तक का न्यून मूल्यांकन हुआ, एवं मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 21.28 लाख का कम आरोपण हुआ (ifjf'k"V 6-11½A

मार्गदर्शक सिद्धान्त में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमियों का मूल्यांकन वार्ड/प्लाट दर के बजाए हेक्टेयर दर से किये जाने का प्रावधान है, बशर्ते की नगर पालिका निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत में भूमियों का क्षेत्रफल क्रमशः 0.202/0.150/0.100 हेक्टेयर से अधिक हो एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर से अधिक हो। आगे, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 0.202/0.150/0.100 हेक्टेयर एवं 500 वर्ग मीटर से कम कृषि भूमियों का मूल्यांकन हेक्टेयर दर से करने का लाभ तभी दिया जायगा जब क्रेता की भूमि से लगी हो, संपत्ति कस्बा/शहर के मध्य स्थित न हो एवं भूमि कृषि प्रयोजनार्थ ही क्रय किया जा रहा हो। क्रेता की भूमि से लगी होने का प्रमाण पटवारी द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर होगा।

- लेखापरीक्षा ने देखा कि सात प्रकरणों में कृषि संपत्तियां नगर पालिका निगम, रायपुर एवं नगर पंचायत घरघोड़ा में स्थित थे, और इन सभी प्रकरणों में विक्रय की गई भूमियों का क्षेत्रफल क्रमशः 0.202 हेक्टेयर एवं 0.100 हेक्टेयर से कम था। उसी प्रकार दो प्रकरणों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 500 वर्ग मीटर से कम कृषि संपत्तियां का विक्रय किया गया। इन सभी प्रकरणों में क्रेता की भूमि से लगे होने का प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे एवं संबंधित उ.पं.का.[19] ने संपत्ति का मूल्यांकन वार्ड/प्लाट दर के बजाए हेक्टेयर दर से किया गया। इस प्रकार क्रेता की भूमि से लगी होने का प्रमाणपत्र के बिना हेक्टेयर दर से बाजार मूल्य का निर्धारण का लाभ देने से मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 19.61 लाख का कम आरोपण हुआ (**परिशिष्ट** 6-12½A

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव ने व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि प्रकरणों को जि.पं. सह मुद्रांक संग्राहक को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के धारा 47 (क)–3 के तहत संदर्भित कर दिया गया है। प्रकरणों का निराकरण पश्चात् वस्तुस्थिति से पृथक से अवगत करा दिया जावेगा।

¼l½ nLrkostksa esa rF;ksa dks vuns[kh djus ds dkj.k ewY;kadu ,oa i-Qh- dk de vkjksi.kA

संपत्तियों का मूल्यांकन कई तथ्यों जैसे मुख्य मार्ग से संपत्ति की दूरी, भूमि का किस्म, भूमि किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा पर निर्भर करता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि पंजीयन प्राधिकारी ने मु.शु. एवं पं.फी. के निर्धारण के लिए दस्तावेजों के साथ संलग्न राजस्व अभिलेखों में उल्लेखित कृषि संपत्तियों की स्थिति, मुख्य मार्ग से निकटता का संज्ञान नहीं लिया। इन सभी तथ्यों की अनदेखी करने से विलेखों में संपत्ति का बाजार मूल्य प्रभावित हुआ और परिणामस्वरूप 15 उ.प.का. के 35 प्रकरणों में मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 74.30 लाख का कम आरोपण हुआ। विस्तृत विवरण नीचे दर्शाया गया है–

---

[18] उ.पं.का. अम्बिकापुर, बलौदाबाजार, बिल्हा, बिलाईगढ़, दुर्ग, घरघोड़ा, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, सूरजपुर एवं तिल्दा

[19] उ.पं.का. घरघोड़ा, रायपुर एवं तिल्दा

- उ.पं.का.[20] ने 27 विक्रय विलेखों में मुख्य मार्ग में स्थित संपत्तियों को मूल्यांकन के लिए मुख्य मार्ग के अन्दर का मार्गदर्शिका दर लगाया। उ.पं. द्वारा भूमि की वास्तविक स्थिति की अनदेखी करने के फलस्वरूप मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 48.56 लाख का कम आरोपण हुआ (ifjf'k"V 6-13½।

छत्तीसगढ शासन के अधिसूचना (मार्च 2014) के अनुसार संपत्ति के विनिमय पर मु.शु. विनिमय की जा रही संपत्तियों के बाजार मूल्य के अन्तर पर देय होगी, बशर्तें विनिमय भूमि का भूमि के साथ, भवन का भवन के साथ हो और जिस भूमि का विनिमय किया जा रहा हो वह नजूल भूमि न हो। परन्तु यह लाभ उस स्थिति में नहीं दी जाएगी जिसमें पक्षकार/पक्षकारों, व्यवसायिक/औद्योगिक इकाईयों हों।

- लेखापरीक्षा ने संपत्ति के विनिमय के आठ प्रकरणों में देखा गया कि विनिमय की जा रही संपत्तियों में से एक पक्षकार व्यवसायिक प्रतिष्ठान थे। अतः मु.शु. विनिमय की जा रही संपत्तियों में से अधिक बाजार मूल्य वाले संपत्ति पर आरोपणीय था। हालांकि, उ.प.का.[21] द्वारा विनिमय की जा रही संपत्तियों के बाजार मूल्य के अन्तर पर मु.शु. वसूल किया गया। परिणामस्वरूप, मु.शु. की राशि ₹ 25.74 लाख का कम आरोपण हुआ ¼ifjf'k"V 6-14½।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव ने व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि प्रकरणों को जि.पं. सह मुद्रांक संग्राहक के पास भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के धारा 47 (क)–3 के तहत भेजा गया है। प्रकरणों का निराकरण के उपरांत वस्तुस्थिति से अवगत पृथक से कराया जावेगा।

b&iath;u dk ys[kkijh{kk

6-5-4-10 lsok iznkrk dk p;u

ई–शासन के रूप में जनता को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नवम्बर 2012 में निर्माण–संचालन–हस्तांतरण (बी.ओ.टी.)[22] के तर्ज पर राज्य के समस्त पंजीयन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने का निर्णय लिया। सेवा प्रदाता का चयन एकल चरण प्रतिस्पर्धा पद्धति[23] द्वारा संपूर्ण साधन की मंशा रखने वाले बोलीदारों से किया जाना था। सेवा प्रदाता का चयन न्यूनतम लागत प्रणाली प्रक्रिया[24] में सम्मिलित अर्हता पूर्व मानदंड, तकनीकी मूल्यांकन एवं वित्तीय बोली चरणों के आधार पर किया जाना था। सितम्बर 2013 एवं अक्टूबर 2014 के मध्य प्रथम तीन बोली का आमंत्रण, बोलीदारों द्वारा

---

20 उ.पं.का. बिलाईगढ़, बिलासपुर, बिल्हा, डोंगरगढ़, घरघोड़ा, जाँजगीर, कबीरधाम, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगाँव एवं सूरजपुर

21 उ.पं.का. बलौदाबाजार, बिल्हा, दुर्ग, पाटन एवं रायपुर

22 यह निजी क्षेत्रों एवं शासन के बीच एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्राईवेट फर्म निर्माण, संचालन एवं संधारण करने का वचन लेकर बाद में सम्पत्ति शासन को हस्तांतरित करती है। इस मॉडल में चयनित भागीदार परियोजना को डिजाईन, विकास एवं क्रियान्वयन ज्यादातर अपने खर्चे पर कर परियोजना को निश्चित अवधि के लिए संचालित करती है।

23 दो चरण प्रतिस्पर्धा पद्धति में उन सफल बोलीदारों को 'प्रस्ताव हेतु अनुरोधों' शामिल किया जाता है जिसकी 'रूचि की अभिव्यक्ति' की अर्हता प्राप्त कर ली हो, जबकि इसके विरूद्ध एकल चरण प्रतिस्पर्धा में सभी बोलीदारों को 'प्रस्ताव हेतु अनुरोधों' खुला होता है जो न्यूनतम अर्हता को प्राप्त कर ली है।

24 इस पद्धति के अंतर्गत न्यूनतम मूल्यांकित लागत वाले तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बोलीदारों का चयन न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है।

निविदा में भाग लेने में उदासीनता एवं बोलीदारों द्वारा निर्दिष्ट अर्हता मानदंड पूर्ण न करने से सेवा प्रदाता का चयन नहीं किया जा सका। अंततः जून 2015 में चौथे बोली के आमंत्रण में दो बोलीदारों ने बोली में भाग लिया एवं न्यूनतम लागत के बोलीदार–मेसर्स मार्स टेलिकॉम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (कंर्सोटियम पार्टनर मेसर्स आई टी साल्यूशनस, रांची के साथ मिलकर) को पांच वर्ष के लिए बी.ओ.टी. पद्धति से ठेका राशि ₹ 43.50 प्रति पृष्ठ पंजीयन दस्तावेज के आधार पर कार्य आबंटित हुआ। विभाग एवं सेवा प्रदाता के बीच 'बी.ओ.टी. पद्धति से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मैनपावर एवं सर्विसेस के सप्लाई' के लिए करार फरवरी 2016 को हुआ।

6-5-4-11 flLVe dk fogaxkoyksdu

ई–पंजीयन का सेन्ट्रल सर्वर छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रोमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर के राज्य डाटा केन्द्र (एस.डी.सी.) में स्थित है जिससे वर्चुअल प्राइवेट (व्ही.पी.एन.) नेटवर्क से म.पं./जि.पं./उ.पं. कार्यालयों से जुड़ा है।

सिस्टम का बिजनेस लॉजिक तीन उपयोगकर्त्ता को परिभाषित एवं प्रदान किया गया थाः

❖ आपरेटरोंः सिस्टम का पहला इंटरफेस जिसमें आपरेटर माड्यूल में महत्वपूर्ण डाटा संग्रहण की जाती है। प्रणाली में आवश्यक मान्यकरण चेक प्रदान करते हुए डाटा को प्रविष्ट किया जाता है। अंततः विलेखों को स्कैन कर टोकन नम्बर एवं एक विशिष्ट पंजीयन क्रमांक जनित किया जाता है।

❖ उप पंजीयकः प्रणाली का अगला इंटरफेस जिसमें पंजीयन प्राधिकारी जनित टोकन नम्बर के साथ विलेखों की जाँच के अलावा प्रविष्ट डाटा का विलेख में विवरणों का सत्यापन करता है एवं अधिनियमों/नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप उसके पंजीयन की वैद्यता की जाँच करता है। साथ ही अन्य स्त्रोतों जैसे भुइयाँ[25] से भूमि के अभिलेखों का भी सत्यापन करता है।

❖ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशनः जि.पं. सह मुद्रांक संग्राहकों, उ.म.पं एवं म.पं के लिए समर्पित माड्यूल जिसमें विभाग की गतिविधियां को नियंत्रण करने के लिए डाटा एवं प्रतिवेदन जैसे प्रत्येक पंजीयन कार्यालयों में प्रतिदिन होने वाले पंजीयन, राजस्व प्राप्ति इत्यादि का प्रावधान किया गया है।

सेवा स्तर पर बी.ओ.टी आपरेटर द्वारा जि.पं/उ.पं. के स्थल से समर्पित नेटवर्क कनेक्टिविटी से डाटा प्रविष्टि, मूल्यांकन, सत्यापन, फीस उत्पत्ति, अंगुष्ठ छाप एवं फोटो लिया जाना, वेब आधारित एप्लीकेशन से जि.पं./उ.पं. द्वारा निष्पादन की स्वीकृति/दाखिला किया जाना, स्वयमेव इन्डेक्स जनित होकर निश्चित समयावधि में सुरक्षित तौर पर अपडेट करते हुए संपूर्ण दस्तावेज को अपलोड किया जाना था।

25 भूमि के अभिलेखों के डाटा जैसे भूस्वामी, भूमि का किस्म, रकबा इत्यादि को देखने हेतु विकसित किया गया एक एप्लीकेशन

6-5-4-12 bZ&iath;u dk fØ;kUo;u

जैसा कि प्रस्ताव हेतु अनुरोधों (आर.एफ.पी.) के कंडिका 6.13 में उल्लेख किया गया है कि प्रणाली ठेका प्रदान करने के दिनांक से 32 सप्ताह[26] के भीतर यानी अधिकतम 05 अक्टूबर 2016 तक संपूर्ण केन्द्रों में पूर्ण रूप से कार्यान्वयन हो जाना चाहिए था। सेवा प्रदाता को निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करना था:

1. म.पं, जि.पं एवं उ.पं कार्यालयों में हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर स्थापित करना एवं दस्तावेजों का कम्प्यूटरीकृत तरीके से पंजीयन करने हेतु सुविधा प्रदान करना।

2. टेलिकॉम सेवा प्रदाता (टी.एस.पी.) के माध्यम से एस.डी.सी. से मल्टी प्रोटोकाल लेबल स्वीचिंग (एम.पी.एल.एस.), वर्चुअल प्राईवेट नेटवर्क (व्ही.पी.एन.) आधारित आवश्यक बैंडविथ से सर्वर का कनेक्टिविटी स्थापित करना।

3. भू–अभिलेखों एवं दस्तावेजों में संलग्न ई–स्टाम्प के सत्यापन के लिए सिस्टम का क्रमशः अन्य एप्लीकेशन जैसे भुइयाँ, एस एच सी आई एल से इंटीग्रेट करना।

4. मु.शु एवं पं.फी. का सही गणना करने के लिए सक्षम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विकसित करना एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 एवं अन्य मैनुअल अनुसार दस्तावेज एवं अन्य प्रतिवेदनों को जनित करना।

5. एप्लीकेशन निर्बाध रूप से कार्य करते रहने के लिए डिजास्टर एवं बैक अप रिकवरी प्लान तैयार करना।

ई–पंजीयन प्रणाली को त्वरित लागू करने हेतु विभाग द्वारा नोडल अधिकारी (कम्प्यूटरीकरण) की अध्यक्षता में दो समितियों, निगरानी समिति एवं मूल्यांकन/परीक्षण समिति का गठन (अगस्त 2016) में किया गया। निगरानी समिति आर.एफ.पी. में प्रावधानित प्रक्रियानुसार कम्प्यूटरीकरण कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु उत्तरदायी एवं मूल्यांकन/परीक्षण समिति आर.एफ.पी. के तहत् समस्त प्रकार के विलेखों के विवरणों की प्रविष्टि की जाकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा स्वमूल्यांकन एवं पंजीयन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी था एवं विभाग में कम्प्यूटरीकृत पद्धित से पंजीयन कार्य विधिक प्रावधानों अनुरूप चालू किये जाने हेतु अपना अभिमत/प्रतिवेदन प्रदान करना था।

एप्लीकेशन का पायलट संचालन दिनांक 01 अक्टूबर 2016 एवं 07 अक्टूबर 2016 के मध्य किया गया एवं एप्लीकेशन की टेस्टिंग जि.पं./उ.पं. की एक समिति द्वारा उ.पं.का., रायपुर में किया गया। नोडल अधिकारी (कम्प्यूटरीकरण) ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि कुछ विलेखों[27] को छोड़कर एप्लीकेशन द्वारा स्वमूल्यांकन सही किया जा रहा है, विलेखों का पंजीयन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अनुरूप किया जा रहा है एवं एप्लीकेशन डिप्लाय करने हेतु तैयार है।

---

[26] इन स्थलों में समस्त हार्डवेयर एवं नेटवर्क अद्योसंरचना को डिप्लाय करते हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सफलतापूर्वक संचालन करना

pj.kk	LFky	djkj ij gLrk{kj djus dh fnukad ls vof/k
प्रथम चरण	म.पं., एक उ.पं.का. एवं एक जि.पं.का.	16 सप्ताह
द्वितीय चरण	10 जिलों के समस्त उ.पं.का. एवं जि.पं.का.	24 सप्ताह
तृतीय चरण	शेष बचे उ.पं.का. एवं जि.पं.का.	32 सप्ताह

[27] निर्मुक्ति विलेख एवं पट्टा विलेख

आगे, 15 जिलों में पायलट परियोजना सफलतापूर्वक संचालन किये जाने हेतु एक प्रमाणपत्र विभाग द्वारा मार्च 2017 को जारी किया गया। उसके बाद ई–पंजीयन का मई 2017 से छः[28] उ.पं.का. में रोल आऊट[29] किया गया, एवं शेष 92 उ.पं.का. में कुल चार चरणों में सितम्बर 2017 से जून 2019 के मध्य रोल आऊट किया गया। उ.पं.का. के कम्प्यूटरीकरण के अलावा संबंधित जि.पं.का. का भी कम्प्यूटरीकरण किया गया।

भले ही, सभी जि.पं.का. एवं उ.पं.का. में पंजीयन कार्य का कम्प्यूटरीकरण कार्य चरणबद्ध तरीके से किया गया, फिर भी पट्टा, विभाजन, निर्मुक्ति, विनिमय विलेखों के स्वमूल्यांकन में बाधाऐं निराकृत नहीं हो सकी और पंजीयन प्राधिकारी को मु.शु. एवं पं.फी. की गणना मैनुअल रीति पर निर्भर रहना पड़ा। एस.एच.सी.आई.एल. एवं भुइयाँ के भू–अभिलेखों के डाटा का इंटीग्रेशन किया जा चुका था एवं डिजास्टर रिकवरी के लिए चिप्स द्वारा एस.डी. सी. में स्थल उपलब्ध कराया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव ने व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि निर्धारित समय के भीतर कम्प्यूटरीकरण पूरा न होने के कारण टी.एस.पी. द्वारा कनेक्टिविटी, बग्स का समाधान, भूइयाँ सॉफ्टवेयर से डाटा का सत्यापन/इंटीग्रेशन इत्यादि में देरी किये जाने के कारण हुआ। हालांकि, शासन राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण सिस्टम (एन जी डी आर एस) को अपना रही है। इसके बाद, पूरे प्रणाली को एन जी डी आर एस में स्थानांतरित कर दिया जाएगा एवं मौजूदा डाटा को एन जी डी आर एस के लिए विरासत डाटा के रूप में संचित रखा जाएगा।

---

28 बिलासपुर, दुर्ग, जाँजगीर, रायपुर, रायगढ़ एवं राजनांदगाँव

29 ठेका करार अनुसार यह दिनांक वह दिनांक है जब से सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्रभार की राशि वसूल की गई है।

6-5-4-13 b&i th;u i.kkyh dh ifØ;k iokg

ई–पंजीयन प्रणाली में पंजीयन कार्यवाही की प्रक्रिया प्रवाह का उल्लेख नीचे दिया गया है–

pkVZ 6-3% b&i th;u i.kkyh dh ifØ;k iokg

व्यक्तियों जो दस्तावेजों का पंजीयन कराना चाहता है वह पंजीयन कार्यालय में इनपुट फार्म के साथ निष्पादित दस्तावेज को प्रस्तुत करता है

↓

प्रस्तुतकर्त्ता का विवरण का इन्द्राज एवं टोकन नम्बर का आबंटन

↓

पंजीयन प्राधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जाँच एवं इनपुट फार्म में भरे गये विवरणों के साथ मिलान करेगा

↓

संपत्तियों, संरचनाओं एवं निष्पादकों/गवाहों के विवरणों की प्रविष्टि करना

↓

निष्पादकों को इनपुट स्लीप को सौंपा जाएगा ताकि डेटा की अंतिम सत्यता की पुष्टि की जा सके

↓

पंजीयन प्राधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर विवरणों की पुष्टि करता है। आपरेटर, पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष बायोमेट्रिक उपकरणों से निष्पादकों एवं गवाहों के अंगुष्ठ छाप एवं वेब कैमरा से फोटोग्राफ लेने के अलावा ईलेक्ट्रानिक पेन से उनका हस्ताक्षर लेता है

↓

दस्तावेजों में देय पं.फी. के भुगतान के बाद पंजीयन प्राधिकारी द्वारा दस्तावेज के पंजीयन को अभिप्रमाणित करता है।

↓

दस्तावेजों को स्कैन करने के बाद मूल दस्तावेज पक्षकारों को सौंपा जाता हैं

6-5-4-14 ifj;kstuk icU/ku

foHkkx us lsok inkrk ¼,l-ih-½ dks *xks&ykbo* iek.ki= tkjh ugha fd;kA vkxs vkj- ,Q- ih- esa mYysf[kr U;wure lsok Lrj ekudksa dh ikflr dks lqfuf'pr djus ds fy, lsok Lrj djkj ¼,l ,y ,½ dks fu"iknu ugha fd;k

*¼v½ lsok inkrk dks *xks&ykbo* iek.ki= vHkh rd tkjh ugha fd;k tkuk*

आर.एफ.पी. के कंडिका 2.1.1 (पी) अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी स्थलों में सॉल्यूशन के डेप्लायमेंट के उपरांत 60 कलेण्ड़र दिवस तक बिना कष्ट के संचालन को 'गो–लाईव' प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक माना जाएगा। आर एफ पी के अनुसार परियोजना अवधि

का मतलब 'गो–लाईव' दिनांक से पाँच वर्ष तक होगा। अगस्त 2020 की स्थिति में सेवा प्रदाता को 'गो–लाईव' प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव द्वारा व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि सेवा प्रदाता को 'गो–लाईव' प्रमाणपत्र न दिये जाने का कारण, उनके द्वारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसीफिकेशन (एफ आर एस)/सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसीफिकेशन (एस आर एस) का प्रस्तुत न किया जाना, मेल–एलर्ट सुविधा विलंब से प्रारंभ करना, वेब पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन करने की सुविधा का विलंब से प्रावधान, निश्चित समय में भुगतान प्रक्रिया का चालू न होना एवं यूजर एक्सेपटेंस टेस्टिंग (यू.ए.टी.) इंटरफेस की उपलब्धता न होना इत्यादि था।

¼c½ lsok Lrj djkj dk fu"iknu ugha fd;k x;k

सेवा स्तर करार (एस एल ए) सेवा प्रदाता और सेवा ग्राहिता (विभाग) के मध्य एक करार है, जिसमें सेवा के स्तरों, सेवा स्तरों के पालन हेतु निबंधनों एवं शर्तों एवं सेवा स्तरों की प्राप्ति न होने पर उसका निदान को परिभाषित करता है। सिस्टम अपटाईम एवं तिमाही एस एल ए की प्राप्ति प्रतिवेदन के लिए सेवा स्तरों[30] का प्रावधान आर. एफ. पी. में किया गया है। हालांकि, अगस्त 2020 की स्थिति में विनिर्दिष्ट वांछित सेवा के लिए विभाग एवं सेवा प्रदाता के मध्य एस.एल.ए. निष्पादित नहीं हुई है।

आगे, लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्रदाय के लिए बिल प्रस्तुत करते समय मात्र पंजीयन में औसत समय का आधार मानकर शास्ति आरोपित किया गया। अन्य बिन्दु जैसे सिस्टम का रूकावट, सर्वर में स्कैन दस्तावेजों का अपलोड, सिस्टम अपटाईम इत्यादि के लिए विभाग में सेवा स्तर मापन के लिए तन्त्र मौजूद नहीं था।

अतः सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्रदाय के मानकों की निगरानी के लिए उचित तन्त्र का अभाव था एवं विभाग को सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत बिल पर बिना प्रभावी जाँच के निर्भर रहना पड़ता था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने तथ्य को स्वीकारते (अगस्त 2020) हुए कहा कि एस एल ए तैयार किया जा रहा है एवं जल्द ही निष्पादन किया जायगा।

¼l½ flLVe fMtkbu nLrkost izLrqr ugha fd;k tkuk

सिस्टम डिजाईन दस्तावेज (एस.डी.डी.) सिस्टम रिक्वायरमेंट, संचालित माहौल, सिस्टम एवं सब–सिस्टम का आर्किटेक्चर, फाईलों एवं डाटाबेस डिजाईन, इनपुट प्रारूप, आउटपुट लेआउट, मानव एवं मशीन का इंटरफेसों, विस्तृत डिजाईन, प्रोसेसिंग लॉजिक एवं बाह्य इंटरफेसों का वर्णन करता है।

---

30 तीन सेवा श्रेणी के लिए सेवा स्तरों का उल्लेख आर.एफ.पी. में किया गया है। यह श्रेणी निम्नानुसार हैः

l-Ø-	lsokvksa dh Js.kh
1	अगर औसत 30 मिनट के निर्धारित समय में दस्तावेजों का पंजीयन समाप्त नही होता है।
2	मीडिया में गड़बड़ी को छोड़कर सिस्टम के डाऊन होने पर अगर पंजीयन प्रक्रिया एक दिन या उससे अधिक तक अवरूद्य रहती है तब।
3	अगर नेटवर्क डाऊन या अन्य समस्याओं के चलते सेवा प्रदाता दस्तावेज का स्कैन प्रति एवं अन्य रजिस्ट्रीकरण डाटा को सर्वर में अपलोड करने में विफल रहता है तो।

म.पं. के नस्तियों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि सेवा प्रदाता द्वारा न तो विस्तृत एस. डी. डी. तैयार किया गया न ही विभाग द्वारा इसकी माँग की गई। एस.डी.डी. के अभाव में विभाग हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सिस्टम एवं सब–सिस्टम के इनपुटों एवं उपयोगकर्त्ता/आपरेटर के सापेक्ष आऊटपुट का विस्तृत डिजाइन, हार्डवेयर के पुर्जे की जानकारी, कोड एवं सॉफ्टवेयर माड्यूलों का एकीकरण एवं हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सेगमेंटों को आपस में जोड़ते हुए एक कार्यात्मक उत्पाद बनाना इत्यादि से अनभिज्ञ रहने का जोखिम था एवं ठेका भंग होने या ठेका अवधि समाप्त होने की स्थिति में सिस्टम का प्रबंधन मुश्किल होगा।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने तथ्य को स्वीकारते (अगस्त 2020) हुए कहा कि सेवा प्रदाता को अतिशीघ्र एस.डी.डी. प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

अनुशंसा:

विभाग को आर.एफ.पी. के निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन 'गो–लाइव' प्रमाणपत्र जारी करना, एस एल ए का निष्पादन, एवं सिस्टम डिजाइन दस्तावेज का प्रस्तुत करने का पालन तत्काल सुनिश्चित करना चाहिए।

6.5.4.15 सिस्टम का एक्सेस एवं सिक्यूरीटी पहलुओं का समाधान न किया जाना।

वर्ष 2017 में प्रथम बार कराये गये सिक्यूरीटी ऑडिट की वैधता समाप्त होने के **पश्चात् पुनः सिस्टम का सिक्यूरीटी आडिट नहीं कराया गया।** आगे आर.एफ.पी. में प्रावधान अनुरूप पक्षकारों/गवाहों का बायोमेट्रिक आधारित पहचान एवं सत्यापन के लिए सिस्टम में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

(अ) सिक्यूरीटी ऑडिट नहीं कराया जाना

भारतीय सरकार वेबसाईट दिशानिर्देश प्रावधानित करता है कि प्रत्येक वेबसाईट/एप्लिकेशन को होस्ट या नया माड्यूल जोड़ने के पूर्व एमपैनल्ड एजेंसियों से सिक्यूरीटी ऑडिट कराया जाना आवश्यक है। आगे, आर.एफ.पी के कंडिका 4.1, कार्य का क्षेत्र खण्ड–1 अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा प्रदाय सॉफ्टवेयर का सिक्यूरीटी ऑडिट म.पं की तकनीकी दल द्वारा किया जाएगा एवं हार्डवेयर का आवश्यक अपग्रेडेशन उनके अनुशंसाओं के आधार पर किया जाएगा।

विभागीय नस्तियों के जाँच में लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि ई–पंजीयन वेब पोर्टल का सिक्यूरीटी ऑडिट भारतीय कम्प्यूटर आपात मोचन दल (सी.ई.आर.टी–आई.एन.) के एक एमपैनल्ड सिक्यूरीटी ऑडिटर से दिसम्बर 2017 को कराया गया था। यह प्रमाणपत्र ऑडिट के दिनांक से या जिस दिनांक को डायनमिक कन्टेन्ट में बदलाव किया गया हो जो भी पहले हो एक वर्ष के भीतर तक प्रभावशील रहेगा। हालांकि सिक्यूरीटी ऑडिट प्रमाणपत्र की वैद्यता अवधि के समाप्त होने के बाद भी सिक्यूरीटी ऑडिट नहीं कराया गया। साथ ही विभाग द्वारा सिक्यूरीटी ऑडिट हेतु कोई तकनीकी दल भी नहीं बनाया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि सेवा प्रदाता को (सी.ई.आर.टी–आई.एन.) ऑडिटरों से एप्लिकेशन का सिक्यूरीटी ऑडिट तत्काल किये जाने का निर्देशित कर दिए गये हैं।

vuq'kalk

flLVe esa fjiksVZ ckjxsu ds fy;s dksbZ Hkh ekud ugha fd;k x;k Fkk A

vuq'kalk

fld;wfjVh vkWfMV iz.kkyh dh oS|rk lekIRk gksus ds ifjizs{; esa foHkkx dks flLVe dk lh-bZ-vkj-Vh&vkbZ-,u- ,EiSuyM vkWfMVj ls rRdky fld;wfjVh vkWfMV djk;k tkuk lqfuf'pr djuk pkfg,A

¼c½ ck;kesfVªd vk/kkfjr igpku ,oa izek.khdj.k lqfuf'pr ugha fd;k tkuk

आर.एफ.पी के कंडिका 6.3.11, खण्ड़–1 प्रावधानित करता है कि म.पं. के अधिकारियों को अपने अंगुष्ठ छाप देकर बायोमेट्रिक यंत्रों का उपयोग किया जाएगा, जिसे सिस्टम द्वारा पहचान की जायेगी। जाँच के बाद ही अधिकारियों को एप्लिकेशन का एक्सेस प्राप्त होगा। आर.एफ.पी. में पंजीयन प्रक्रिया के लिए आधार संख्या आधारित सेवाओं का भी उल्लेख किया गया है।

सिस्टम का विश्लेषण करने पर लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि एप्लिकेशन के एक्सेस हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को विशिष्ट पहचान एवं पासवर्ड तो उपलब्ध कराये गये है, परन्तु उपयोगकर्त्ता को प्रमाणित एवं साख हेतु सिस्टम में कोई बायोमेट्रिक इन्टरफेस प्रदान नहीं किया गया था। आगे, दस्तावेजों के पंजीयन के समय पक्षकारों एवं गवाहों के बायोमेट्रिक डाटा (अंगुष्ठ छाप) लेकर उसे दस्तावेज में उभारा जाता है, हालांकि यह बायोमेट्रिक डाटा को ज्वाईंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप (जेपीईजी) फार्मेट में स्टोर किया जाता है एवं सिस्टम में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) डाटाबेस से नागरिकों की पहचान की जाँच के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि आर.एफ.पी. के प्रावधान अनुसार ई–पंजीयन प्रणाली में बायोमेट्रिक पहचान को शामिल कर लिया जाएगा एवं सेवा प्रदाता को सिस्टम में ऐसी व्यवस्था तत्काल किये जाने का निर्देश जारी कर दिए गये है।

vuq'kalk

foHkkx dks flLVe esa foHkkxh; mi;ksxdÙkkZvksa dks ck;kesfVªd vk/kkfjr igpku dh O;oLFkk dh tkuh pkfg, ,oa foys[kksa ds iathd; ds fy, i{kdkjksa dks vk/kkj vk/kkfjr igpku flLVe esa fd;s tkus dh izfØ;k dks igy djuk pkfg,A

6-5-4-16 ;wtj ,DlsIVsal VsfLVax ¼;w-,-Vh½

> foHkkx dks fcuk lfEefyr djs lok inkrk }kjk flLVe dk ,di{kh; ;wtj ,DlsIVsal VsfLVax ¼;w-,-Vh-½ fd;k x;kA ;w-,-Vh- esa iHkkoh Hkkxhnkjh gksus ls y[kkijh{kk }kjk bafxr fctusl ykWftd dks ekfiax djus esa dfe;ksa dks lekf/kr fd;k tk ldrk FkkA

यू.ए.टी. अंतिम उपयोगकर्त्ता या ग्राहक द्वारा साफ्टवेयर एप्लिकेशन को उत्पादन वातावरण (प्रोडक्शन एनवायरमेन्ट) में हस्तांतरित करने के पूर्व यह जाँचने के लिए किया जाता है कि एप्लिकेशन साफ्टवेयर एवं उसमें किये गये बदलाव उपयोगकर्त्ता के आवश्यकता की पूर्ति करने में सफल हुआ है या नहीं।

लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि विभाग द्वारा सिस्टम में प्रस्तावित बदलावों का सर्वप्रथम यू.ए.टी. सर्वर में टेस्ट किया जाता है और संतोषजनक परिणाम के बाद उसे प्रोडक्शन

सर्वर में सेवा प्रदाता द्वारा डिप्लाय कर दिया जाता है। संतोषजनक टेस्टिंग का परिणाम विभाग को बताया जाता है।

हालांकि, जब लेखापरीक्षा द्वारा यू.ए.टी. परीक्षण के लिए जाँच प्रकरणों के विवरणों को उपलब्ध कराने का आग्रह (जुलाई 2020) विभाग से किया गया तो शासन ने उत्तर (अगस्त 2020) दिया कि विभाग में कोई भी तकनीकी विशेषज्ञ न होने के कारण ऐसे टेस्टों को सेवा प्रदाता द्वारा एकपक्षीय किया गया। विभाग का यू.ए.टी. में प्रभावी भागीदारी न होने के चलते सिस्टम में बिजनेस लॉजिक का मैपिंग में कमियों का संबोधन नहीं हो सका, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा आगामी कंडिकाओं में इंगित किया गया है।

आवश्यकताओं के मैपिंग में निम्नलिखित कमियों को देखा गया जिसे पता लगाकर सक्रियता से सुधार किया जा सकता था अगर यूजर एक्सेपटेंस टेस्टिंग की प्रक्रिया में विभाग की सक्रिय भागीदारी होती।

¼v½ vko';drkvk d eSfiax e dfe;k

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधिसूचना दिनांक 24.07.2019 के जरिये विक्रय, विनिमय एवं दान जो परिवार के सदस्य से भिन्न के पक्ष में हो पर पं.फी. की दर को पुनरीक्षित करते हुए मार्गदर्शक सिद्धान्त अनुसार संगणित बाजार मूल्य का चार/दो[31] प्रतिशत किया गया। ऊपर उल्लेखित विलेखों को छोड़ अन्य विलेखों जो 'रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी' के पहले अनुच्छेद[32] के अंतर्गत प्रभार्य है में पं.फी. की दर बाजार मूल्य एवं सौदा राशि, जो भी अधिक हो का 0.8 प्रतिशत की दर से आरोपणीय था। आगे, इस अधिसूचना से 'रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी' के पहले अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट स्लैब[33] वार दर को अतिक्रमित कर दिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि 25 जुलाई 2019 एवं 30 सितम्बर 2019 के बीच हस्तांतरण (विक्रय), विनिमय एवं दान जो परिवार के सदस्य से भिन्न के पक्ष में हो को छोड़कर अन्य 795 विलेखों में सिस्टम द्वारा पं.फी. प्रत्येक विलेखों में बाजार मूल्य का 0.8 प्रतिशत एवं ₹ 145 का योग करते हुए गणना किया गया। परिणामस्वरूप प्रत्येक विलेख में ₹ 145 का अतिरिक्त आरोपण किया गया। हालांकि म.पं. द्वारा अधिसूचना अनुसार पं.फी. के दर में संशोधन की जानकारी सेवा प्रदाता को दिया था, परन्तु 'अन्य विलेखों' के मामले में उक्त संशोधन एप्लिकेशन में नहीं किया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने आक्षेप को स्वीकारते हुए व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि सेवा प्रदाता को लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेपित बिंदु पर आवश्यक सुधार किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

---

31 ₹ 75.00 लाख तक निर्मित संपत्तियों के लिए

32 इस अनुच्छेद में हस्तांतरण, विभाजन, विनिमय, दान एवं निर्मुक्ति विलेखों के माध्यम से संपत्ति के संव्यवहार पर पं.फी. की दरों का उल्लेख होता है।

33 यह पं.फी. की दर अधिसूचना जारी होने के पूर्व की है। अधिसूचना के पूर्व एवं उपरान्त के बीच का पं.फी. की तुलनात्मक दर का उल्लेख नीचे किया गया है:

Lyc	vf/klpuk iwo	vf/klpuk mijkUr
₹ 50,000 तक	₹ 545	0.8 प्रतिशत
₹ 50,000 से ऊपर	₹ 50,000 से ऊपर प्रत्येक ₹ 500 या उसके भाग के लिए ₹ चार	0.8 प्रतिशत
;kx	0-8 ifr'kr $ ₹ 145	0-8 ifr'kr

¼c½ iath;u Qhl dk xyr x.kuk

- रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी के पहले अनुच्छेद के सरल क्रमांक 2 के अनुसार विभाजन के लिखत की दशा में पृथक हिस्सा या हिस्सों का वह बाजार मूल्य जिसके आधार पर मु.शु. चुकाया गया हो, पं.फी. के निर्धारण के प्रयोजन के लिए बाजार मूल्य के रूप में माना जायेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि जून 2017 एवं जून 2018 के मध्य निष्पादित छः विभाजन विलेखों में पं.फी. 'निरंक' परिगणित किया गया। जबकि मास्टर फाईल में विभाजन विलेख के अंतर्गत दो श्रेणी 'अविवादित संपत्ति' एवं 'न्यायालय के आदेश के साथ' के लिए पं.फी. ₹ 150 प्रति विलेख का प्रावधान था।

- रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी के दूसरे अनुच्छेद अनुसार पट्टा विलेखों में पं.फी. की दर देय मु.शु. का तीन–चौथाई इस शर्त के साथ कि न्यूनतम ₹ 50 होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि मई 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य तक राज्य में कुल 17,165 पट्टा विलेखों का पंजीयन हुआ, जिसमें सिस्टम द्वारा 351 प्रकरणों में निरंक एवं ₹ 49 के मध्य तक पं.फी. की गणना की गई।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव द्वारा आक्षेप को स्वीकारते हुए व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि, सिस्टम द्वारा प्रभार्य पं.फी. का गलत गणना की गई एवं उ.पं. को सॉफ्टवेयर में 'परमिशन टू एडिट' का उचित उपयोग कर पं.फी. में संशोधन करने के लिए निर्देश दे दिये गये हैं।

6-5-4-17 MkVk buiqV QkeZ ,oa buiqV foUMks esa vi;kZIrk

> ,dy buiqV QkeZ foys[kksa ds egRoiw.kZ MkVk dks iklRk djus esa lk;kZIr ugha FkkA vkxs ,fLyds'ku esa *fu"iknu fnukad* dks bUnzkt djus dk izko/kku ugha FkkA blls dkj.k laifÙk;ksa ds cktkj eWY; dh lR;rk ,oa foys[kksa dk iLrqfr fu"iknu fnukad ds fu/kkZfjr vof/k ds Hkhrj fd;s tkus dk lqfuf'pr djus ds fy, iath;u izkf/kdkjh dks foys[kksa dk eqY;kadu jhfr ls tkap djuk iMrk FkkA

मु.शु. एवं पं.फी. के सही आरोपण के लिए संपत्तियों का बाजार मूल्य का सही गणना के साथ अन्य डाटा का भी सही प्रविष्ट किया जाना मूल आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए विभाग ने एक इनपुट फार्म विकसित किया है ताकि आपरेटर को विलेख में उल्लेखित सभी विवरणों को देखने की जरूरत न पड़े। इनपुट फार्म में इन्द्राज किये गये विवरणों को आपरेटर इन्टरफेस में इनपुट विन्डो में प्रविष्ट की जाती है। आगे, अगर आपरेटर इन्टरफेस में कोई विवरण गलत इन्द्राज होता है तो उ.पं. द्वारा 'परमिशन टू एडिट' का विकल्प चयन कर उसे सुधारा जाता है। लेखापरीक्षा द्वारा इनपुट फार्म एवं इनपुट विन्डो में कुछ अनियमितताऐं/कमियाँ देखी गई, जैसे नीचे व्याख्या किया गया है–

leLr foys[kksa ds fy, ,d gh buiqV QkeZ ,oa foUMks

सेवा प्रदाता द्वारा विकसित इनपुट फार्म की जाँच में यह पाया गया कि संपत्तियों एवं पक्षकारों/निष्पादकों का विवरण इनपुट फार्म में इन्द्राज करने की सुविधा तो उपलब्ध है, परन्तु उसी इनपुट फार्म को सभी प्रकार के विलेखों के लिए उपयोग में लाया जा रहा था। चूँकि प्रत्येक श्रेणी के विलेखों में मु.शु. एवं पं.फी. का सही गणना करने के लिए

अलग–अलग कारक होते हैं तो इनपुट फार्म समस्त विलेखों के आवश्यकतानुसार एवं सही मूल्य को निर्धारण करने के लिए सभी आवश्यक तथ्यों को हो सके के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए था। अतः सेवा प्रदाता द्वारा विकसित किये गये इनपुट फार्म सभी प्रकारों के विलेखों के लिए संपूर्ण नहीं था।

आगे, लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि डाटा इनपुट विन्डों में कुछ आवश्यक तथ्यों को एकत्रित करने का प्रावधान न होने से संपत्ति के बाजार मूल्य की गणना सही नहीं हो रही थी एवं पंजीयन प्राधिकारी को संपत्ति के बाजार मूल्य गणना करने के लिए मैनुअल रीति पर निर्भर होना पड़ता था। स्टाम्प अधिनियमों के अनुरूप कुछ विलेखों में संपत्तियों का बाजार मूल्य को स्वनिर्धारित नहीं किये जाने का उल्लेख नीचे किया गया हैः

rkfydk 6-4% MkVk buiqV ekM;qy esa fn;s x;s lqfo/kk dk fooj.k ,oa fofHkUu foys[kksa esa mldh dfe;k¡

l- Ø-	foys[k Js.kh	i=kk;rk	buiqV ekM;qy esa fn;s x;s lqfo/kk
1.	वसीयत को छोड़कर सभी विलेख	निष्पादन दिनांक के चार माह के भीतर विलेख को प्रस्तुत किया जाना होता है। आगे, निष्पादन दिनांक से विलंबित प्रस्तुति/उपस्थिति के लिए शास्ति आरोपण का भी प्रावधान है।	इनपुट विन्डों में निष्पादन दिनांक को एकत्रित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसकी अनुपलब्धता के चलते पंजीयन प्राधिकारी को मैनुअल रीति से जाँच करना पड़ता था कि निष्पादित दस्तावेज प्रावधानित अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया है और अगर, उस पर कोई शास्ति आरोपित होती हो तो उसका भी मैनुअल रीति से गणना करना पड़ता था।
2.	विनिमय	मु.शु. विनिमय की जा रही संपत्तियों में से अधिक बाजार मूल्य वाले संपत्ति पर देय है। बाजार मूल्य के अन्तर पर मु.शु. के भुगतान का लाभ कुछ[34] शर्तों के पालन करने पर उपलब्ध होता है।	दोनों स्थितियों में अधिक बाजार मूल्य वाले संपत्ति का बाजार मूल्य दर्शित किया जाता है। अतः ऐसी स्थिति जहां पर निष्पादकों द्वारा बाजार मूल्य के अन्तर पर देय मु.शु. की पात्रता रखते हैं, वहां पर पंजीयन प्राधिकारी को विनिमय की जा रही संपत्तियों का मैनुअल आधार पर अन्तर का गणना करना पड़ता है।
3.	विभाजन	विभाजन की लिखत में मु.शु. उस लिखत में सम्मिलित हिस्सेदारों[35] पर आरोपणीय होगी। जबकि पं.फी. की गणना मूल संपत्ति से अलग होकर विभाजित संपत्ति के बाजार मूल्य पर होगा।	मूल संपत्ति से अलग होकर विभाजित संपत्ति के बाजार मूल्य को न दर्शाकर संपूर्ण संपत्ति के बाजार मूल्य को दर्शाया जाता है। अतः पंजीयन प्राधिकारी को पं.फी. के आरोपण हेतु मूल संपत्ति से पृथक हुए संपत्ति का पहचान मैनुअल रीति से कर बाजार मूल्य गणना करना होता है।
4.	निर्मुक्ति	मु.शु. एवं पं.फी. का आरोपण संपत्ति के उतने हिस्से में किया जाना है जितने में उसका अधिकार को हक	निर्मुक्ति विलेख में सम्मिलित समस्त संपत्ति के बाजार मूल्य को प्रदर्शित किया जाता है। अतः पंजीयन प्राधिकारी

34 जब विनिमय की जा रही संपत्तियां एक ही क्षेत्र में हों, एक ही प्रकृति के हो अर्थात भूमि का भूमि से एवं भवन का भवन से, नजूल की न हो एवं उसमें शामिल पक्षकारों वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के न हो।

35 गैर–कृषि भूमि के लिए ₹ 2,000 प्रति हिस्सा एवं कृषि भूमि के लिए ₹ 100 प्रति हिस्सा

		त्याग किया गया है।	को मूल संपत्ति में से हकत्याग किये गये संपत्ति का बाजार मूल्य मैनुअल रीति से करना पड़ता है।
5.	पट्टा	पट्टा विलेख में प्रीमियम एवं आरक्षित किराया के आधार पर मु.शु. वसूला जाता है। आगे औसत आरक्षित वार्षिक किराया का गणना आरक्षित किराया एवं पट्टा अवधि में किराया वृद्धि के अनुसार किया जाता है।	डाटा इनपुट विन्डो में प्रीमियम एवं किराया वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पंजीयन प्राधिकारी को औसत वार्षिक किराया को मैनुअल रीति से गणना करना पड़ता था।
6.	अनुबंध	अनुबंध में निहित अवधि के भीतर आगामी विलेख का पंजीयन किया जाना होता है। ऐसा न करने पर पुनः नये विलेख का पंजीयन कराना होता है।	इनपुट विन्डो में अवधि का उल्लेख नहीं है।

इनपुट फार्म एवं इनपुट माड्यूल में सीमाओं के चलते पंजीयन प्राधिकारी को ऊपर उल्लेखित विलेखों में मु.शु. एवं पं.फी. के आरोपण के लिए बाजार मूल्य को मैनुअल रीति से गणना करना पड़ता था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि एकल ईनपुट फार्म सभी मायनों में संपूर्ण था एवं संपत्ति के बाजार मूल्य में असर करने वाले समस्त कारकों को एकत्रित करने के लिए उपयुक्त था एवं प्रत्येक श्रेणी के विलेखों के लिए पृथक पृथक ईनपुट फार्म की आवश्यकता नहीं है। ईनपुट विन्डों में निष्पादन दिनांक एकत्र करने का प्रावधान न होने के संबंध में शासन द्वारा स्वीकारते (अगस्त 2020) हुए कहा कि ईनपुट विन्डो में निष्पादन दिनांक का प्रावधान अनिवार्यतः होना चाहिए। आगे, अन्य विलेखों के लिए सेवा प्रदाता को 'संरचना का विवरण' को शामिल करते हुए इसे सुधार किये जाने के लिए निर्देश दिये गये है, ताकि फार्म सभी मायनों में संपूर्ण हो जाए।

शासन का उत्तर की एकल इनपुट फार्म सभी आवश्यक तथ्यों को एकत्र करने के लिए पर्याप्त था को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि वर्तमान इनपुट फार्म सभी जरूरी विवरणों एकत्रित नहीं करता जिसके परिणामस्वरूप कई प्रकरणों में पंजीयन प्राधिकारी को बाजार मूल्य/औसत वार्षिक किराया इत्यादि का गणना के लिए मैनुअल रीति पर निर्भर होना पड़ा।

vu'kalk%

foHkkx dks leLr J.kh d foy[kk d lHkh vko';d MkVk rRok dk ,df=r dju dk lfuf'pr dju d fy, ;k rk iR;d J.kh d foy[k d fy, iFkd buiV Qkek ;k orek buiV Qke dk foLrkj dj lHkh Jf.k;k d foy[kk d vko';d rRok dk 'kkfey dj ¼fu"iknu fnukd dk lfEefyr dj ,o y[kkijh{kk }kjk bfxr fd; x; vU; vfrfjä MkVk rRok½ djuk pkfg,A

6-5-4-18 vi;kIr ekU;dj.k ¼oSyhMs'ku½ tkp

, l-,p-lh-vkbZ-,y- }kjk tkjh fd;s x;s bZ&LVkEi dh lR;rk tkpus gsrq fLLVe esa iko/kku rks fd;k x;k Fkk] ijUrq iwoZ esa vU; foys[kksa esa mi;kx fd;s x;s bZ&LVkEi dks iqu% iath;u dks jksdus gsrq iko/kku ugha FkkA bl tkp dk u gkus ls ,d gh bZ&LVkEi ds fof'k"V igpku la[;k dk vU; foys[kksa esa MqIyhdsV ifof"V gqbZA vkxs] ,ls idj.kksa ftles vk;dj vf/kfu;e] 1961 ds iko/kku vuqlkj LFkk;h y[kk Øekd ¼iSu½ dk vfuok;Z ifo"V fd;s tkus dk Hkh iko/kku fLLVe esa ugha fd;k x;kA

¼v½ iwoZ ds iath;u esa mi;kx fd;s x;s bZ&LVkEi dk ekU;dj.k tkp dk iko/kku u gkukA

आर.एफ.पी. के कंडिका 6.3.9 के अनुसार पंजीयन पूर्ण हो जाने के पश्चात्, अगर किसी पंजीयन में ई–स्टाम्प उपयोग किया गया हो तो सिस्टम ई–स्टाम्प विशिष्ट पहचान संख्या निष्क्रिय कर देगा। ई–पंजीयन माड्यूल में उपयोगकर्त्ता को दस्तावेजों में संलग्न ई–स्टाम्प प्रमाणपत्रों की सत्यता को जाँचने के लिए एस.एच.सी.आई.एल सर्वर से एक 'वेब सेवा' लिंक प्रदान किया गया है। ई–स्टाम्प प्रमाणपत्र के दुरूपयोग रोकने के लिए दस्तावेज के पंजीयन के बाद उपयोगकर्त्ता द्वारा एस.एच.सी.आई.एल सर्वर में उसका अनिवार्य रूप से लॉक किया जाएगा।

- लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि सिस्टम द्वारा 12 विलेखों में डुप्लीकेट ई–स्टाम्प प्रमाणपत्रों की प्रविष्टि स्वीकार की गई। इन 12 विलेखों में से दो[36] प्रकरणों में एक ही ई–स्टाम्पों को दो विभिन्न विलेखों में उपयोग किया गया एवं शेष 10 प्रकरणों में आपरेटर को प्रस्तुत किये गये ई–स्टाम्प को अनजाने में दुसरे ई–स्टाम्प की प्रविष्टि की गई। आगे, एस.एच.सी.आई.एल. वेबसाईट से जाँच करने पर पाया गया कि 12 प्रकरणों में सिस्टम द्वारा पूर्व में उपयोग मे लाये गये ई–स्टाम्प को पुनः स्वीकार किया गया एवं तीन[37] प्रकरणों में ई–स्टाम्पों अनलॉक थी। अतः उपयोगकर्त्ता को सिस्टम में जारी किये गये ई–स्टाम्प की सत्यता जाँचने के लिए एस.एच.सी.आई.एल से इंटरफेस तो प्रदान किया गया था, लेकिन दो विभिन्न विलेखों में एक ही ई–स्टाम्प की प्रविष्टि को रोकने के लिए सिस्टम में मान्यकरण जाँच का प्रावधान नहीं किया गया।
- एक[38] पट्टा विलेख में लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि झारखण्ड़ राज्य का ₹ 100 का ई–स्टाम्प संलग्न था एवं संबंधित उ.पं. द्वारा विलेख का पंजीयन किया गया। आगे, आज दिनांक (अक्टूबर 2020) तक ई–स्टाम्प अनलॉक था, जो कि छत्तीसगढ़ स्टाम्प नियम, 1942 के नियम 3 के विरूद्ध था, जो यह प्रावधानित करता है कि कोई विलेख जो कि शुल्कों से अधिरोपित किया जाता है तो वह माना जाएगा कि वह छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किया गया है। एक ही ई–स्टाम्प को दो विलेखों में उपयोग करना एवं पंजीयन के

---

[36] IN–CG05924900572447P (CG5124917112017005 एवं CG5124918102017010) एवं IN–CG07922546650177Q (CG6217502072018006 एवं CG6217502072018003)

[37] IN–CG07512106558348Q; IN–CG07922546650177Q एवं IN–CG08016827698541Q

[38] CG6304509012018026

बाद प्रावधान[39] को कड़ाई से पालन न कर ई–स्टाम्प को लॉक नही करना यह दर्शाता है कि सिस्टम में ई–स्टाम्पों के दुरूपयोग को रोकने के जोखिम के लिए आवश्यक जाँच एवं मान्यकरण को स्थापित नहीं किया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि डुप्लीकेट स्टाम्प के मुद्दे को परीक्षण कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायगा। अन्य राज्य के ई–स्टाम्प का उपयोग छत्तीसगढ़ राज्य में करने के मामले में आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

vu'kalk

foHkkx }kjk flLVe e ,lk iko/kku dj fd ,d gh bZ&LVkEi d fof'k"V igpku l[;k ftldk mi;kx iol e vU; foy[kk e fd;k x;k gk mldh Lohdfr u nA

¼c½ LFkk;h y[kk l[;k ¼iSu½ d vfuok;Z ifof"V d fy, dkbZ ekU;dj.k tkp dk iko/kku u gkukA

हस्तांतरण (विक्रय), विनिमय, दान एवं विक्रय प्रमाणपत्र के 20,199 विलेखों जिसमें अचल संपत्तियों का बाजार मूल्य ₹ 30 लाख या उससे अधिक था का पंजीयन मई 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य हुआ। जिनमें से 10,439 विलेखों में सम्मिलित संव्यवहार राशि ₹ 6,283.84 करोड़ में 27,282 निष्पादकों का स्थायी लेखा संख्या का विवरण उपलब्ध नहीं था। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार पंजीयन प्राधिकारियों को निष्पादकों का पैन को दर्शाते हुए एक स्टेटमेंट आफ फाईनेनसियल ट्रांजैक्शन[40] प्रतिवेदन आयकर विभाग को दिया जाना होता है। यह स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि दस्तावेज के पंजीयन पूर्व निष्पादकों का अनिवार्य[41] पैन की प्रविष्टि के लिए सिस्टम में आवश्यक मान्यकरण नियम का प्रावधान नहीं किया गया, जो कि अधूरे एस.एफ.टी रिर्पोट की उत्पत्ति की संभावनायें देता है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने आक्षेप को स्वीकारते हुए व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि सेवा प्रदाता को पैन फील्ड को अनिवार्य करने के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

---

[39] छत्तीसगढ़ स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाणपत्रों के माध्यम से स्टाम्प शुल्क का संदाय) नियम 2016 के नियम 32 अनुसार पंजीयन अधिकारी विवरण का सत्यापन करने के पश्चात् लिखत के पंजीयन की आगामी कार्यवाही करेगा और अपने कम्प्यूटर प्रणाली के उपयोग द्वारा, ऐसे ई–स्टाम्प प्रमाणपत्र की विशिष्ट यूनिक पहचान संख्या को अनिवार्य रूप से नियोग्य/लॉक करेगा।

[40] एस.एफ.टी एक विवरण है जिसमें प्रति वर्ष ₹ 30 लाख या उससे अधिक के गैर–कृषि भूमियों के क्रय/विक्रय या पंजीयन प्राधिकारी द्वारा ₹ 30 लाख या उससे अधिक का मूल्यांकन किया गया हो जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 285 ख में प्रावधानित किया गया है।

[41] आयकर नियम, 1962 के नियम 114 ब अनुसार ₹ 10 लाख से अधिक के अचल संपत्तियों के क्रय एवं विक्रय या धारा 50 ग में संदर्भित स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा ₹ 10 लाख या उससे अधिक का मूल्यांकन करने पर पैन को अनिवार्यतः दर्शाया जाना होता है।

6-5-4-19 iVVk ij ykxw e-'k- dk xyr iFkDdj.kA

e-'k-] 'kYd ,o midj dh vyx vyx jkf'k dk n'kkus ds ctk, e-'k- dh jkf'k dk xyrh ls vfrfjä e-'k- ds vrxr n'kk;k x;kA

पंजीयन प्रमाणपत्र[42] में मु.शु., नगर पालिका निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत शुल्क, उपकर, अतिरिक्त मु.शु., पं.फी., सेवा प्रभार एवं दीगर तहसील शुल्क का पृथक–पृथक दर्शाकर पंजीयन प्राधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किया जाता है। मु.शु., शुल्क, उपकर एवं अतिरिक्त मु.शु. की राशि को स्टाम्प के रूप में वसूला जाता है। स्थानीय निकायों को अपने संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न प्रावधानों/नियमों के अनुसार प्राप्त शुल्कों एवं उपकर की राशि को हस्तांतरित किया जाता है।

ट्रांजेक्शन डाटा का लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण करने पर पाया गया कि राज्य में अवधि मई 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य कुल 17,165 पट्टा विलेखों के पंजीयन में से सिस्टम द्वारा मु.शु. की संपूर्ण राशि को मु.शु. में न दर्शाकर अतिरिक्त मु.शु./अन्य में दर्शाया गया। आगे, इनमें 100 विलेखों भी सम्मिलित है जिसमें पट्टा अवधि 30 वर्ष या उससे अधिक की थी, जिसमें उपकर वसूलनीय था एवं वसूल की गई उपकर की राशि को भी अतिरिक्त मु.शु. में प्रदर्शित किया गया। अतः मु.शु. की संपूर्ण राशि को अतिरिक्त मु.शु./अन्य में प्रदर्शित किया जाना उचित नहीं था एवं स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जाने वाली उपकर राशि की प्रतिवेदन का भी सही जानकारी प्रदर्शित नहीं करेगा।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने आक्षेप को स्वीकारते हुए व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि यह सिस्टम की त्रुटि है एवं ई–पंजीयन सॉफ्टवेयर 30 वर्ष या उससे अधिक का प्रभारित उपकर की राशि का गणना नहीं कर रहा था। सेवा प्रदाता को सिस्टम सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करने को निर्देशित कर दिया गया है।

6-5-4-20 lok inkrk }kjk lokvk dk i.k u djuk@v/kjk j[kuk

foHkkx dk ckt kj eY; ekxn'kd fl)kUr r|;kj djus ds fy, lgk;rk djus ds fy, fjiksV dh mRifÙk ds fy, flLVe es 0;oLFkk ugh FkhA vkxs] lsifÙk ds ckt kj eY; dh x.kuk djus ds fy, oc ikVy es fn;s x;s lfo/kk Ik;klr ugh FkhA

¼v½ ekxn'kd fl)kUr r|;kjh ds fy, ckt kj nj ikfIr ds fy, ekM;y dk iko/kku u gkukA

आर.एफ.पी. के कंडिका 6.3.10 के अनुसार सिस्टम में औसत मार्गदर्शक सिद्धान्त डाटा की उत्पत्ति का विकल्प होगा जिसके आधार पर नए मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त का बनाया जाना एवं पुनरीक्षण नियम, 2000 के नियम 4 के अंतर्गत बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करने के लिए ऐसा प्रयोग किया जाना है।

लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करने के लिए पूर्व वर्षों में संपत्तियों के क्रय–विक्रय का विश्लेषण के लिए डाटा का संचारण करने के लिए

42 विलेख में अंतिम छापित पृष्ठांकन

सिस्टम में कोई माड्यूल विकसित नहीं किया गया। ऐसी माड्यूल की अनुपलब्धता के चलते पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा सिस्टम आधारित मूल्यांकन के बजाय मैनुअल आधारित मूल्यांकन पर निर्भर रहना पड़ा।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने आक्षेप को स्वीकारते हुए व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि सेवा प्रदाता को जि.मू.स. को डाटा संचारण करने के लिए सिस्टम में व्यवस्था करने के लिए निर्देश दे दिए गए है, ताकि बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त की तैयारी की प्रक्रिया को स्वचालित (आटोमेट) किया जा सके।

¼c½ oc iksVZy esa vi;kZIrrk

उपयोगकर्त्ता द्वारा विलेखों के पंजीयन हेतु पंजीयन कार्यालयों में जाने के पूर्व ई–पंजीयन पोर्टल में एक आन–लाईन सुविधा प्रदान की गई है जिसमें आधारभूत जानकारी प्रविष्टि करने के बाद संपत्तियों के मूल्यांकन एवं देय मु.शु. एवं पं.फी. की गणना होती है। इसका मुख्य उद्देश्य निष्पादकों को दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के अलावा मु.शु. की सही गणना करने में मद्द हो सके।

लेखापरीक्षा द्वारा वेब पोर्टल की जाँच में देखा गया कि तीन सुविधाओं जो कि 'बाजार मूल्य गणना सामान्य', 'बाजार मूल्य गणना संरचना सहित' एवं 'मु.शु./पं.फी. केलकुलेटर' नाम से प्रावधान किया गया है। यह देखा गया कि 'बाजार मूल्य गणना संरचना सहित' के अंतर्गत तल (फ्लोर) अनुसार जैसे कि भू–तल, प्रथम, द्वितीय एवं उसके आगे के तलों के क्षेत्रफल का विवरणों की प्रविष्टि के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। तल अनुसार, महत्वपूर्ण डाटा के प्रविष्टि के लिए प्रावधान न होना उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता एवं गणना की गई बाजार मूल्य सही नहीं होगी। आगे प्रर्भाय स्टाम्प (मु.शु., शुल्क एवं उपकर) की गणना का आधार निर्मित संपत्ति के निर्माण का क्षेत्रफल एवं लिंग का विकल्प का चयन ड्राप डाऊन में विकल्प के आधार पर होगा। हालांकि, यह देखा गया कि 'लिंग' एवं 'निर्मित क्षेत्र कुल क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक/कम' का विकल्प चुनने के लिए एक ही श्रेणी में प्रावधान किया गया है। जिसके चलते महिला निष्पादकों को सूची में 'महिला' का विकल्प चुनने के बाद 'संरचना 50 प्रतिशत से अधिक/कम का विकल्प चुना नहीं जा सकता। अतः आरोपणीय स्टाम्प का संचरना के क्षेत्रफल के अनुसार गणना नहीं हो सकेगा (यानि कि स्टाम्प की गणना के लिए उपकर की राशि को सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा)।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने आक्षेप को स्वीकारते हुए व्यक्त (अगस्त 2020) किया कि सेवा प्रदाता को बाजार मूल्य गणना करने के लिए आन लाईन कैलकुलेटर में आवश्यक सुधार करने के लिए पत्र लिखा गया है।

6-5-5 fu"d"kZ

निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रणाली एवं अनुपालनों की कमियाँ, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं सूचना प्रौद्योगिकी माहौल में विभाग का कार्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों को प्रकाश में लाया गया। बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत तैयारी पर्याप्त नहीं था एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ नहीं थी क्योंकि मैनुअल के अनुसार प्रावधानित अधीनस्थ एवं लोक कार्यालयों के निरीक्षणों में कमी थी। परिणामस्वरूप मु.शु. एवं पं.फी. के सही आरोपण के लिए प्रभावी जाँच सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

जबकि ई–पंजीयन का प्रस्तावित दिनांक 05 अक्टूबर 2016 तक संपन्न होना प्रस्तावित था, जिसका क्रियान्वयन सितम्बर 2017 से जून 2019 के बीच चार चरणों में किए जाने के बाद भी पट्टा, विभाजन, निर्मुक्ति एवं विनिमय के लिखतों में स्वमूल्यांकन में कठिनाई जारी रहने के

कारण मैनुअल रीति से किया जा रहा है। पूर्व के विलेखों में पंजीयन हेतु प्रस्तुत ई–स्टाम्पों को पुनः प्रविष्टि करने से रोकने के लिए सिस्टम में जाँच के लिए क्रियान्वित नहीं किया गया। इपनुट डाटा के प्रविष्टि के लिए कुछ नियंत्रणों का अभाव था।

सेवा प्रदाता द्वारा सिस्टम डिजाईन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं सिस्टम के एक्सेस एवं सिक्युरीटी पहलुओं को संबेाधित नहीं किया गया। सेवा प्रदाता द्वारा सिस्टम का यूजर एक्सेपटेंस टेस्टिंग एकपक्षीय किया गया। ई–पंजीयन एप्लिकेशन का 'गो–लाईव' प्रमाणपत्र आज पर्यन्त तक प्रदाय नहीं किया गया। सेवा प्रदाता से सेवा स्तर करार के अभाव में सेवा स्तर मानकों की प्राप्ति के मापन एवं प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र मौजूद नहीं था।

jk;iqj
fnukad 26 Qjojh 2021

(दिनेश रायभानजी पाटील)
iz/kku egkys[kkdkj ¼ys[kk ijh{kk½
NÙkhlx<+

izfrgLrk{kfjr

ubZ fnYyh
fnukad 11 ekpZ 2021

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
Hkkjr ds fu;a=d&egkys[kk ijh{kd

परिशिष्ट

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ कंडिका 2.4)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारिती का नाम/टिन	प्रकरण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	आरोपणीय/आरोपित कर की दर	आवर्त	कर का कम आरोपण	आरोपणीय शास्ति	लेखापरीक्षा प्रेक्षण की प्रकृति
1	वा.क.अ. –3, रायपुर	मे. साथर्न बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर (22961308760)	2013–14 (फरवरी 2018)	बैटरी	14/0	292.94	41.01	82.02	एक व्यवसायी जो बैटरी के क्रय विक्रय करता था, ने वर्ष 2013–14 की अवधि के दौरान राशि ₹ 292.94 लाख के सोलर बैटरी का विक्रय किया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी (क.नि.अ.) ने कर–मुक्त वस्तु मानकर कोई करारोपण नहीं किया। हालांकि, आयुक्त, वाणिज्यिक कर (फरवरी 2014) द्वारा मेसर्स पानासीया डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रकरण में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, सौर ऊर्जा प्रणाली से चलने वाली बैटरी ट्यूबलर लीड एसिड सेल बैटरी है और यह ''अन्य वस्तु जो अनुसूची I एवं II में सम्मिलित नहीं है'' में शामिल है जिस पर 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। इसके परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 41.01 लाख कम प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त राशि ₹ 82.02 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी। इसे इंगित किए जाने (जनवरी 2020) पर शासन ने उत्तर में कहा (जुलाई 2020) कि राशि ₹ 41.04 लाख की मांग जारी की गई है। आगे वसूली की प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2020)।
2	वा.क.अ. –6, रायपुर	मे. साथर्न बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	2011–12 (मई 2016)	बैटरी	14/5	98.90	8.90	17.80	एक व्यवसायी जो लेड, बैटरी इत्यादि के व्यवसाय करते है, ने वर्ष 2011–12 में राशि ₹ 98.90 लाख के सोलर बैटरी का विक्रय किया। क.नि.अ. द्वारा आवर्त पर पाँच प्रतिशत

		(22051601764)							की दर से करारोपण किया गया। हालांकि, आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा (फरवरी 2014) मे. पनासीया डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रकरण में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, सौर ऊर्जा प्रणाली से चलने वाली बैटरी ट्यूबलर लीड एसिड सेल बैटरी है और यह "अन्य वस्तु जो अनुसूची I एवं II में सम्मिलित नहीं है" में शामिल है जिस पर 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। इसके परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 8.90 लाख कम प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त राशि ₹ 17.80 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी। इसे इंगित किए जाने (जनवरी 2020) पर शासन ने उत्तर में कहा (जुलाई 2020) कि प्रकरण धारा 22(1) के तहत पुनः कर निर्धारण हेतु खोला गया है।
3	वा.क.अ. –6, रायपुर	मे. श्री बालाजी एंटरप्राइजेस, रायपुर (22381601146)	2013–14 (स्व कर निर्धारण)	एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी) शीट्	14 / 5	195.62	17.61	35.22	एक व्यवसायी जो एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल शीट्स (एसीपी) का व्यवसाय करता था, ने वर्ष 2013–14 की अवधि के दौरान राशि ₹ 195.62 लाख के एसीपी का विक्रय किया और पाँच प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया। हालांकि, आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, कर्नाटक के स्पष्टीकरण के अनुसार, एसीपी 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। इसलिए, 14 प्रतिशत की दर से कर देय है। इसके परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 17.61 लाख कम प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त राशि ₹ 35.22 लाख की शास्ति भी आरोपणीय था। इसे इंगित किए जाने (जनवरी 2020) पर शासन ने उत्तर में कहा (जुलाई 2020) कि प्रकरण धारा 22(1) अंतर्गत खोला गया एवं कर निर्धारण आदेश (फरवरी 2020) के अनुसार क.नि.अ. द्वारा पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह

									एल्यूमीनियम, मिश्र धातु के उत्पाद या इसका एक्सट्रूशन नहीं है बल्कि एक अलग उत्पाद है। एसीपी एल्युमीनियम मिश्रित सामग्री से बने हुए समतल पैनल होते है जिसमें दो पतली कॉइल लेपित एल्यूमीनियम शीट होती है जो एक गैर–एल्यूमीनियम कोर से बंधी होती है और इनका उपयोग इमारतों का बाहरी आवरण, इन्सुलेशन और साइनेज के लिए किया जाता है। इसलिए, 14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है।
4	वा.क.अ. –6, रायपुर	मे. वैभव ट्रेडर्स (22671601811)	2010–11 (दिसम्बर 2015)	सीमेंट शीट्स	14/5	4.66	0.42	0.84	एक व्यवसायी जो सीमेंट एवं सीमेंट शीट्स का व्यवसाय करता है, के द्वारा वर्ष 2010–11 में राशि ₹ 4.66 लाख के सीमेंट शीट्स का विक्रय किया गया, जिसपर क.नि.अ. द्वारा पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया। हालांकि, 'सीमेंट शीट्स' अवशिष्ट प्रविष्टि के तहत आता है और 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। इसके परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 0.42 लाख का कम आरोपण हुआ। इसके अतिरिक्त राशि ₹ 0.84 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी। इसे इंगित किए जाने (दिसम्बर 2019) पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2020) कि प्रकरण धारा 22(1) के तहत पुनः कर निर्धारण के लिए व्यवसायी को सूचना जारी की गई है।
5	वा.क.अ. –7, रायपुर	मे. माँ वैष्णो देवी कार्ड्स, रायपुर (22361703686)	2013–14 (मार्च 2018)	पोली फिल्म्स	14/5	400.37	36.03	72.06	एक व्यवसायी जो शादी के निमंत्रण कार्ड, स्टेशनरी, लैमिनेटेड कार्ड, विजिटिंग कार्ड और फिल्मों का व्यवसाय करता था, ने मे. जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड से राशि ₹ 400.37 लाख मूल्य की पॉली फिल्मों का क्रय कर राज्य के भीतर विक्रय किया गया। क.नि.अ. द्वारा इसपर पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया। हालांकि, छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम की अनुसूची के अनुसार 'पोली

									फिल्म्स' पर 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। इसके परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 36.03 लाख कम प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त राशि ₹ 72.06 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी। इसे इंगित किए जाने (जनवरी 2020) पर शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि राशि ₹ 106.52 लाख की मांग जारी की गई है। आगे, वसूली की प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2020)।
6	वा.क.अ. –7, रायपुर	मे. शुभम एसोसिएटस, रायपुर (22331701423)	2012–13 (अक्टूबर 2016)	चॉकलेट का कच्चा माल	14/5	136.86	12.32	24.64	एक व्यवसायी जो बेकरी के कच्चे माल का व्यवसाय करता है ने अवधि 2012–13 के दौरान राशि ₹ 136.11 लाख के चॉकलेट के कच्चे माल का विक्रय किया। क.नि.अ. ने प्रकरण में कर निर्धारण के दौरान पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया। हालांकि, छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम की अनुसूची के अनुसार चॉकलेट के कच्चे माल पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। इसके परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 12.32 लाख कम प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त राशि ₹ 24.64 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी। इसे इंगित किए जाने (जनवरी 2020) पर शासन ने उत्तर दिया कि राशि ₹ 24.58 लाख की मांग जारी की गई है। आगे, वसूली की प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2020)।
7	वा.क.अ. –7, रायपुर	मे. प्रलशर बायो प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड (22591700310)	2011–12, 2012–13 (मई 2016) (नियमित कर निर्धारण) (मई 2015) (स्व	जैव–उर्वरक	5/0	671.93	33.60	67.20	एक व्यवसायी जो जैव–उर्वरक उत्पादों के क्रय–विक्रय का व्यवसाय करता है, के द्वारा अवधि 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान राशि ₹ 671.93 लाख की ऑर्गनिक जैव–उर्वरक का विक्रय किया गया, जिस पर व्यवसायी द्वारा जैविक खाद मान कर कर–मुक्त वस्तु की कटौती प्रदाय/ली गई। हालाँकि, 'जैव–उर्वरक' पाँच प्रतिशत की दर से कर योग्य है, जिसके परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 33.60 लाख का

			कर निर्धारण)						अनारोपण/अवसूली हुई। इसके अतिरिक्त राशि ₹ 67.20 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी। इसे इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2019) शासन ने उत्तर दिया (मई 2020) कि धारा 22(1) के तहत प्रकरणों को पुनः कर निर्धारण के लिए खोला गया एवं राशि ₹ 109.86 लाख की मांग जारी की गई है। आगे, वसूली की प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2020)।
8	वा.क.अ. –9, रायपुर	मे. आर वाय बी पॉवर इंजीनियरिंग (22411901684)	2013–14 (जून 2018)	इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्डस्	14/5	47.08	4.24	8.48	एक व्यवसायी जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के व्यवसाय करता है, के द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान राशि ₹ 47.08 लाख का इलेक्ट्रिकल पैनल विक्रय किया गया, जिसपर क.नि.अ. द्वारा पाँच प्रतिशत से करारोपण किया गया। छत्तीसगढ़ शासन ने 31 मार्च 2016 की अधिसूचना संख्या 32 द्वारा इलेक्ट्रिकल पैनल पर दिनांक 01 अप्रैल 2016 से कर की दर पाँच प्रतिशत निर्धारित किया जो इस तथ्य का संकेत है कि उपरोक्त वस्तु इससे पूर्व 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय थी। हालाँकि, क.नि.अ. ने प्रकरण में कर निर्धारण के दौरान सही कर की दर लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 4.24 लाख का कम आरोपण हुआ। इसके अतिरिक्त राशि ₹ 8.48 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी। इसे इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2019) शासन ने उत्तर (मई 2020) दिया कि राशि ₹ 6.37 लाख की मांग जारी की गई है। आगे, वसूली की प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2020)।
;kx						1848-36	154-13	308-26	

ifjf'k"V 2-2

¼lnHk dfMdk 2-5½

¼₹ yk[k e½

l- Ø-	bdkb dk uke	O;olk;h dk uke@fVu	iadj.k o"k ¼dj fu/kkj.k dk ekg o o"k½	oLrq	fouk ^lh** Qke dk vrjkT;h; lO;ogkj	vkjksi.kh;@vkjksfir dj dh nj	vkjksi.kh; dj	iz{k.k dh idfr
1	वा.क.अ. –3, रायपुर	मे. सु–काम पावर सिस्टम्स लिमिटेड, रायपुर (22911305538)	2014–15 / स्व–कर निर्धारण	इंवर्टर बैटरी एवं सेल	368.76	14 / 0	51.63	व्यवसायी राशि ₹ 3,68,75,500 /– की वस्तु का (अंतर्राज्यीय) विक्रय किया एवं कर मुक्त कटौती का दावा किया। हालांकि, व्यवसायी इंवर्टर बैटरी एवं सेल का व्यवसाय करता है जिस पर 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त, संव्यवहार के समर्थन में व्यवसायी ने कोई भी फॉर्म 'सी' प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए, 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। इसे इंगित (जनवरी 2020) किए जाने पर शासन ने उत्तर (जुलाई 2020) दिया कि राशि ₹ 51.63 लाख की मांग जारी की गई है। आगे, वसूली की प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2020)।
2	वा.क.अ. –9, रायपुर	मे. गणेश फूड इंडस्ट्रीज, रायपुर (22931903241)	2013–14 (स्व–कर निर्धारण)	कपास बीज	46.96	5 / 0	2.30	संव्यवहार के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं है। इसे इंगित (दिसम्बर 2019) किए जाने पर शासन ने उत्तर (मई 2020) दिया कि व्यवसायी द्वारा पूर्व से जमा की गई राशि को समायोजित करने के बाद राशि ₹ 1.34 लाख की मांग जारी की गई है। आगे, वसूली की प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2020)।
3	स.आ.वा.क. रायगढ़	मे. सूरज रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, रायगढ़ (22344903048)	2012–13 (स्व–कर निर्धारण)	आयरन एवं स्टील	74.64	5 / 2	2.24	संव्यवहार के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं है। इसे इंगित (दिसम्बर 2019) किए जाने पर शासन ने उत्तर (मई 2020) दिया कि राशि ₹ 2.24 लाख की मांग

								जारी की गई है। आगे, वसूली की प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2020)।
4	स.आ.वा.क. रायगढ़	मे. सद्गुरू इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, रायगढ़ (22985100867)	2012–13 (स्व–कर निर्धारण)	आयरन एवं स्टील	93.39	5/0	4.67	संव्यवहार के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं है। इसे इंगित (दिसम्बर 2019) किए जाने पर शासन ने उत्तर (मई 2020) दिया कि व्यवसायी द्वारा राशि ₹ 4.67 लाख मे से ₹ 1.87 लाख जमा की गई है। आगे, राशि ₹ 2.80 लाख की मांग जारी की गई है। आगे, वसूली की प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2020)।
5	वा.क.अ. –2, कोरबा	मे. इंजीन्यरिंग इकुइपमेंट, कोरबा (22065200798)	2013–14 (स्व–कर निर्धारण)	मशीन और मशीनरी पार्ट्स	21.64	5/2	0.65	संव्यवहार के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं है। इसे इंगित (दिसम्बर 2019) किए जाने पर शासन ने उत्तर (मई 2020) दिया कि धारा 22(1) के अंतर्गत पुनः करनिर्धारण के लिए व्यवसायी को सूचना पत्र जारी किया गया है।
;kx					605-39		61-49	

ifjf'k"V 2-3

¼lnHkZ dfMdk 2-5½

¼₹ yk[k esa½

l- Ø-	bdkbZ dk uke	O;olk;h dk uke@fVu	ifdj.k o"kZ ¼dj fu/kkZj.k dk ekg o o"kZ½	oLrq	fcuk ^,Q** QkeZ ds vrjkT;h; lO;ogkj	vkjksi.kh;@vkjksfir dj dh nj	vkjksi.kh; dj	i{k.k dh idfr
1	वा.क.अ. –3, रायपुर	मे. खेतान इलेक्ट्रिकल्स, रायपुर (22591506989)	2014–15 (स्व–कर निर्धारण)	बिजली का सामान	73.31	14 / 0	10.26	माल हस्तांतरण 'एफ' फॉर्म समर्थित नहीं था। इसे इंगित (जनवरी 2020) किए जाने पर शासन ने उत्तर (जुलाई 2020) दिया कि राशि ₹ 10.26 लाख की मांग जारी की गई है। आगे, वसूली की प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2020)।
2	वा.क.अ. –3, रायपुर	में. एराइज इंडिया लिमि., रायपुर (22511309056)	2014–15 (स्व–कर निर्धारण)	बिजली का सामान	64.41	14 / 0	9.02	माल हस्तांतरण 'एफ' फॉर्म समर्थित नहीं था। इसे इंगित (जनवरी 2020) किए जाने पर शासन ने उत्तर (जुलाई 2020) दिया की राशि ₹ 9.02 लाख की मांग जारी की गई है। आगे, वसूली की प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2020)।
;ksx					137-72		19-28	

ifjf'k"V 2-4

¼lnHkZ dafMdk 2-5½

¼₹ yk[k esa½

l- Ø-	bdkbZ dk uke	O;olk;h dk uke@fVu	izdj.k o"kZ ¼dj fu/kkZj.k dk ekg o o"kZ½	oLrq	fcuk ^bZ&1@lh** QkeZ ds varjkT;h; lO;ogkj	vkjksi.kh;@vkjksfir dj dh nj	vkjksi.kh; dj	i{k.k dh izd`fr
1	वा.क.अ. –2, कोरबा	मे. इंजीन्यरिंग ईक्विपमेंट, कोरबा (22065200798)	2013–14 / स्व–कर निर्धारण	मशीन एवं मशीनरी पार्ट्स	44.20	5 / 0	2.21	पारगमन विक्रय के समर्थन में 'ई1' और 'सी' दोनों फॉर्म संलग्न नहीं है।
					98.61	5 / 0	4.93	पारगमन विक्रय के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं है परन्तु 'ई1' फॉर्म संलग्न है।
					31.02	2 / 0	0.62	पारगमन विक्रय के समर्थन में 'ई1' फॉर्म संलग्न नहीं है परन्तु 'सी' फॉर्म संलग्न है।
	इसे इंगित (जनवरी 2020) किए जाने पर शासन ने उत्तर (जुलाई 2020) दिया कि राशि ₹ 38.95 लाख की मांग जारी की गई है। आगे, वसूली की प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2020)।							
2	वा.क.अ. –2, कोरबा	मे. इन्दु प्रोजेक्ट लिमिटेड, कोरबा (22355201560)	2015–16 / स्व–कर निर्धारण	आयरन एवं स्टील, इलेक्ट्रोनिक, हार्डवेयर एवं कन्स्ट्रकशन मटेरियल्स	14.29	5 / 0	0.71	पारगमन विक्रय के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं है परन्तु 'ई1' फॉर्म संलग्न है।
					519.51	2 / 0	10.39	पारगमन विक्रय के समर्थन में 'ई1' फॉर्म संलग्न नहीं है परन्तु 'सी' फॉर्म संलग्न है।
	इसे इंगित (जनवरी 2020) किए जाने पर शासन ने उत्तर (जुलाई 2020) दिया की राशि ₹ 27.76 लाख (शास्ति ₹ 16.66 लाख सहित) की मांग जारी की गई है। आगे, वसूली की प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2020)।							
3	वा.क.अ. –7, रायपुर	मे. शिवा इंटरनेशनल, रायपुर (2261703657)	2012–13 / (जनवरी 2017)	रेडीमेड गार्मेंट्स	27.73	2 / 0	0.55	पारगमन विक्रय के समर्थन में 'ई1' फॉर्म संलग्न नहीं है परन्तु 'सी' फॉर्म संलग्न है।
	इसे इंगित (जनवरी 2020) किए जाने पर शासन ने उत्तर (जुलाई 2020) दिया की धारा 22(1) के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।							
4	वा.क.अ. –2, रायपुर	मे. श्री हनुमान री–रोर्लस प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर (22661206105)	2014–15 / स्व–कर निर्धारण	आयरन एवं स्टील	18.79	5 / 0	0.94	पारगमन विक्रय के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं है परन्तु 'ई1' फॉर्म संलग्न है।

	इसे इंगित (जनवरी 2020) किए जाने पर शासन ने उत्तर (जुलाई 2020) दिया कि राशि ₹ 93,961 की मांग जारी की गई है। आगे, वसूली की प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2020)।							
5	वा.क.अ. –2, रायपुर	मे. प्रतीक स्टील्स, रायपुर (22041202857)	2014–15 / स्व–कर निर्धारण	आयरन एवं स्टील	20.21	5 / 0	1.01	पारगमन विक्रय के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं है परन्तु 'ई1' फॉर्म संलग्न है।
					6.43	2 / 0	0.13	पारगमन विक्रय के समर्थन में 'ई1' फॉर्म संलग्न नहीं है परन्तु 'सी' फॉर्म संलग्न है।
	इसे इंगित (जनवरी 2020) किए जाने पर शासन ने उत्तर (जुलाई 2020) दिया कि राशि ₹ 1,13,900 की मांग जारी की गई है। आगे, वसूली की प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2020)।							
6	वा.क.अ. –5, रायपुर	मे. कन्हैया स्टील, रायपुर (22831504723)	2014–15 / स्व–कर निर्धारण	आयरन एवं स्टील	48.03	2 / 0	0.96	पारगमन विक्रय के समर्थन में 'ई1' फॉर्म संलग्न नहीं है परन्तु 'सी' फॉर्म संलग्न है।
	इसे इंगित (जनवरी 2020) किए जाने पर शासन ने उत्तर (जुलाई 2020) दिया कि प्रकरण धारा 22(1) के तहत पुनः खोला गया है।							
7	वा.क.अ. –5, रायपुर	मे. डागा इन्टरप्राइजेज, रायपुर (22631501826)	2014–15 / स्व–कर निर्धारण	आयरन एवं स्टील	60.05	5 / 0	3.00	पारगमन विक्रय के समर्थन में 'ई1' और 'सी' दोनों फॉर्म संलग्न नहीं है।
	इसे इंगित (जनवरी 2020) किए जाने पर शासन ने उत्तर (जुलाई 2020) दिया कि प्रकरण धारा 22(1) के तहत पुनः खोला गया है।							
8	वा.क.अ. –5, रायपुर	मे. मूनीयेस मार्केटर्स एण्ड कंसल्टेंट, रायपुर (22551507399)	2013–14 / स्व–कर निर्धारण	आयरन एवं स्टील	64.45	2 / 0	1.29	पारगमन विक्रय के समर्थन में 'ई1' फॉर्म संलग्न नहीं है परन्तु 'सी' फॉर्म संलग्न है।
	इसे इंगित (जनवरी 2020) किए जाने पर शासन ने उत्तर (जुलाई 2020) दिया कि प्रकरण धारा 22(1) के तहत पुनः खोला गया है।							
9	वा.क.अ. –5, रायपुर	मे. प्रोएक्टिव टेक्नोलोजिज, रायपुर (22631503572)	2014–15 / स्व–कर निर्धारण	इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल गूड्स	84.12	5 / 0	4.21	पारगमन विक्रय के समर्थन में 'ई1' और 'सी' दोनों फॉर्म संलग्न नहीं है।
	इसे इंगित (जनवरी 2020) किए जाने पर शासन ने उत्तर (जुलाई 2020) दिया कि प्रकरण धारा 22(1) के तहत पुनः खोला गया है।							
10	वा.क.अ. –8, रायपुर	मे. इंडियाना कोन्वेएर्स प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर (2281183397)	2013–14 / स्व–कर निर्धारण	फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर	179.34	5 / 0	8.97	पारगमन विक्रय के समर्थन में 'ई1' और 'सी' दोनों फॉर्म संलग्न नहीं है।
	इसे इंगित (जनवरी 2020) किए जाने पर शासन ने उत्तर (जुलाई 2020) दिया कि प्रकरण धारा 22(1) के तहत पुनः खोला गया है।							
; kx					1]216-78		39-92	

ifjf'k"V 2-5

¼lnHkZ dafMdk 2-5½

¼₹ yk[k esa½

l- Ø-	bdkbZ dk uke	0;olk;h dk uke@fVu	izdj.k o"kZ	oLrq	fcuk ^,p* QkeZ ds fu;kZr foØ;	vkjksi.kh;@vkjksfir dj dh nj	vkjksi.kh; dj	i{k.k dh idfr
1	वा.क.अ. –7, रायपुर	मे. यूनिवोर्थ लिमिटेड, रायपुर (22611700493)	2012–13 / स्व–कर निर्धारण	यार्न	655.80	5 / 0	32.79	निर्यात बिक्री के समर्थन में 'एच' फॉर्म संलग्न नहीं है। इसे इंगित (जनवरी 2020) किए जाने पर शासन ने उत्तर (जुलाई 2020) दिया कि राशि ₹ 1.39 करोड़ की मांग जारी की गई है। आगे, वसूली की प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2020)।
;ksx					655-80		32-79	

ifjf'k"V 3-1

¼lnHkZ dafMdk 3-3½

¼₹ yk[k eas½

dk;ky; dk uke	cdk;k dj dh vof/k	okguks dh l[;k	vkjkif.k; dj	'kkfLr	;kx
eky ;ku					
क्षे.प.अ., बिलासपुर	नवम्बर 2017 से मार्च 2018	1	0.15	0.15	0.30
क्षे.प.अ., रायपुर	जून 2017 से दिसम्बर 2018	168	31.71	31.71	63.42
क्षे.प.अ., दुर्ग	अप्रैल 2016 से नवम्बर 2018	250	53.20	53.20	106.40
जि.प.अ., कोरबा	जनवरी 2017 से अगस्त 2018	3	1.21	1.21	2.42
;kx		422	86-27	86-27	172-54
;k=h ;ku					
क्षे.प.अ., बिलासपुर	फरवरी 2017 से दिसम्बर 2017	4	2.00	2.00	4.00
जि.प.अ., रायगढ़	फरवरी 2017 से जुलाई 2018	1	0.40	0.40	0.80
क्षे.प.अ., दुर्ग	जुलाई 2013 से नवम्बर 2018	27	35.62	35.62	71.24
;kx		32	38-02	38-02	76-04
vU; ;ku					
जि.प.अ., रायगढ़	अप्रैल 2013 से जुलाई 2016	17	2.17	2.17	4.34
egk;kx		471	126-46	126-46	252-92

ifjf'k"V 4-1

¼lanHkZ dafMdk 4-3½

fo|qr 'kqYd dh foyfcr Hkqxrku ij C;kt dk vukjksi.k ij fooj.k

(राशि ₹ esa½

l- Ø	mRiknd dk uke	iznÙk fo|qr 'kqYd dh राशि (₹½	ekg ftlds fy, fo|qr 'kqYd iznk; fd;k x;k	ekg tc rd Hkqxrku fd;k tkuk Fkk	okLrfod Hkqxrku dh fnukad	foyac ekg ¼Hkqxrku dh fnukad rd½	vkjksi.kh; C;kt (प्रतिशत esa½	fo|qr 'kqYd dh foyfcr Hkqxrku ds fy, ns; C;kt ¼₹½
1.	जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, रायगढ़	3,26,18,058	दिसम्बर–16	जनवरी–17	13.9.2017	8	20	43,49,074
		5,15,77,468	जनवरी–17	फरवरी–17	18.9.2017 एवं 19.9.2017	7	20	60,17,371
	;ksx	8]41]95]526						1]03]66]445
2.	एसीबी (इंडिया) लिमिटेड (2 x 135 मेगा वाट), कसाईपल्लि, कोरबा	1,72,58,642	मार्च–17	अप्रैल–17	10.11.2017	7	20	20,13,508
	;ksx	1]72]58]642						20]13]508
	dqy ;ksx	10]14]54]168						1]23]79]953

ifjf'k"V 5-1

¼lnHk dfMdk 5-3½

(राशि ₹ e½

oue.My dk uke	d{k Øekd@dk;l oUk	dy {k= ¼gDVj e½	py jg mipkj dk {k= ¼gDVj½	0;;@mipkj dk o"k	io] e fd;k x;k 0;;@ jkfir ik/kk dh l[;k	mipkj d fy, 'k"k miyC/k {k=	ft-vkb-,e- d rgr mipkfjr {k=	vfr0;kih {k=	vfr0;kih {k= ij fd;k x;k 0;;
व.मं.अ., बलोदाबाजार	170 / आई.डब्लू. सी	260	123.04	2015–18 ए.एन.आर	₹ 13,50,683.00	0	100	100	37,32,832
			136.06	2016–18 ए.एन.आर	₹ 12,49,763.00				
	177 / आर.डब्लू.सी	343.94	99.69	2015–18 (आर.डी.एफ. रोपण रहित)	₹ 16,19,917.00	0	228.475	228.475	10,66,668
			98.46	2016–18 (आर.डी.एफ. रोपण रहित)	₹ 14,44,019.00				
			81.64	2016–18 (आर.डी.एफ. रोपण रहित)	₹ 10,86,804.00				
			62.67	2017–18 (आर.डी.एफ. रोपण रहित)	₹ 37,535.00				
;kx					67]88]721-00			328-475	47]99]500
व.मं.अ., बिलासपुर	44 / आर.डब्लू.सी	198.701	50.00	2014 (पौधारोपण)	55,000	115.076	198.701 (रोपण रहित)	83.625	20,77,911
			33.625	2013 (पौधारोपण)	92,470				
	47 / आर.डब्लू.सी	159.041	50.00	2015 (औषधीय पौधारोपण)	20,000	109.041	50 (पौधारोपण)	23.557	5,58,411
							82.598 (रोपण रहित)		
	45 / आर.डी.बी. एफ.	203.962	70.00	2014 (बांस पौधारोपण)	28,000	133.962	100 (पौधारोपण)	36.038	8,59,201
							70 (रोपण रहित)		

	1636 / आर.डब्लू. सी	43.114	30.00	2015 (आर.डी.एफ. पौधारोपण सहित)	75,000	13.114	43.114 (रोपण रहित)	30.000	6,56,666
	32 / आर.डी.बी. एफ.	216.102	57.84	2014 (आर.डी.बी.एफ. रोपण रहित)	.	158.262	216.102 (रोपण रहित)	57.84	11,65,376
	50 / आर.डब्लू.सी	223.386	57.00	2013 (पौधारोपण)	68,970	81.386	219.430 (रोपण रहित)	138.044	29,17,877
			85.00	2014 (सागौन पौधारोपण)	2,12,500				
	;kx							369-104	82]35]442
	dy ;kx							697-579	1]30]34]942

ifjf'k"V 5-2

¼lnHk dfMdk 5-4½

(राशि ₹ e½

l-Ø-	oue.My dk uke	d{k Øekd	dii Øekd	dy {k=	mipkfjr {k=	fjDr {k=	vYi tMHkMkj {k=	vkifÙk okyk {k=	dy C;;	vkifÙk dh xbZ राशि
1	व.मं.अ., कटघोरा	591	V	40.438	40.438	40.438	0.000	40.438	2,62,299	2,62,299
2		590	V	20.392	20.392	11.971	8.421	11.971	1,27,609	74,912
3		200	V	101.077	25.000	101.077	0.000	25.000	1,60,145	1,60,145
4		599	VI	252.134	252.134	154.437	97.697	154.437	36,40,301	22,29,755
5		580	VI	30.339	30.339	11.205	19.134	11.205	4,37,843	1,61,707
6		589	VI	90.449	90.449	64.038	26.411	64.038	13,06,004	9,24,652
7		319	VI	187.788	172.317	161.659	26.129	146.188	24,99,615	21,20,590
;kx				722-617	631-069	544-825	177-792	453-277	84]33]816	59]34]060
8	व.मं.अ., मरवाही	2048	V	62.958	62.623	59.666	2.957	59.666	9,02,534	8,59,917
9		2014	V	98.302	98.302	54.412	43.890	54.412	14,20,322	7,86,175
10		2086	V	60.296	10.296	60.296	0.000	10.296	1,49,500	1,49,500
11		2012	V	93.021	93.021	41.236	51.785	41.236	13,48,000	5,97,565
12		1990	V	83.398	53.398	48.456	34.942	18.456	7,61,545	2,63,214
13		2073	V	83.729	83.729	69.060	14.669	69.060	12,06,448	9,95,083
14		2048	IV	152.178	152.178	93.707	58.471	93.707	21,03,455	12,95,249
15		2014	IV	79.043	78.043	79.004	0.039	79.004	10,91,580	10,91,035
16		1990	IV	67.769	67.769	52.976	14.793	52.976	9,35,465	7,31,266
;kx				780-694	699-359	558-813	221-546	478-813	99]18]849	67]69]004
17	व.मं.अ., दंतेवाड़ा	1259	IX	331.224	331.224	251.495	79.729	251.495	48,82,400	37,07,156

18		1260	IX	130.589	130.589	111.536	19.053	111.536	19,25,630	16,44,680
19		1291	IX	169.887	169.887	32.108	137.779	32.108	25,08,022	4,74,007
20		1264	VIII	110.392	102.162	66.566	43.826	58.336	15,87,189	9,06,308
21		1265	VIII	119.338	57.386	95.944	23.394	33.992	8,81,192	5,21,965
;kx				861-430	791-248	557-649	303-781	487-467	1]17]84]433	72]54]116
dy ;kx				2]364-741	2]121-676	1]661-287	703-119	1]418-557	3]01]37]098	1]99]57]180

ifjf'k"V 6-1

¼lanHkZ dafMdk 6-5-4-4½

o"kZ	ckEcs LVkd ,Dlpsat ¼ch,lbZ½		eYVh dekfMVh ,Dlpsat ¼,elh,Dl½		us'kuy LVkd ,Dlpsat ¼,u,lbZ½		;ksx	
	lO;ogkjksa dh la[;k	lO;ogkj dh jkf'k ¼djksM+ esa½	lO;ogkjksa dh la[;k	lO;ogkj dh jkf'k ¼djksM+ esa½	lO;ogkjksa dh la[;k	lO;ogkj dh jkf'k ¼djksM+ esa½	lO;ogkjksa dh la[;k	lO;ogkj dh jkf'k ¼djksM+ esa½
2014—15	157	4,459.95	106	45,664.06	394	45,130.22	657	95,254.23
2015—16	152	3,460.90	100	75,675.59	379	43,475.43	631	1,22,611.92
2016—17	175	4,039.71	99	83,027.29	383	65,129.51	657	1,52,196.51
2017—18	195	5,233.46	87	35,297.14	429	37,343.18	711	77,873.78
2018—19	177	4,193.25	98	42,290.22	442	1,42,704.65	717	1,89,188.12
;ksx	856	21]387-27	490	2]81]954-30	2027	3]33]782-99	3]373	6]37]124-56

ifjf'k"V 6-2

¼lanHkZ dafMdk 6-5-4-6½

l- Ø-	jftLVªkj Qel ,o lLFkk,¡	Qel dk iath;u dk fnukad	Hkkxhnkj dk uke	Hkkxhnkj }kjk iwath@;kxnku dh jkf'k	vkjksi.kh; e`-'kq-	vkjksfir e`-'kq-	de vkjksi.k
1.	दुर्ग	03.04.2018	मंगेश नरेश वैद्य एवं योगेश वैद्य	₹ 1,02,,000 (51,000 प्रति भागीदार)	₹ 2,040	₹ 1,000	₹ 1,040
2.	दुर्ग	13.03.2014	अभिनंदन डेवलपर्स	₹ 1,70,55,000(भूमि)	₹ 3,41,100	₹ 1,000	₹ 3,40,100
3.	दुर्ग	10.10.2014	सूरज हाऊसिंग प्रोजेक्ट	₹ 25,00,000	₹ 5,000	₹ 1,000	₹ 4,000
4.	बिलासपुर	19.05.2017	बदन बस सर्विस	27 बसों (विलेख में कोई विवरण/मूल्य का उल्लेख न किये जाने से राशि की गणना सुनिश्चित नहीं की जा सकी)	₹ 0	₹ 5,000	
;ksx					₹ 3]48]140	₹ 8]000	₹ 3]45]140

ifjf'k"V 6-3

¼lnHk dfMdk 6-5-4-6½

¼jkf'k ₹ e½

l-Ø-	mi iath;d	iVV e fn;s x;s rkykcks dh l[;k	iVVk vof/k	x.kkd	vkjksi.kh; e-'k-	vkjksi.kh; i-Qh-	vkjksfir e-'k-	vkjksfir i-Qh-	de e-'k-	de i-Qh-
1.	बिलासपुर	110	10	1.5	37,873	28,897	—	—	37,873	28,897
2.	रायगढ़	264	10	1.5	1,26,591	94,751	—	—	1,26,591	94,751
3.	दुर्ग	7	10	1.5	6,130	4,598	350	—	5,780	4,598
4.	रायपुर	3	10	1.5	78,070	58,553	98,400	—	0	58,553
;kx		384			2]48]664	1]86]799	98]750	0	1]70]244	1]86]799

ifjf'k"V 6-4

¼lnHkZ dafMdk 6-5-4-6½

iVVs ij fn;s x;s ekukbZy Vkoj ij e/;-'kq- ,oa i-Qh- dk Hkqxrku u fd;s tkus dk fooj.k

¼jkf'k yk[k e½

l-Ø-	iVVk xfgrk dk uke	iVVk vof/k	vkSlr okf"kZd fdjk;k	xq.kkad	vkjksi.kh; e/;-'kq-	vkjksfir e/;-'kq-	vkjksi.kh; i-Qh-	vkjksfir i-Qh-
1	2	3	4	5	6¾¼4½ x¼5½ x5 izfr'kr	7	8¾¼6½ dk 75 izfr'kr	9
				Ukxj ikfydk fuxe] fcykliqj				
1.	दिनेश शुक्ला	20	1.08	3	0.16	—	0.12	—
2.	राकेश पाण्डे	20	1.20	3	0.18	—	0.13	—
3.	अशोक साहू	20	1.02	3	0.15	—	0.11	—
4.	सूर्यकांत पाण्ड़े	20	0.84	3	0.13	—	0.09	—
5.	केजा बाई	20	0.72	3	0.11	—	0.08	—
6.	विश्वनाथ दुबे	20	1.20	3	0.18	—	0.14	—
7.	फ्रांसिस बड्डू एण्थनी	20	0.10	3	0.02	—	0.01	—
8.	राजेण्द्र कुमार पाठक	20	0.96	3	0.14	—	0.11	—
9.	कल्याणी गुप्ता	20	0.96	3	0.14	—	0.11	—
10.	सैय्यद आबीद	20	0.96	3	0.14	—	0.11	—
11.	नारायण दाश	20	0.78	3	0.12	—	0.09	—
12.	बाराट राम पटेल	20	1.08	3	0.16	—	0.12	—
13.	ईशाक खान	20	1.20	3	0.18	—	0.14	—
14.	रामावतार कश्यप	20	1.02	3	0.15	—	0.11	—
15.	देव कुमार दुबे	20	1.02	3	0.15	—	0.11	—
16.	अरूणा देवी	20	1.02	3	0.15	—	0.11	—
17.	शेख नवाब	20	1.20	3	0.18	—	0.14	—
18.	क्रांति कुमार सिन्हा	20	1.20	3	0.18	—	0.14	—
19.	भारती वासवानी	20	1.20	3	0.18	—	0.14	—
20.	माधुरी पाण्ड़े	20	1.20	3	0.18	—	0.14	—
21.	मनिष टण्डन	20	1.08	3	0.16	—	0.12	—
22.	निर्मला दाहिरे	20	0.96	3	0.14	—	0.11	—
23.	लक्ष्मी काशी	20	0.72	3	0.11	—	0.08	—
24.	प्रशन्न कुमार शर्मा	20	0.72	3	0.11	—	0.08	—
25.	राम मनोहर डयूने	20	0.72	3	0.11	—	0.08	—
26.	सतिश कुमार	20	0.72	3	0.11	—	0.08	—
27.	रजनी अग्रवाल	20	0.72	3	0.11	—	0.08	—
28.	मनिष कुमार	20	1.20	3	0.18	—	0.14	—
29.	ब्रज मोहन लाल शाह	20	1.54	3	0.23	—	0.17	—

30.	अनुभा वैद्य	20	1.20	3	0.18	—	0.14	—
uxj ikfydk fuxe] jk;x<+								
31.	मैसर्स बालाजी इनफ्रावेंचयूर्स प्रायव्हेट लिमिटेड़ (ग्रैंड माल)	15	3.00	3	0.45	—	0.34	—
32.	माया बालानी	20	1.14	3	0.17	—	0.13	—
33.	अशोक मेहर	20	0.72	3	0.11	—	0.08	—
34.	रामेश्वरी पटेल	6	0.84	3	0.13	—	0.09	—
35.	सतीश अग्रवाल	20	0.96	3	0.14	—	0.11	—
36.	सदाराम साहू	20	0.48	3	0.07	—	0.05	—
37.	जीताराम काठे	20	0.84	3	0.13	—	0.09	—
;ksx					5-62	—	4-22	—

ifjf'k"V 6-5

¼lnHkZ dafMdk 6-5-4-7½

mi iath;d dk;kZy;	mi iath;d dk;kZy; esa jkf'k izkfIr dk fnukad	jkf'k	tek dh xbZ jkf'k dk pkyku Øekad	cSad esa tek dh xbZ jkf'k dk pkyku Øekad	foyac fnuksa esa	foyac dh lhek
बिलाईगढ़	27–06–2016	26,737	19	01–07–2016	4	3 से 18
	07–10–2016	14,220	2	25–10–2016	18	
	18–01–2017	10,524	26	23–01–2017	5	
	19–01–2017	10,756	35	23–01–2017	4	
	20–01–2017	8,526	29	23–01–2017	3	
	27–01–2017	20,188	4	31–01–2017	4	
	28–01–2017	7,560	5	31–01–2017	3	
	06–02–2017	23,418	1	10–02–2017	4	
	07–02–2017	27,629	8	10–02–2017	3	
	23–02–2017	14,406	3	03–03–2017	8	
	25–02–2017	6,742	6	03–03–2017	6	
	27–02–2017	35,141	4	03–03–2017	4	
	28–02–2017	21,707	5	03–03–2017	3	
	26–05–2017	44,364	5	30–05–2017	4	
	27–05–2017	4,190	9	30–05–2017	3	
	14–06–2017	23,294	2	22–06–2017	8	
	15–06–2017	27,296	7	23–06–2017	8	
	19–06–2017	29,165	3	22–06–2017	3	
	24–08–2017	4,570	2	28–08–2017	4	
	28–03–2018	45,255	8	31–03–2018	3	
	20–12–2018	5,542	1	24–12–2018	4	
	21–12–2018	14,345	5	24–12–2018	3	
धमतरी	18–08–2017	83,117	41	23–08–2017	5	3 से 6
	16–02–2018	1,59,441	29	21–02–2018	5	
	29–05–2018	1,41,768	60	01–06–2018	3	
	20–12–2018	84,347	90	24–12–2018	4	
	07–05–2019	88,857	192	13–05–2019	6	
	08–05–2019	55,476	191	13–05–2019	5	
	09–05–2019	66,439	190	13–05–2019	4	
	25–07–2019	1,11,240	127	29–07–2019	4	
बेमेतरा	25–02–2016	1,04,061	66	29–02–2016	4	3 से 5

	22—04—2016	28,368	79	25—04—2016	3	
	27—05—2016	1,23,263	33	30—05—2016	3	
	21—07—2017	40,148	4	25—07—2017	4	
	28—03—2018	1,27,654	30	31—03—2018	3	
	25—05—2018	86,813	9	28—05—2018	3	
	27—07—2018	19,063	27	30—07—2018	3	
	08—08—2019	1,93,104	16	13—08—2019	5	
	03—10—2016	40,838	8	06—10—2016	3	
	03—10—2016	96,836	7	06—10—2016	3	
	27—10—2016	43,290	10	02—11—2016	6	
	28—10—2016	1,15,041	11	02—11—2016	5	
	26—05—2017	1,16,007	6	29—05—2017	3	
	26—05—2017	63,580	9	29—05—2017	3	
	25—11—2017	10,212	3	28—11—2017	3	
पाटन	26—02—2018	91,517	7	01—03—2018	3	3 से 6
	29—05—2018	1,57,684	11	01—06—2018	3	
	26—06—2018	1,35,009	2	02—07—2018	6	
	29—06—2018	22,570	3	02—07—2018	3	
	28—08—2018	17,551	2	01—09—2018	4	
	29—08—2018	45,960	3	01—09—2018	3	
	28—09—2018	77,861	4	03—10—2018	5	
	29—09—2018	14,340	5	03—10—2018	4	
	29—05—2019	85,730	4	01—06—2019	3	
	22—12—2017	38,272	2	26—12—2017	4	
	11—01—2018	145	7	15—01—2018	4	
	23—01—2018	71,945	14	03—02—2018	11	
	24—01—2018	510	15	03—02—2018	10	
	25—01—2018	359	16	03—02—2018	9	
	27—01—2018	820	17	03—02—2018	7	
कुरूद	29—01—2018	1,316	18	03—02—2018	5	3 से 10
	30—01—2018	175	19	03—02—2018	4	
	27—04—2018	29,555	8	01—05—2018	4	
	25—05—2018	1,47,448	16	29—05—2018	4	
	24—08—2018	60,944	3	28—08—2018	4	
	22—11—2018	12,722	23	26—11—2018	4	
	20—12—2018	95,355	10	24—12—2018	4	

घरघोड़ा	04–05–2016	27,614		18–05–2016	14	3 से 14
	05–05–2016	1,304		18–05–2016	13	
	06–05–2016	6,682		18–05–2016	12	
	09–05–2016	3,379		18–05–2016	9	
	11–05–2016	13,282		18–05–2016	7	
	12–05–2016	5,998		18–05–2016	6	
	13–05–2016	17,333		18–05–2016	5	
	17–05–2016	40,106		24–05–2016	7	
	18–05–2016	7,910		24–05–2016	6	
	19–05–2016	27,964		24–05–2016	5	
	20–05–2016	26,108		24–05–2016	4	
	23–05–2016	36,463		27–05–2016	4	
	24–05–2016	31,694		27–05–2016	3	
	25–05–2016	58,227		31–05–2016	6	
	26–05–2016	32,411		31–05–2016	5	
बिल्हा	06–03–2018	28,948		09–03–2018	3	3 से 4
	03–03–2018	20,575		06–03–2018	3	
	23–03–2018	43,246		26–03–2018	3	
	27–03–2018	50,528		31–03–2018	4	
	28–03–2018	81,526		31–03–2018	3	
रायपुर	08–12–2017	8,280		15–01–2018	38	5 से 78
	28–12–2017	1,61,770		06–01–2018	9	
	28–12–2017	1,68,057		03–01–2018	6	
	28–12–2017	1,61,770		06–01–2018	9	
	31–03–2018	4,987		05–04–2018	5	
	31–03–2018	70,545		05–04–2018	5	
	31–03–2018	6,80,138		05–04–2018	5	
	31–03–2018	3,40,406		05–04–2018	5	
	31–03–2018	6,13,688		05–04–2018	5	
	31–03–2018	28,031		05–04–2018	5	
	31–03–2018	24,067		05–04–2018	5	
	31–03–2018	28,095		05–04–2018	5	
	26–04–2018	16,90,593		01–05–2018	5	
	27–04–2018	12,21,827		03–05–2018	6	
	08–05–2018	25,130		14–05–2018	6	
	08–05–2018	33,500		14–05–2018	6	

	08—05—2018	18,650		14—05—2018	6	
	08—05—2018	66,900		14—05—2018	6	
	08—05—2018	86,900		14—05—2018	6	
	17—05—2018	10,74,675		25—05—2018	8	
	17—05—2018	15,980		23—05—2018	6	
	17—05—2018	9,670		23—05—2018	6	
	26—05—2018	11,64,217		02—06—2018	7	
	08—06—2018	1,24,857		26—06—2018	18	
	30—08—2018	24,025		06—09—2018	7	
	19—09—2018	74,250		24—09—2018	5	
	11—10—2018	59,050		16—10—2018	5	
	11—10—2018	60,375		16—10—2018	5	
	06—11—2018	1,08,145		22—11—2018	16	
	17—10—2018	31,27,091		22—10—2018	5	
	06—11—2018	19,04,480		22—11—2018	16	
	13—11—2018	10,06,243		22—11—2018	9	
	14—11—2018	11,01,801		26—11—2018	12	
	06—11—2018	1,08,145		25—11—2018	19	
	28—11—2018	2,47,134		21—12—2018	23	
	06—12—2018	91,63,688		24—12—2018	18	
	06—12—2018	1,98,737		11—12—2018	5	
	08—01—2019	23,940		24—01—2019	16	
	08—01—2019	11,785		24—01—2019	16	
	08—01—2019	12,888		24—01—2019	16	
	21—01—2019	20,810		15—02—2019	25	
	06—12—2018	96,373		22—02—2019	78	
	01—03—2019	22,550		15—03—2019	14	
	05—03—2019	6,75,889		28—03—2019	23	
	18—03—2019	1,01,810		27—03—2019	9	
	29—03—2019	53,170		08—04—2019	10	
	18—04—2019	15,68,264		24—04—2019	6	
	28—01—2019	22,355		02—02—2019	5	
	01—03—2019	11,277		06—03—2019	5	
	21—02—2019	26,830		27—02—2019	6	
	21—02—2019	27,033		27—02—2019	6	
;ksx		3]17]74]495				

ifjf'k"V 6-6

¼lanHkZ dafMdk 6-5-4-8 ¼v½½

Okkiu lh ds iwoZ bZ&LVkEi dk jnn uk fd;s tkus dk fooj.k

¼jkf'k ₹ esa½

l-Ø-	bZ&LVkEi ;w vkbZ ,u	bZ&LVkEi Ø; djus dk fnukad	okilh dk fnukad	LVkEi dh jkf'k	dVkS=k dh xbZ jkf'k
ft-i-] fcykliqj					
1.	IN-CG00916077936794N	27—05—2015	28—09—2015	89,250	8,925
2.	IN-CG00916050760672N	27—05—2015	28—09—2015	55,800	5,580
3.	IN-CG00916067869924N	27—05—2015	28—09—2015	74,900	7,490
4.	IN-CG00932052001070N	30—05—2015	10—12—2015	1,52,250	15,225
5.	IN-CG00605112691336N	18—02—2015	12—12—2015	950	95
6.	IN-CG00605093975256N	18—02—2015	12—12—2015	950	95
7.	IN-CG00711179933711N	30—03—2015	12—12—2015	1,000	100
8.	IN-CG04584582105639P	23—02—2017	04—03—2017	22,56,543	2,25,654
9.	IN-CG03908872092636O	23—09—2016	18—04—2017	12,000	1,200
10.	IN-CG04727158662503P	22—03—2017	19—06—2017	26,000	2,600
11.	IN-CG04423160376411P	20—01—2017	27—06—2017	5,000	500
12.	IN-CG04952731778888P	26—04—2017	29—06—2017	23,900	2,390
13.	IN-CG05085355023381P	23—05—2017	10—07—2017	58,000	5,800
14.	IN-CG04866686117100P	11—04—2017	18—07—2017	7,100	710
15.	IN-CG05125741347382P	30—05—2017	28—07—2017	4,870	487
16.	IN-CG05247780489175P	21—06—2017	11—09—2017	10,000	1,000
17.	IN-CG05313060629407P	30—06—2017	11—09—2017	76,750	7,675
18.	IN-CG05313035213394P	30—06—2017	11—09—2017	77,000	7,700
19.	IN-CG05399560761997P	17—07—2017	11—09—2017	27,510	2,751
20.	IN-CG05376105987086P	11—07—2017	29—11—2017	1,81,200	18,120
21.	IN-CG04906888130265P	19—04—2017	20—12—2017	44,600	4,460
22.	IN-CG05473706482298P	28—07—2017	26—12—2017	73,200	7,320
23.	IN-CG04929872166412P	22—04—2017	28—12—2017	32,950	3,295
24.	IN-CG04808922662912P	31—03—2017	10—01—2018	3,25,000	32,500
25.	IN-CG05765967035465P	21—09—2017	18—01—2018	47,410	4,741
26.	IN-CG04726675555405P	22—05—2017	03—02—2018	1,72,536	17,254
27.	IN-CG04922623412118P	21—04—2017	07—02—2018	10,000	1,000
28.	IN-CG06493545542438Q	15—01—2018	16—02—2018	10,000	1,000

29.	IN-CG06073591172534P	15—11—2017	16—02—2018	6,24,000	62,400
30.	IN-CG05025264589075P	12—05—2017	16—02—2018	25,000	2,500
31.	IN-CG06320055688234P	21—12—2017	20—02—2018	3,82,650	38,265
32.	IN-CG06691129376652Q	09—02—2018	15—03—2018	2,09,150	20,915
33.	IN-CG06480082814005Q	12—01—2018	20—03—2018	5,400	540
34.	IN-CG06835613386845Q	27—02—2018	11—04—2018	20,800	2,080
35.	IN-CG05327620764055P	03—07—2017	01—05—2018	69,150	6,915
36.	IN-CG05940995510671P	25—10—2017	14—05—2018	13,520	1,352
37.	IN-CG07181262125029Q	05—04—2018	06—06—2018	6,000	600
38.	IN-CG06273488164040P	14—12—2017	06—06—2018	1,37,500	13,750
39.	IN-CG06210245985597P	05—12—2017	06—07—2018	52,260	5,226
40.	IN-CG06211120793615P	05—12—2017	07—07—2018	17,200	1,720
41.	IN-CG05789592984270P	25—09—2017	07—07—2018	20,000	2,000
42.	IN-CG06413497972759Q	04—01—2018	07—07—2018	43,250	4,325
43.	IN-CG06413522082250Q	04—01—2018	07—07—2018	73,500	7,350
44.	IN-CG07476902855796Q	11—05—2018	07—07—2018	2,60,000	26,000
45.	IN-CG07108456875314Q	28—03—2018	07—07—2018	89,500	8,950
46.	IN-CG06205942552946P	04—12—2017	30—07—2018	1,49,020	14,902
47.	IN-CG07033135006923Q	22—03—2018	13—08—2018	46,550	4,655
48.	IN-CG07578099039345Q	23—05—2018	25—08—2018	50,000	5,000
49.	IN-CG05260768732514P	23—01—2017	25—08—2018	1,04,300	10,430
50.	IN-CG08127978867533Q	23—07—2018	27—08—2018	9,200	920
51.	IN-CG07660527439477Q	31—05—2017	31—08—2018	29,720	2,927
52.	IN-CG07625252765169Q	28—05—2018	13—09—2018	1,64,000	16,400
53.	IN-CG07924390396743Q	29—06—2018	03—10—2018	1,80,000	18,000
54.	IN-CG08257313465469Q	06—08—2018	05—10—2018	51,600	5,160
55.	IN-CG07387733699345Q	01—05—2018	16—10—2018	12,350	1,235
56.	IN-CG07387761908938Q	01—05—2018	16—10—2018	87,750	8,775
57.	IN-CG07386519722819Q	01—05—2018	16—10—2018	42,000	4,200
58.	IN-CG08473212373495Q	05—09—2018	27—10—2018	54,940	5,494
59.	IN-CG07660527439477Q	31—05—2018	29—10—2018	29,720	2,972
60.	IN-CG06746821534051Q	19—02—2018	30—10—2018	27,950	2,795
61.	IN-CG07639069973037Q	29—05—2018	14—12—2018	1,85,600	18,560
62.	IN-CG09056942601787Q	03—12—2018	07—01—2019	7,950	795
63.	IN-CG06518139390521Q	18—01—2018	07—01—2019	19,000	1,900
64.	IN-CG07701890304520Q	05—06—2018	09—01—2019	8,065	807
65.	IN-CG07590158285713Q	24—05—2018	21—01—2019	18,750	1,875

66.	IN-CG05490378335601P	31–07–2017	10–02–2019	1,000	100
67.	IN-CG09061472626954Q	03–12–2018	23–02–2019	5,200	520
68.	IN-CG08616109632427Q	25–09–2018	23–02–2019	24,450	2,445
69.	IN-CG10219420731628R	15–03–2019	15–03–2019	1,000	100
70.	IN-CG09271826532946Q	31–12–2018	03–05–2019	12,960	1,296
71.	IN-CG07860334020053Q	21–06–2018	15–05–2019	50,000	5,000
72.	IN-CG09261025914026Q	29–12–2018	15–05–2019	2,34,000	23,400
73.	IN-CG09768030314180R	12–02–2019	20–05–2019	2,150	215
74.	IN-CG09758934747127R	11–02–2019	30–05–2019	69,000	6,900
75.	IN-CG10023629651820R	01–03–2019	30–05–2019	1,77,200	17,720
76.	IN-CG08771527427570Q	13–10–2018	30–05–2019	57,800	5,780
77.	IN-CG10424774592464R	29–03–2019	12–06–2019	26,900	2,690
78.	IN-CG08549276513183Q	17–09–2018	21–06–2019	54,750	5,475
79.	IN-CG09385730391131R	10–01–2019	21–06–2019	25,000	2,500
80.	IN-CG10156254178489R	12–03–2019	12–07–2019	7,850	785
81.	IN-CG10218470929763R	उपलब्ध नहीं	12–07–2019	1,620	162
ft-i-] /kerjh					
82.	IN-CG09980990052418R	27–02–2019		6,000	600
83.	IN-CG11590597581172R	01–07–2019		12,320	1,232
84.	IN-CG10398661981995R	28–03–2019		1,18,150	11,815
85.	IN-CG10453092924548R	30–03–2019		20,500	2,050
86.	IN-CG10641004213233R	16–04–2019		12,100	1,210
87.	IN-CG11951626599754R	25–07–2019		60,000	6,000
;kx				81]63]964	8]16]352

ifjf'k"V 6-7

¼lanHkZ dafMdk 6-5-4-8 ¼c½½

¼jkf'k ₹ esa½

l- Ø-	iath;u Øekad	iath;u fnukad	bZ&iath;u }kjk mRifÙk i-Qh-	m-i- }kjk lafgr ,oa izfr"Br jkf'k	de tek dh xbZ jkf'k
1.	CG4808103102019008	03—10—2019	63,040	48,560	14,480
2.	CG4807411092019034	05—10—2019	40,000	25,310	14,690
3.	CG4807430102019019	30—10—2019	47,800	23,900	23,900
4.	CG4808106092019034	06—09—2019	23,200	16,240	6,960
5.	CG4807413092019011	13—09—2019	34,430	30,220	4,210
6.	CG4807417092019005	17—09—2019	14,250	1,650	12,600
7.	CG4807424092019017	24—09—2019	22,000	12,000	10,000
;ksx			2]44]720	1]57]880	86]840

ifjf'k"V 6-8

¼lanHkZ dafMdk 6-5-4-9 ¼v½½

vfu;fer fuefä foy[k

¼jkf'k yk[k esa½

l-Ø-	nLrkost Ø-@fnukad	laifRr dh fLFkfr	jdck	cktkj ewY;		vkjksi.kh; eq-'kq-	vkjksfir eq-'kq-
				y[kkijh{kk vuqlkj	m-i- vuqlkj		
1.	786 / 25.01.2017	ख.क्र. 389, बिटकुली, प.ह.न.–18, रा.नि.मं.–बिल्हा, बिलासपुर	1.064 हे.	11.40	11.40	0.71	0.06
2.	156 / 05.05.2017	ख.क्र. 374 / 11, 12, 13, 380 / 16, बोदरी, प.ह.न.–1, बिल्हा	0.567 हे.	61.24	61.24	3.83	0.31
3.	210 / 17.05.2017	ख.क्र. 29 / 12, वार्ड क्र. 13, बिल्हा	185.87 व.मी.	23.18	23.18	1.39	0.12
4.	120 / 26.04.2017	ख.क्र. 490 / 4, बोदरी, प.ह.न.–1, बिल्हा	0.121 हे.	31.22	31.22	1.95	0.16
5.	119 / 26.04.2017	ख.क्र. 374 / 10, बोदरी, प.ह.न.–1, बिल्हा	0.154 हे.	39.74	39.74	2.48	0.20
6.	86 / 20.04.2017	ख.क्र. 29 / 28, वार्ड क्र. 13, बिल्हा	485.78 व.मी.	20.91	20.91	1.09	0.10
;ksx				187-69	187-69	11-45	0-95

ifjf'k"V 6-9

¼lnHk dfMdk 6-5-4-9 ¼v½½

Hkkxhnkjh dk fo?kVu

¼jkf'k yk[k e½

Lk-Ø-	m-i- dk-	nLrkot Ø-@fnukd	Hkkxhnkjk dk uke	fo?kVu dk fnukd	jdck	ckTkkj eY; y[kkijh{kk vuqlkj	ckTkkj eY; m-i- vuqlkj	vkjki.kh; e-'k-	vkjkfir e-'k-	vkjki.kh; i-Qh-	vkjkfir i-Qh-
1.	पाटन	780 / 06.06. 2015	श्रीमती नंदीनी शर्मा एवं अन्य (सात सदस्यों)	13.05.2015	0.290 हे.	183.03	0.00	11.44	0.12	1.47	0.88
2.	रायगढ़	2774 / 05.03. 2016	रमेश कुमार अग्रवाल एवं विजय कुमार अग्रवाल	05.03.2016	0.498 हे. का 20 प्रतिशत, गोदाम, संरचना एवं बाऊन्ड्रीवाल	50.22	50.22	3.14	1.01	0.40	0.40
;kx						233-25	50-22	14-58	1-13	1-87	1-28

ifjf'k"V 6-10

¼lanHkZ dafMdk 6-5-4-9 ¼c½½

¼jkf'k yk[k esa½

l-Ø-	nLrkost Ø-@fnukad	jdck ¼o-eh-esa½	ckt+kj ewY;		vkjksi.kh; eq-'kq-	vkjksfir eq-'kq-	vkjksi.kh; i-Qh-	vkjksfir i-Qh-
			ys[kkijh{kk vuqlkj	m-ia- vuqlkj				
m-ia-] fcykliqj								
1.	4006 / 17.09.2019	1,023.33	23.02	16.15	1.44	1.01	0.92	0.65
m-ia-] fcYgk								
2.	1318 / 26.03.2015	891.14	38.60	30.88	2.01	1.61	0.31	0.25
m-ia-] txnyiqj								
3.	2961 / 28.03.2016	108.73	15.31	14.00	0.95	0.86	0.12	0.11
m-ia-] ikVu								
4.	1342 / 11.09.2017	3,744.40	272.59	180.00	17.04	11.25	2.18	1.44
5.	1341 / 11.09.2017	1,720.40	125.25	65.00	7.83	4.06	1.00	0.52
m-ia-] jk;x<+								
6.	1414 / 31.08.2017	1,298.70	92.53	29.49	5.55	4.63	0.74	0.59
7.	2559 / 07.02.2018	23.52	18.05	17.01	0.90	0.85	0.16	0.15
8.	2560 / 07.02.2018	46.47	38.03	33.67	2.28	2.02	0.31	0.27
9.	2564 / 07.02.2018	35.43	29.40	27.49	1.76	1.65	0.24	0.22
10.	1920 / 09.11.2017	21.56	17.64	15.78	1.06	0.95	0.14	0.13
11.	2602 / 13.02.2018	24.00	19.91	18.42	1.00	0.92	0.16	0.15
12.	2606 / 15.02.2018	24.00	19.91	18.42	1.19	1.11	0.16	0.15
13.	2871 / 13.03.2018	29.63	22.98	22.73	1.38	1.37	0.19	0.18
14.	2872 / 13.03.2018	24.00	18.62	18.42	1.19	1.11	0.16	0.15

15.	367 / 15.05.2017	21.47	17.81	15.71	0.89	0.79	0.14	0.13
16.	2331 / 16.01.2018	24.00	18.62	18.42	1.12	1.11	0.16	0.15
17.	2332 / 16.01.2018	29.63	22.98	22.73	1.38	1.37	0.19	0.18
18.	388 / 17.05.2017	21.56	17.64	15.78	0.88	0.79	0.14	0.13
19.	389 / 17.05.2017	21.56	17.64	15.78	1.06	0.95	0.14	0.13
20.	420 / 19.05.2017	22.21	18.18	16.25	1.09	0.98	0.15	0.13
21.	2654 / 21.02.2018	35.43	29.40	27.49	1.65	1.63	0.24	0.22
22.	2655 / 21.02.2018	21.32	16.54	16.35	0.99	0.98	0.14	0.13
23.	3001 / 21.03.2018	26.02	21.29	19.04	1.06	0.95	0.17	0.15
24.	3000 / 30.03.2018	22.03	18.02	16.12	1.08	0.97	0.15	0.13
25.	1584 / 23.09.2017	23.23	19.01	17.00	1.14	1.02	0.15	0.14
26.	744 / 23.06.2017	21.38	17.49	15.64	1.05	0.94	0.14	0.13
27.	2465 / 29.03.2017	26.86	27.89	25.72	1.67	1.55	0.22	0.21
28.	2464 / 29.03.2017	26.86	27.89	25.72	1.67	1.55	0.22	0.21
29.	2487 / 02.02.2018	42.65	32.73	30.90	1.96	1.86	0.26	0.25
30.	2488 / 02.02.2018	38.15	29.59	29.26	1.48	1.47	0.24	0.24
31.	2489 / 02.02.2018	53.66	41.63	41.17	2.50	2.47	0.33	0.33
32.	110 / 12.04.2017	20.35	16.89	15.77	1.01	0.95	0.14	0.13
33.	111 / 12.04.2017	26.86	27.89	25.72	1.67	1.54	0.22	0.21
34.	529 / 02.06.2017	21.38	17.73	16.56	0.89	0.83	0.14	0.13
35.	1975 / 08.02.2017	580.86	167.65	137.88	10.06	8.27	1.34	0.11
;kx		10]142-78	1]376-35	1]072-47	81-88	66-37	11-81	8-53

ifjf'k"V 6-11

¼lnHkZ dafMdk 6-5-4-9 ¼c½½

¼jkf'k yk[k esa½

l- Ø-	xiFk Ø-@nLrkost Ø- ,oa iath;u fnukad	lEifÙk dh fLFkfr	foys[k Js.kh	lEifÙk dk jdck	cktkj ewY;		vkjksi.kh; e-'k-	vkjksi.kh; i-Qh-	vkjksfir e-'k-	vkjksfir i-Qh-	e-'k- dk de vkjksi.k	i-Qh- dk de vkjksi.k
					ys[kkijh{kk vuqlkj	m-i- vuqlkj						
m-i-dk-] vfEcdkiqj												
1.	8748 / 706 दि. 13–05–2016	नगर पालिका निगम, अंबिकापुर, वार्ड क्र. 09, महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड, पटेलपारा	दान	1396.56 व.मी.	31.93	32.76	0.50	0.26	0.49	0.26	0.01	0.00
2.	9433 / 5370 दि. 28–03–2018	खसरा क्र. 4703 / 1, डा. भीमराव अंबेडकर वार्ड, वार्ड क्र. 45, प. ह.न. 15	हस्तांतरण (विक्रय)	0.121 हे.	104.85	119.97	7.50	0.96	6.56	0.84	0.94	0.12
m-i-dk-] cykSnkcktkj												
3.	2373 / 7626 दि. 18–09–2015	खसरा क्र. 165 / 3 का भाग, नगर पालिका परिषद्, भाटापारा, गुरू नानक वार्ड	हस्तांतरण (विक्रय)	473.98 व.मी.	36.00	40.06	2.40	0.32	2.16	0.29	0.24	0.03

4.	2601/7648 दि. 20–10–2015	नजूल सीट 14सी, प्लाट संख्या 58, 62/2	हस्तांतरण (विक्रय)	265.334 व.मी.	45.00	46.34	2.90	0.37	2.82	0.36	0.08	0.01
m-i-dk-] fcYgk												
5.	1213/220 दि. 11–05–2018	खसरा क्र. 59/43, बाबु जगजीवन राम वार्ड, वार्ड क्र. 12, प.ह.न. 17	भागीदारी	0.789 हे.	80.58	297.65	5.95	2.38	1.66	0.65	4.29	1.73
6.	2016/987 दि. 29–04–2016	खसरा क्र. 759, ग्राम– नवागांव, प.ह.न.–25, बिल्हा	हस्तांतरण (विक्रय)	0.243 हे.	2.85	3.12	0.16	0.03	0.15	0.02	0.01	0.01
m-i-dk-] fcykbZx<+												
7.	3051/973 (CG4518916072018001) दि. 16–07–2018	खसरा क्र. 599/1 एवं 599/2, ग्राम– टुण्डरी, प.ह.न. –1, रा.नि.मं. बिलाईगढ़	हस्तांतरण (विक्रय)	506 व. मी.	24.40	25.59	1.33	0.21	1.27	0.20	0.06	0.01
m-i-dk-] nqxZ												
8.	60/1039 दि. 21–12–2017	खसरा क्र. 47/31, फुलगांव वार्ड, वार्ड क्र. 25, प. ह.न.–18/25	हस्तांतरण (विक्रय)	1.780 हे.	128.86	140.21	8.76	1.12	8.05	1.03	0.71	0.09

m-i-dk-] ?kj?kkMk												
9.	2380 / 378 दि. 06–09–2018	खसरा क्र. 436, फुलगांव वार्ड, वार्ड क्र. 25, प.ह.न.–12	हस्तांतरण (विक्रय)	0.829 हे.	10.89	22.23	1.39	0.18	0.68	0.09	0.71	0.09
m-i-dk-] dkjck												
10.	5357 / 1341 (CG5711518012019007) दि. 18–01–2019	खसरा क्र. 701 / 1, 708 का भाग, नगर पालिका निगम कोरबा, वार्ड क्र. 2	हस्तांतरण (विक्रय)	0.226 हे.	100.15	126.96	7.93	1.02	6.26	0.80	1.67	0.22
m-i-dk-] jk;x<												
11.	6643 / 1047 दि. 21–07–2015	खसरा क्र. 4 / 5, ग्राम–गेरवानी, प.ह.न. 27, ग्राम पंचायत गेरवानी, रायगढ़	हस्तांतरण (विक्रय)	1.011 हे.	87.00	154.83	9.68	1.24	5.44	0.70	4.24	0.54
m-i-dk-] jk;ikj												
12.	74101 / 2757 दि. 21–06–2019	खसरा क्र. 22, सिविल लाईन वार्ड, वार्ड क्र. 42, प.ह.न. –114 / 70	हस्तांतरण (विक्रय)	111.52 व.मी.	148.11	153.80	9.23	1.23	8.89	1.19	0.34	0.04
13.	73506 / 3392 दि. 12–12–2018	खसरा क्र. 168 / 08, कुशाभाऊ ठाकरे	हस्तांतरण (विक्रय)	0.217 हे.	63.72	86.80	5.43	0.70	3.98	0.51	1.45	0.19

		वार्ड, वार्ड क्र. 26, प.ह.न.–39										
14.	73506 / 3391 दि. 12–12–2018	खसरा क्र. 168 / 11, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड, वार्ड क्र. 26, प.ह.न.–39	हस्तांतरण (विक्रय)	0.215 हे.	62.54	86.00	5.38	0.69	3.91	0.50	1.47	0.19
15.	73698 / 2698 दि. 03–12–2018	खसरा क्र. 581 / 1, महर्षी वाल्मीकी वार्ड, वार्ड क्र. 28, प. ह.न.–64	हस्तांतरण (विक्रय)	70.35 व. मी..	30.28	42.10	2.53	0.34	1.82	0.24	0.71	0.10
m-i-dk-] lijtiij												
16.	3009 / 2176 दि. 28–03–2016	खसरा क्र. 338 / 4 एवं 339 / 5, ग्राम–चन्द्रपुर, प.ह.न.–09, रा. नि.मं.–सुरजपूर	दान	242.88 व.मी.	20.05	20.45	0.31	0.17	0.31	0.16	0.00	0.01
m-i-dk-] frYnk												
17.	2015 / 1618 दि. 11–02–2015	खसरा क्र. 527 / 14, ग्राम– तिल्दा, प.ह.न.–8, रा. नि.मं.–तिल्दा	हस्तांतरण (विक्रय)	154.74 व.मी.	15.46	29.91	1.79	0.24	0.93	0.13	0.86	0.11
;kx					992-67	1428-78	73-17	11-46	55-38	7-97	17-79	3-49

ifjf'k"V 6-12

¼lnHkZ dafMdk 6-5-4-9 ¼c½½

Øsrk dh Hkwfe ls yxs gq, ij gLrkarj.k nj ls ewY;kadu dk fooj.k

¼jkf'k yk[k esa½

l- Ø-	xzFk Ø- @nLrkost Ø- ,oa iath;u fnukad	lEifÙk dk jdck	cktkj ewY;		vkjksi.kh;		vkjksfir	
			y[kkijh{kk vuqlkj	m-iz- vuqlkj	eq-'kq-	ia-Qh-	eq-'kq-	ia-Qh-
m-iz-dk-] ?kkj?kkMk								
1.	2404 / 725 दि. 14–03–2019	779.24 व.मी.	20.00	36.01	2.25	0.29	1.25	0.16
m-iz-dk-] jk;iqj								
2.	73332 / 3243 दि. 06–12–2018	2024 व.मी.	51.00	134.60	2.05	1.08	0.78	0.41
3.	72782 / 7056 दि. 31–01–2017	1760.88 व.मी.	63.51	122.10	7.63	0.98	0.98	0.51
4.	73263 / 6136 दि. 30–03–2018	1244.76 व.मी.	24.75	92.45	5.78	0.74	2.42	0.31
5.	73263 / 6144 दि. 30–03–2018	1244.76 व.मी.	24.75	92.45	5.78	0.74	2.42	0.31
6.	73530 / 226 दि. 28–04–2018	880.44 व.मी.	19.84	38.06	2.38	0.31	1.24	0.17
7.	73576 / 963 दि. 29–05–2018	1042.36 व.मी.	10.82	20.83	1.30	0.17	1.15	0.15
m-iz-dk-] frYnk								
8.	2556 / 1069 दि. 28–08–2015	222.64 व.मी.	0.33	3.56	0.22	0.03	0.02	0.00
9.	2540 / 848 दि. 13–07–2015	414.92 व.मी.	0.49	2.90	0.18	0.02	0.03	0.01
;ksx			215-49	542-96	27-57	4-36	10-29	2-03

ifjf'k"V 6-13

¼lnHk dfMdk 6-5-4-9 ¼l½½

¼jkf'k yk[k e½

l-Ø-	nLrkot Ø- @ith;u fnukd	lifÙk dk fooj.k	jdck	ckt kj eY;		vkjki.kh; e-'k-	vkjkfir e-'k-	vkjki.kh; i-Qh-	vkjkfir i-Qh-
				y[kkijh{kk vulkj	m-i- vulkj				
m-i-dk-] fcykbx<									
1.	2423 / 30.03. 2015	बसुरकुली, प.ह.न.–14, बिलाईगढ़	323.84 व.मी.	6.69	3.30	0.35	0.17	0.05	0.03
2.	1648 / 16.12. 2015	बिलाईगढ़ वार्ड क्र. 1, प.ह.न. –13ख बिलाईगढ़	303.60 व.मी.	11.35	7.40	0.71	0.46	0.09	0.06
3.	531 / 19.05.2015	भटगांव, वार्ड क्र.–09, प.ह.न. –29, बलौदाबाजार	121.44 व.मी.	8.58	6.50	0.54	0.41	0.07	0.05
m-i-dk-] fcyklij									
4.	685 / 20.05.2019	ग्राम–कुदुदण्ड़, प.ह.न.–34, बिलासपुर	0.251 हे.	87.85	85.00	5.49	5.31	0.70	0.68
m-i-dk-] fcYgk									
5.	156 / 17.05.2016	मोहदा, प.ह.न.–13, बिल्हा	0.362 हे.	36.00	33.05	2.25	2.07	0.29	0.27
6.	849 / 08.02.2017	बोदरी, बिल्हा	3.061 हे.	1,050.54	1,037.84	16.02	15.83	8.41	8.30
m-i-dk-] Mkxjx<									
7.	1087 / 06.03. 2017	वार्ड क्र. 12, डोंगरगढ़	80.51 व.मी.	8.86	3.00	0.55	0.19	0.07	0.03

m-i-dk-] ?kj?kkMk									
8.	598 / 08.11.2017	कोनापारा, प.ह.न.–13, घरघोड़ा	3.724 हे.	109.25	59.10	0.00	0.00	0.88	0.47
9.	373 / 30.08.2018	पुंजीपथरा, प.ह.न.–6, तमनार	2.023 हे.	123.24	68.00	7.70	4.25	0.99	0.55
10.	803 / 22.02.2018	पुंजीपथरा, प.ह.न.–6, तमनार	2.023 हे.	123.24	67.86	7.70	4.24	0.99	0.54
11.	475 / 29.10.2018	चारमार, प.ह.न.–6, रा.नि.म. –घरघोड़ा	1.213 हे.	32.80	23.32	2.05	1.46	0.26	0.19
12.	1022 / 31.03. 2017	लैलुंगा	4.663 हे.	72.44	66.66	1.10	1.02	0.58	0.53
m-i-dk-] tk txh j									
13.	1970 / 08.03. 2019	वार्ड क्र. 15, लोक मान्य तिलक वार्ड	0.154 हे.	22.33	11.55	1.40	0.72	0.18	0.09
m-i-dk-] dchj/kke									
14.	2855 / 08.09. 2017	प.ह.न.–18, रा.नि.म.–कवर्धा	0.263 हे.	28.93	26.30	1.81	1.64	0.23	0.21
15.	5034 / 10.03. 2015	वार्ड क्र. 20, गुरू गोंविंद सिंह वार्ड, कवर्धा	297.39 व.मी.	64.99	27.20	4.06	1.70	0.52	0.22
16.	5033 / 10.03. 2015	वार्ड क्र. 20, गुरू गोंविंद सिंह वार्ड, कवर्धा	297.39 व.मी.	64.99	27.20	3.38	1.42	0.52	0.22
17.	5032 / 10.03. 2015	वार्ड क्र. 20, गुरू गोंविंद सिंह वार्ड, कवर्धा	432.15 व.मी.	94.44	39.53	5.90	2.47	0.76	0.32
m-i-dk-] dkjck									
18.	927 / 18.10.2018	ग्राम–रूंगरा, प.ह.न.–10, वार्ड क्र. 42	1418.21 व.मी.	130.48	102.52	6.78	5.33	1.05	0.82

m-i-dk-] jk;x<+									
19.	2066/17.02.2017	ग्राम–लाखा, प.ह.न.–28, रायगढ़	1.160 हे.	171.97	124.02	2.62	1.89	1.38	0.99
m-i-dk-] jk; iqj									
20.	4700/13.02.2019	वार्ड क्र. 27, डा. भीमराव अंबेडकर वार्ड, रायपुर	391.82 व.मी.	198.25	109.75	11.89	6.59	1.59	0.88
21.	4699/13.02.2019	वार्ड क्र. 27, डा. भीमराव अंबेडकर वार्ड, रायपुर	952.6 व.मी.	417.37	242.52	25.04	14.55	3.34	1.94
22.	4701/13.02.2019	वार्ड क्र. 27, डा. भीमराव अंबेडकर वार्ड, रायपुर	138.94 व.मी.	61.99	38.92	3.10	1.95	0.50	0.31
23.	5074/07.03.2019	वार्ड क्र. 48, भगवती चरण शुक्ला वार्ड	446.09 व.मी.	200.74	156.14	10.44	8.12	1.61	1.25
24.	5363/15.03.2019	वार्ड क्र. 55, शहीद हेमु कल्याणी वार्ड	93.19 व.मी.	111.09	9.15	6.67	5.49	0.89	0.73
m-i-dk-] jktuknxkao									
25.	3218/07.03.2018	ग्राम–धरमापुर, प.ह.न. 37, राजनांदगाँव	240.70 व.मी.	2.05	1.00	0.11	0.05	0.02	0.01
26.	3644/28.03.2018	ग्राम–लखौली, प.ह.न.–50, रा.नि.म.– लखौली, राजनांदगाँव	212.94 व.मी.	24.49	23.00	1.53	1.44	0.20	0.19
m-i-dk-] lwjt iqj									
27.	862/07.08.2015	भैयाथान, प.ह.न.–13, सूरजपुर	1.95 हे.	54.93	24.14	2.86	1.26	0.44	0.19
;ksx				3]319-88	2]423-97	132-05	90-03	26-61	20-07

ifjf'k"V 6-14

¼lnHk dfMdk 6-5-4-9 ¼l½½

¼jkf'k yk[k e½

l- Ø-	xiFk Ø-@nLrkot Ø- ¼bi&ith;u vkbMh½ ,o ith;u fnukd	fofue; dh tk jgh lifÙk;k dk fooj.k	jdck	ckt kj eY; ft l ij e-'k-@i-Qh-dk vkjki.k fd;k tkuk gi	vkjki.kh; e-'k-	vkjkfir e-'k-	vkjki.kh; i-Qh-	vkjkfir i-Qh-
m-i-dk-] cykinkckt kj								
1.	8772/3146 (CG4512023022018014) दि. 23.02. 2018	खसरा क्र. 336, ग्राम–भदरा, प.ह.न.–5, रा. नि.म.–लवन	0.105 हे.	0.49	0.02	0.01	0.01	0.01
		खसरा क्र. 431, ग्राम–भदरा, प.ह.न.–5, रा. नि.म.–लवन	0.032 हे.					
m-i-dk-] fcYgk								
2.	1343/1073 (CG4815528122019002) दि. 28.12. 2019	खसरा क्र. 62, ग्राम–बिल्हा, प.ह.न.–17, रा. नि.म.–बिल्हा, वार्ड क्र. 12, बाबु जगजीवन राम वार्ड, नगर पंचायत– बिल्हा	0.534 हे.	85.93	4.30	2.67	3.44	3.44
		खसरा क्र. 59/43 का भाग, 59/75 का भाग एवं 59/40क का भाग, प.ह.न.–17, रा.नि.म.–बिल्हा, वार्ड क्र. 12, बाबु जगजीवन राम वार्ड, नगर पंचायत–बिल्हा एवं खसरा क्र. 588/2 का भाग, ग्राम–केशला, प.ह.न.–17, रा.नि.म.–बिल्हा, वार्ड क्र. 12, बाबु जगजीवन राम वार्ड, नगर पंचायत–बिल्हा	1.449 हे.					

m-i-dk-] nqxZ									
3.	34208/227 (CG5106410042019004) दि. 10.04. 2019	खसरा क्र. 488/1, 489, 495/2, 496 एवं 499 का भाग, ग्राम–खम्हरिया, प.ह.न.–21, रा.नि.म.–जुनवानी	0.530 हे.	79.50	3.98	0.00	1.27	1.27	
		खसरा क्र. 119, ग्राम–खम्हरिया, प.ह.न. –21, रा.नि.म.–जुनवानी	0.530 हे.						
4.	33488/425(CG5106408052017012) दि. 08.05.2017	खसरा क्र. 294/2, ग्राम–खम्हरिया, प.ह.न. –15/21, रा.नि.म.–दुर्ग 1	0.140 हे.	21.00	1.05	0.00	0.74	0.74	
		खसरा क्र. 407, ग्राम–खम्हरिया, प.ह.न. –21, रा.नि.म.–जुनवानी	0.140 हे.						
5.	439/915 (CG5124924072019007) दि. 24.07.2019	खसरा क्र. 721/1 एवं 721/2, वार्ड क्र. 01, जुनवानी वार्ड	360.25 व.मी.	42.87	2.14	0.00	0.34	0.34	
		खसरा क्र. 719/79, 724/4 एवं 723/10 का भाग, वार्ड क्र. 01, जुनवानी वार्ड	360.25 व.मी.						
m-i-dk-] ikVu									
6.	4377/2762 दि. 16.12.2015	खसरा क्र. 228, 223 का भाग, प.ह.न.–38, ग्राम–पाटन, रा.नि.म.–पाटन	0.72 हे.	54.89	2.74	0.01	0.44	0.44	
		खसरा क्र. 195, 196 एवं 197, प.ह.न.–38, ग्राम–पाटन, रा.नि.म.–पाटन	0.72 हे.						
m-i-dk-] jk;iqj									
7.	73286/287 (CG6304606032018020) दि. 18.04. 2018	खसरा क्र. 6/3, प.ह.न.–109/41, ग्राम–दलदलसिवनी, रा.नि.म.–रायपुर–1	1.00 हे.	255.00	12.75	0.01	2.04	2.04	
		खसरा क्र. 6/7, प.ह.न.–109/41, ग्राम–दलदलसिवनी, रा.नि.म.–रायपुर–1	1.00 हे.						

8.	73337/3319 (CG6304714122018004) दि. 14.12. 2018	प्लाट क्र. 30/1, खसरा क्र. 30/1 का भाग, वार्ड क्र. 21, रमन मंदिर वार्ड, धमतरी छोटी लाईन से रेलवे मण्ड़ल कार्यालय	100.83 व.मी.	29.24	1.46	0.00	0.24	0.24
		प्लाट क्र. 30/1, खसरा क्र. 30/1 का भाग, वार्ड क्र. 21, रमन मंदिर वार्ड, धमतरी छोटी लाईन से रेलवे मण्ड़ल कार्यालय	100.83 व.मी.					
;kx				568-92	28-44	2-70	8-52	8-52

शब्दकोष

l{ki dh 'kCnkoyh

lf{kIr	ijk :i
नि.प्रा.	निर्धारण प्राधिकारी
स.ले.अ.	सहायक लेखा अधिकारी
स.आ.	सहायक आयुक्त
ए.सी.सी	प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र
स.आ.वा.क.	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर
ले.स.बै.	लेखापरीक्षा समिति बैठक
स.वा.क.अ.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
स.वि.नि.	सहायक विद्युत निरीक्षक
अ.प्र.मु.व.सं.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अ.क्षे.प.अ.	अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
ए.टी.एन	कार्रवाई टीप
ब.अ.	बजट अनुमान
बी.ओ.टी.	निर्माण–संचालन–हस्तांतरण
बी.एस.ई.	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज
सी.ए.	चार्टेड अकाउंटेंट
सी.ए.ए.टी.	कम्प्यूटर आधारित लेखापरीक्षा तकनीकी
कैम्पा	क्षतिपूर्ति वनीकरण, कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
मु.व.सं	मुख्य वन संरक्षक
मु.वि.नि	मुख्य विद्युत निरीक्षक
सी.ई.आर.टी.आई.एन.	भारतीय कम्प्यूटर आपात मोचन दल
छ.ग.मो.या.क.अ.	छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम
छ.ग.मू.सं.क	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर
चिप्स	छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रोमोशन सोसायटी
सी.आर.ए.	केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण
कें.बि.क.	केंद्रीय बिक्री कर
वा.क.	वाणिज्यिक कर
वा.क.नि.	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वा.क.अ.	वाणिज्यिक कर अधिकारी
के.मू.बो.	केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड
उ.आ.	उपायुक्त
सं.वि.नि.	संभागीय विद्युत निरीक्षक
व.म.अ.	वनमंडलाधिकारी
जि.पं.	जिला पंजीयक

जि.पं.का.	जिला पंजीयक कार्यालय
जि.प.अ.	जिला परिवहन अधिकारी
जि.मू.स.	जिला मूल्यांकन समिति
उ.म.पं.	उप महानिरीक्षक पंजीयन
वि.शु.	विद्युत शुल्क
वि.वि.	वित्त विभाग
एफ.आर.एस.	फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेशीफीकेशन
जी.आई.जी.डब्लू	गाईडलाईन फार इंडियन गर्वमेन्ट वेबसाइट
ग्री.इं.मि.	ग्रीन इंडिया मिशन
छ.ग.शासन	छत्तीसगढ़ शासन
भा.स.	भारत सरकार
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
आं.ले.इ.	आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई
म.पं.स.अ.मु.	महानिरीक्षक पंजीयन सह अधीक्षक मुद्रांक
आई.जी.एस.टी.	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
नि.प्र.	निरीक्षण प्रतिवदेन
आई.एस.एक्ट	इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1899
आई.डब्लू.सी.	सुधार कार्यवृत्त
जे.पी.ई.जी	ज्वाइन्ट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप
न.पा.नि.	नगर पालिका निगम
एम.पी.एल.एस.	मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग
एन.जी.डी.आर.एस.	राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली
एन.आर.डी.ए.	नया रायपुर विकास प्राधिकरण
एन.एस.ई.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
नि.ले.प.	निष्पादन लेखापरीक्षा
लो.ले.स.	लोक लेखा समिति
स्था.ले.सं.	स्थायी लेखा संख्या
प्र.मु.व.सं.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प.ह.न.	पटवारी हल्का नम्बर
वृ.का.वृ.	वृक्षारोपण कार्य वृत्त
सं.का.वृ.	संरक्षण कार्यवृत्त
रा.आ.प्र.	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
पं.फी.	पंजीयन फीस
आर.एफ.पी.	प्रस्तावों हेतु अनुरोध
रा.नि.म.	राजस्व निरीक्षक मण्डल
प.अ.	परिक्षेत्र अधिकारी

रा.व.प्र.प	राजस्व वसूली प्रमाण पत्र
क्षे.प.अ.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
आर.डब्ल्यू.सी.	पुनर्स्थापना कार्यवृत्त
च.स.सु.	चयन सह सुधार
मु.शु.	मुद्रांक शुल्क
एस.डी.सी.	राज्य डाटा केन्द्र
एस.डी.डी.	सिस्टम डिजाइन दस्तावेज
उ.जि.मू.स.	उप जिला मूल्यांकन समिति
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
एस.एच.सी.आई.एल.	स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
एस.एल.ए.	सेवा स्तर करार
एस.पी.	सेवा प्रदाता
उ.प.	उप पंजीयक
उ.पं.का.	उप पंजीयक कार्यालय
एस.आर.एस.	सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेशीफिकेशन
स्टा.अ.	स्टाम्प अधीक्षक
प.आ.	परिवहन आयुक्त
न.ग्रा.नि.	नगर तथा ग्राम निवेश
यू.ए.टी.	यूजर एक्सेंपटेंस टेस्टिंग
यू.आई.डी.ए.आई.	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
मू.सं.क.	मूल्य संवर्धित कर
व्ही.पी.एन.	वर्चुअल प्राईवेट नेटवर्क
का.आ.	कार्य आयोजना

©

Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kkijh{kd

www.cag.gov.in

bZ&esy%: **agauchhattisgarh@cag.gov.in**